ISSN-0971-8397

योजना

जनवरी 2018 | विकास को समर्पित मासिक | ₹ 30

विशेषांक

बैंकिंग सुधार

बैंकिंग सेक्टर में सुधार
आतिशा कुमार

डूबे कर्ज के निपटान की चुनौतियां
दीपक नारंग

विशेष आलेख
बैंक पुनर्पूंजीकरण
आशुतोष कुमार

फोकस
दिवालिया कानून: समाधान की तलाश
इंदिवजल धस्माना

जरा हटके
भारतमाला: राजमार्ग विकास का नया आयाम
युद्धवीर सिंह मलिक

आईएनएस कलवरी राष्ट्र को समर्पित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 दिसम्बर 2017 को मुंबई के एक कार्यक्रम में नौसैनिक पनडुब्बी आईएनएस कलवरी राष्ट्र को समर्पित की।

इस अवसर पर देशवासियों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने आईएनएस कलवरी को मेक इन इंडिया का प्रमुख उदाहरण बताया। उन्होंने इसके निर्माण में शामिल सभी लोगों की सराहना की। उन्होंने पनडुब्बी को भारत और फ्रांस के बीच बढ़ती सामरिक साझेदारी का शानदार उदाहरण बताया। उन्होंने कहा आईएनएस कलवरी से भारतीय नौसेना और अधिक सुदृढ़ होगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी को एशिया की सदी कहा जाता है और यह भी तय है कि 21वीं सदी में विकास का मार्ग हिन्द महासागर से होकर गुजरता है। इसलिए सरकार की नीतियों में हिन्द महासागर को विशेष स्थान प्राप्त है। उन्होंने कहा कि इस विजन को 'सागर' - सुरक्षा के माध्यम से समझा जा सकता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा और सुरक्षा से संबंधित पूरा पारिस्थितिकीय तंत्र पिछले तीन वर्षों में बदलने लगा है। उन्होंने कहा कि आईएनएस कलवरी के निर्माण के दौरान संचित किया गया कौशल भारत के लिए अमूल्य निधि है।

डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बी आईएनएस कलवरी को भारतीय नौसेना के लिए मजगोन डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने निर्मित किया है। यह भारतीय नौसेना में शामिल की जाने वाली छह पनडुब्बियों में से एक है। यह *मेक इन इंडिया* की सफलता की कहानी कहती है। इस परियोजना को फ्रांस के साथ मिलकर शुरू किया गया है। ❑

योजना

- वर्ष:62
- अंक 01
- कुल पृष्ठ:72
- जनवरी 2018
- पौष-माघ, शक संवत् 1939

दरें: वार्षिक: ₹ 230 द्विवार्षिक: ₹ 430, त्रिवार्षिक: ₹ 610

yojanahindi@gmail.com www.yojana.gov.in, www.publicationsdivision.nic.in http://www.facebook.com/yojanahindi

प्रधान संपादक: दीपिका कच्छल

संपादक: ऋतेश पाठक

संपादकीय कार्यालय

648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003
दूरभाष (प्रधान संपादक): 24362971

संयुक्त निदेशक (उत्पादन): वी के मीणा

संपादक (प्रसार एवं विज्ञापन):
गोपाल के एन चौधरी

आवरण: गजानन पी धोपे

पत्रिका मंगवाने, सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिए मनीऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें:

प्रसार एवं विज्ञापन अनुभाग
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 48-53
भूतल, सूचना भवन, सीजीओ परिसर
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003
दूरभाष: 011-24367453
ईमेल: pdjucir@gmail.com

सदस्य बनने अथवा पत्रिका मंगाने के लिए हमारे निम्नलिखित विक्रय केंद्रों पर भी संपर्क किया जा सकता है। साथ ही हमारी वेबसाइट तथा योजना हिन्दी के फेसबुक पेज पर भी संपर्क किया जा सकता है।

- योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।
- योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।
- प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।
- योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं है, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

इस अंक में

- संपादकीय 7
- बैंकिंग सेक्टर में सुधार
  आतिशा कुमार 9
- बैंकिंग क्षेत्र: कल, आज और कल
  विवेक कुमार
  संकेत टंडन
  शुभदा राव 13
- डूबते कर्ज के निपटान की चुनौतियां
  दीपक नारंग 17
- विशेष आलेख
  बैंक पुनर्पूजीकरण
  आशुतोष कुमार 21
- बैंकों का बैंक: रिजर्व बैंक 24
- फोकस
  दिवालिया कानून: समाधान की तलाश
  इंदिवजल धस्माना 29
- भारत में ग्रामीण बैंकिंग की समस्याएं और चुनौतियां
  मंजुला वाधवा 33
- मिशन इंद्रधनुष: भारत में सार्वजनिक बैंकिंग का कायाकल्प
  डी एस मलिक 41
- बैंकिंग सुधारों की अनिवार्यता
  आदित्य पी त्रिपाठी
  नूपुर अग्रवाल 43
- जरा हटके
  भारतमाला: राजमार्ग विकास का नया आयाम
  युद्धवीर सिंह मलिक 49
- बैंकिंग सुधार से कृषि का उद्धार
  सन्नी कुमार 53
- उद्देश्यपरक बैंकिंग अवधारणा और विकास
  गौरव कुमार 57
- क्या आप जानते है? 62
- परंपरागत भारतीय बैंकिंग व्यवस्था
  रवि शंकर 65

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

शहर	पता	पिनकोड	दूरभाष
नयी दिल्ली	सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	011-23890205
नवी मुंबई	701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बंसल नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ मीनार, कवादिगुड़ा सिकंदराबाद	50080	040-27535383
बंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	061-22683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगंज	226024	0522-2225455
अहमदाबाद	अंबिका कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर	380007	079-26588669
गुवाहाटी	मकान सं. 4, पेंशन पारा रोड, गुवाहाटी	781003	030-2665090

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, उड़िया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित

आपकी राय

बेरोजगार युवाओं को कुटीर उद्योगों से जोड़ें

आजादी से पहले महात्मा गांधी ने खादी को एक सशक्त लघु कुटीर उद्योग के रूप में स्थापित कर ले गए जो आज भी भारत की आर्थिक नींव में मजबूती प्रदान कर रहा है। स्वतंत्रता के बाद नेहरू सरकार ने विश्व में औद्योगिक शक्ति के रूप में देश को आगे लाने के लिए बड़े बड़े कल कारखानें सार्वजनिक संस्थान को निर्माण कर प्रोत्साहित किया। पर आज भारत में औद्योगिक व्यवस्था पूंजीपतियों में सिमटती जा रही है। लेकिन लघु एवं कुटीर उद्योगों पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया इसलिए ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगारों की फौज करोड़ों में तैयार हो गयी है वो तो मोटी कमाई वाली नौकरी पाना चाहते हैं। ऐसी मानसिकता से देश में सुस्ती और आलस्य का माहौल पैदा हो रहा है।

सरकार को लघु एवं कुटीर उद्योगों की बेहतरी के लिए रिसर्च केंद्र बनाकर उसे हाईटेक बनाना चाहिए जिससे देश में औद्योगिक मजबूती के साथ हर हाथ को एक कुटीर उद्योग की परिकल्पना साकार हो सके। ऐसा होने पर ही सरकार की सफलता वास्तविक मानी जाएगी। यह सही है कि लघु एवं कुटीर उद्योग से तकरीबन 11 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है उच्च शिक्षित बेरोजगारों का ध्यान इस तरफ आकृष्ट कर उन्हें जीवन में खुशहाली लाने का भरोसा जगायें। लाखो इंजीनियर बड़ी-बड़ी कम्पनियों में नौकरियां तलाशते हैं पर वो उनके स्तर का आकलन नहीं कर पाते हैं और हक़ीकत के धरातल पर गिरकर उनके सपने चूर-चूर हो जाते हैं! मध्यमवर्गीय नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती है तो वो बिज़नेस कर लेते हैं। वो बिजनेस विपणन या मार्केटिंग आधारित होता है जैसे हर गली मुहल्ले में खुलती छोटी-छोटी दुकानें होती हैं जो अक्सर दस पंद्रह साल में आर्थिक परिस्थितियां बदलने से उनकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है। उस वक्त नौजवान प्रौढ़ होकर अपनी शारीरिक शक्ति कम होने से अधिक ध्यान नहीं दे पाता है लेकिन लघु एवं कुटीर उद्योग चलाने वाले लोग प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग की सारी व्यवस्था में भागदौड़ करने से लगभग 70-80 साल तक चुस्त-दुरुस्त रहता है।

सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के लिए हर साल अरबों रुपये उपलब्ध की जा सकती है पर लघु एवं कुटीर उद्योगों को जन जन में लोकप्रिय बनाने की पहल क्यूं नहीं की जाती है। उन्हें धन मुहैया करने के लिए पारदर्शी सिस्टम अपनाना चाहिए। इनके विकास के लिए सिर्फ सरकार की जवाबदेही ही नहीं है वरन उन रिटायर्ड नौकरशाहों की जवाबदेही बननी चाहिए जो अपने बेटे बेटियों के लिए सब कुछ लुटा देते हैं। वो अपने जीवनकाल में कम से कम दस गरीब नौजवानों को दस हजार रुपये में कुटीर उद्योग की व्यवस्था क्यों नहीं कराते हैं जो उनके ऊपर आर्थिक बोझ नहीं बनेगी वरन आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होगी। इसी तरह बड़ी-बड़ी कम्पनियों के मैनेजर करोड़ों रुपये पगार में लेकर उसे महंगी गाड़ियों फाइव स्टार होटलों में विलायती शराबों में उड़ाते हैं। जब इन काबिल लोगों की ऐसी अस्वस्थ मानसिकता है तो इसे बदलने के लिए कौन पहल करेगा। उच्च शिक्षित गरीब नौजवान अपनी तथा अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए कहीं पराश्रित होकर छोटी मोटी नौकरी करने लगते हैं। उन्हें इस स्थिति से संतोष नहीं होता है और घुट घुट कर जिंदगी भर मरते हैं। हमे हमेशा याद रखना चाहिए कि विकसित देशो की जनसंख्या बड़ी तेजी से अधेड़ होती जा रही है। पर हमारा देश 2020 तक दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक होगा। इस स्थिति में इन उद्योगों को प्रोत्साहन मिले तो आने वाले पंद्रह-बिस सालों में भारत मार्केटिंग से लेकर प्रोडक्शन

के मामले में विश्व अर्थव्यस्था की केंद्र बन जाएगा।

लघु उद्योगों का सशक्तीकरण ग्रामीण इलाकों में आर्थिक मजबूती ला सकता है! एक बात और हमारे देश के नौजवानों में भीतर से काम करने की भावना होनी चाहिए तभी हमारे दूरदर्शी नीति नियंताओं की नीति सफल होगी यदि आपमें कोई खास प्रतिभा है तो उसका उपयोग व्यवसाय में कर रहे हैं तो ठीक है। यदि अन्य व्यवसायों से पर्याप्त धनार्जन कर लेते हैं तो अपनी खास प्रतिभा से समाज के दबे कुचले लोगों का हौसला अफजाई कर देश के विकास में योगदान कर सकते हैं। यह योगदान लघु एवं कुटीर उद्योग भी प्रदान करता है साथ में हर व्यक्ति की आर्थिक मानसिक खुशहाली भी सुनिश्चित भी करता है।

– डी पी सिंह
पत्रकार और कवि
2/159, विश्वास खंड, गोमती नगर,
लखनऊ, (उत्तर प्रदेश)

कुटिर उद्योग पर्यावरण के अनुरूप

योजना (नवंबर 2017) का लघु एवं कुटीर उद्योग पर केंद्रित अंक पढ़ा। सकल घरेलू उत्पाद में लघु एवं कुटीर उद्योग की 17 प्रतिशत भागीदारी है। इससे 11 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। लघु उद्योग एक ओर देश के बड़े उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है तो दूसरी ओर यह श्रम सघन होने के चलते, बड़ी संख्या में देश की कार्यशील जनसंख्या को रोजगार भी देता है। सारगर्भित सम्पादकीय के साथ साथ अरुण जी रेड्डी जी का लेख अच्छा है। अनिल भारद्वाज जी ने इससे जुड़ी चुनौतियों पर बखूबी प्रकाश डाला है। देश के प्रधान मंत्री समय-समय पर मन की बात तथा अन्य मंचों से लघु उद्योगों के तेज विकास की हिमायत करते रहे हैं। खादी उद्योग के लिए उनका प्रोत्साहन सर्वजनित है। उन्होंने जीरो इफ़ेक्ट जीरो डिफेक्ट की सुंदर संकल्पना दी है।

भारत सरकार ने स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, मुद्रा योजना आदि के माध्यम से लघु एवं कुटीर उद्योग को बहुआयामी संबल प्रदान किया है। चंदन कुमार जी का आलेख उद्योग और पर्यावरण संबंधी जागरूकता के कारण महत्वपूर्ण है। भारत 2015 में पेरिस जलवायु संधि के अग्रिम व महत्वपूर्ण हस्ताक्षरकर्ता है। लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देकर भारत जलवायु संबंधी अपने दायित्वों को भी पूरा कर सकेगा, ऐसी आशा की जा सकती है।

– आशीष कुमार
उन्नाव, उत्तर प्रदेश

कुटीर उद्योग सामाजिक ताना-बाना

'लघु एवं कुटीर उद्योग' पर आधारित नवंबर अंक अत्यंत शानदार रहा। शायद यह अंक वित्तीय संस्थाओं में थोड़ा विश्वास जागृत कर पाये कि छोटी इकाइयां और छोटे उपक्रम भी वांछित सहायता प्राप्त कर देश की उन्नति में सहायक हो सकते हैं। लघु एवं कुटीर उद्योग तो प्राचीनकाल से ही हमारे सामाजिक ताने-बाने की संजीवनी रहे हैं। अरुण पांडा ने अपने आलेख में जहां उन उद्योगों की अपार संभावनाओं के साथ बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करने की वकालत की है तो चंद्रशेखर रेड्डी जी का आलेख प्रोत्साहन योजनाओं पर बल देता है। जतिंदर सिंह जी का आलेख प्रतिस्पर्धा की दौड़ में भी गुणवत्ता पर अधिक बल दिए जाने की सिफारिश करता है।

खादी उद्योग में भी अपार संभावनाएं हैं और सबसे बड़ी बात कि ये उद्योग पर्यावरण की दृष्टि से भी अनुकूल हैं और आर्थिक अस्थिरता के समय में भी बहुत लोगों के लिए रामबाण बनते हैं।

– रजनीश त्रिवेदी
पीजीटी (हिन्दी)
जीआरएम सीनियर सेके. स्कूल,
बरेली (उ.प्र.)-243122

योजना
आगामी अंक

फरवरी 2018

लोक शिकायत निवारण

आपकी राय व सुझावों की प्रतीक्षा है...

Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को समर्पित मासिक पत्रिका

दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स टुडे

वर्ष 3 | अंक 7 | कुल अंक 31 | जनवरी 2018 | ₹ 100

प्रमुख आकर्षण

- महत्त्वपूर्ण लेख
- टू द पॉइंट
- ऑडियो आर्टिकल
- टॉपर्स की डायरी
- महत्त्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाओं का जिस्ट

अब और भी बेहतर स्वरूप में...

- ☑ समसामयिक मुद्दों पर आधारित महत्त्वपूर्ण लेख।
- ☑ आगामी मुख्य परीक्षा के लिये सामान्य अध्ययन पर महत्त्वपूर्ण सामग्री।
- ☑ प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पर केंद्रित सामान्य अध्ययन के विभिन्न खण्डों के रिवीज़न के लिये 'टू द पॉइंट' सामग्री।
- ☑ प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं (साइंस रिपोर्टर, डाउन टू अर्थ, इकॉनमिक एंड पोलिटिकल वीकली, द हिन्दू आदि) के महत्त्वपूर्ण लेखों का सारांश।
- ☑ मुख्य परीक्षा 2017 के सॉल्व्ड निबंध।
- ☑ तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिये प्रेरणादायक कॉलम।
- ☑ इंटरव्यू की तैयारी के लिये महत्त्वपूर्ण सामग्री।

पत्रिका का सैम्पल निःशुल्क पढ़ने के लिये हमारी वेबसाइट: www.drishtiias.com पर विज़िट करें।

To Subscribe, Call - 8130392351, 8130392359

For business/advertising enquiry, Call - 8130392355

Web : www.drishtiias.com, Email : info@drishtipublications.com

YH-643/9/2017

संपादकीय

बेहतर बैंकिंग की ओर

बचत की अवधारणा दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में हमेशा से रही है। मुद्रा/सोने की मुहरें बर्तनों में इकट्ठी करने और उन्हें जमीन के भीतर दबा देने का काम प्राचीन काल में पूरी दुनिया में किया गया है। साम्राज्य में कर के रूप में एकत्र किये गये या अपने अधीन जागीरदारों/राज्यों से शुल्क के रूप में वसूले गये धन को राजकोष में रखा जाता था।

आधुनिक बैंकिंग के आविष्कार के साथ ही धन घरों से बैंकों में पहुंच गया। लोगों को धन और गहने बैंकों में जमा करना अधिक सुरक्षित लगा क्योंकि वहां उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए अलग कमरे होते हैं। बैंकों ने जमा धन पर ब्याज भी दिया, जिससे अतिरिक्त आय हो गयी। बैंकों ने उस जमा राशि को विभिन्न शेयरों और प्रतिभूतियों में निवेश करना शुरू कर दिया। इस तरह निवेश बैंकिंग और कारपोरेट बैंकिंग की नयी व्यवस्था आरंभ हुई। सरकारी धन भी राजा के खजाने से निकलकर केंद्रीय बैंक में पहुंच गया, जो धीरे-धीरे मौद्रिक नीति का नियामक भी बन गया। आज कोई केंद्रीय नियामक बैंक के बगैर अर्थव्यवस्था की कल्पना भी नहीं कर सकता। भारत में केंद्रीय बैंक यानि *भारतीय रिजर्व बैंक* केवल सरकारी धन ही जमा नहीं रखता है बल्कि वह मौद्रिक नीति का नियामक, बैंकों का बैंकर और मुद्रा नियामक भी बन चुका है।

भारत में बैंकिंग व्यवस्था छोटे, निजी वाणिज्यिक बैंकों से शुरू हुई लेकिन जब उनमें से कुछ नाकाम होने लगे या उनमें जमा राशि बैंकरों द्वारा चुपके से निकाली जाने लगी और ग्राहकों की जमा की गयी मेहनत की कमायी डूब गयी तो सरकार हरकत में आयी और उसने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इस बड़े सुधार से यह सुनिश्चित हो गया कि बैंक को होने वाले किसी भी घाटे का ग्राहकों पर असर नहीं पड़ेगा या बैंक ग्राहकों की रकम का दुरूपयोग नहीं कर पाएंगे। उसके बाद के वर्षों में धीरे-धीरे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के नियमन के लिए अन्य व्यवस्थाएं बनायी गयी। बैंकिंग क्षेत्र पर *नरसिम्हन समिति* की सिफारिशें इस दिशा में एक और प्रमुख सोपान साबित हुई। उसके बाद बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता एवं प्रशासन सुधारने के उद्देश्य से एक के बाद कई सुधार किये गये।

एक समय सरकार को लगा कि वैश्विक चलन की तर्ज पर अन्य क्षेत्रों की तरह बैंकिंग क्षेत्र में भी निजीकरण होना चाहिए। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस और येस बैंक जैसे निजी क्षेत्र के बैंकों को भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में काम करने की अनुमति दे दी गयी। ये बैंक ग्राहकों की संतुष्टि प्राप्त करने के मामले में सार्वजनिक बैंकों के मुकाबले अधिक सफल साबित हुए और कॉर्पोरेट बैंकिंग तथा खुदरा बैंकिंग में मुख्य स्तंभ बन गये। उनसे सीख लेते हुए सार्वजनिक बैंक भी ग्राहकों के अधिक अनुकूल बनने लगे और उन्होंने अपने कामकाज में प्रौद्योगिकी से जुड़े सुधार लागू किये।

अनिष्पादित संपत्तियों (एनपीए) की समस्या सफल बैंकिंग की राह में बहुत बड़ा रोड़ा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र, भारत के अधिकतर बैंकों के लिए यह चिंता का बड़ा कारण रही है। बैंकिंग क्षेत्र में इस बड़ी समस्या के समाधान के लिए सरकार ने मिशन इंद्रधनुष की घोषणा की, जो पुनर्पूजीकरण, बैंकिंग बोर्ड ब्यूरो के गठन और जवाबदेही का ढांचा तैयार करने पर केंद्रित है। बाद में धनशोधन अक्षमता और दिवालिया कानून ने एनपीए की समस्या सुलझाने का एक और रास्ता मुहैया कराया।

आधुनिक बैंकिंग विशेषकर नकद रहित अर्थव्यस्था और बैंकिंग लेनदेन के डिजिटलीकरण के दौर में साइबर सुरक्षा चिंता का एक और विषय है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने आईआईटी जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर विभिन्न तरीकों से इससे निपटने के प्रयास किये हैं। जन-धन योजना और डीबीटी जैसी योजनाओं के माध्यम से बैंकिंग के जरिये वित्तीय समावेश पर सरकार का बहुत जोर है। ग्रामीण बैंकिंग भी चिंता का एक और विषय है क्योंकि दुर्गम होने के कारण कई क्षेत्रों में अब भी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। कम साक्षरता, बैंकिंग सेवाओं की अनुपलब्धता आदि के कारण बड़ी तादाद में ग्रामीण जनता अब भी बैंकिंग प्रणाली के प्रति सहज अनुभव नहीं करती है। सरकार ने बैंकिंग कॉरेस्पांडेंट की नियुक्ति कर इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है। ये कॉरेस्पांडेंट बैंकों तथा ग्रामीण जनता के बीच कड़ी का काम करते हैं।

अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं को बैंकिंग सुधारों की अवधारणा एक समस्या लग सकती है लेकिन बैंक वह स्थान है, जहां लोग विश्वास के साथ अपनी मेहनत की कमायी रखते हैं। अपने धन पर अपना नियंत्रण हो तो तनाव बहुत कम हो जाता है और सक्षम बैंकिंग व्यवस्था हर किसी के जीवन से यह तनाव दूर करने की कुंजी है। ❑

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

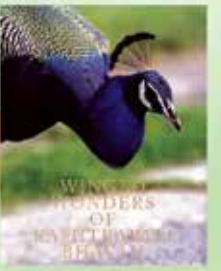

विश्व पुस्तक मेला

प्रगति मैदान, नई दिल्ली
(6-14 जनवरी 2018)
आप सादर आमंत्रित हैं।

भारत की सांस्कृतिक धरोहर
को जन-जन तक पहुंचाती पुस्तकें

गांधी साहित्य, जीवनियां,
बाल साहित्य, पर्यावरण,
कला-संस्कृति और
विविध विषयों की
अनेक श्रेष्ठ पुस्तकें

हमारी पुस्तकें ऑनलाइन खरीदने के लिए कृपया **www.bharatkosh.gov.in** पर जाएं।
ऑर्डर के लिए संपर्क करें : फोन : 011-24367260, 24365609, ई-मेल : businesswng@gmail.com

वेबसाइट : **www.publicationsdivision.nic.in**

@ DPD_India

www.facebook.com/publicationsdivision
www.facebook.com/yojanaJournal

बैंकिंग सेक्टर में सुधार

आतिशा कुमार

साल 2000 में बैंकिंग सुधार से जुड़ी कई कमेटियां बनाई गईं और इसके बाद और सुधारों को आगे बढ़ाया गया। वित्तीय क्षेत्र में सुधार पर बनी कमेटी में देश की मैक्रो अर्थव्यवस्था और नियामकीय ढांचे, वित्तीय समग्रता और घरेलू वित्तीय विकास को लेकर भी सुझाव दिए गए थे। 2014 में पी जे नायक की अगुवाई में बैंकों में बोर्ड के कामकाज की समीक्षा के लिए कमेटी बनाई गई। इसकी अहम सिफारिशें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कामकाज और प्रबंधन को बेहतर बनाना था, जिनकी देश के बैंकिंग सेक्टर में बड़े पैमाने पर मौजूदगी है

फर्मों और परिवारों दोनों के लिए बैंकिंग सिस्टम भारत में कर्ज हासिल करने का अहम जरिया है। बैंकों का आकार, चुनौतियों से निपटने की उनकी क्षमता और पूंजी का उनका स्तर वित्तीय बाजारों के सुचारु रूप से काम करने के लिए बेहद अहम हैं। भारत में बैंकिंग सेक्टर में सरकार के नियंत्रण वाले बैंकों की बड़ी संख्या है। बैंकिंग सिस्टम के लिए मुख्य चुनौतियों में उनकी अनिष्पादित संपत्तियों में बढ़ोतरी और बड़ी संख्या में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मौजूदगी है।

इन वजहों से बैंकों को औद्योगिक कर्ज मुहैया कराने और अंतरराष्ट्रीय पूंजी की जरूरतों को पूरा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए मौजूदा उपाय पर्याप्त नहीं रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए हमें आने वाले वक्त में तीन क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है: बैंकों के गवर्नेंस में सुधार, सेक्टर में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट विकसित करना, ताकि बैंकों पर उधारी के स्रोत के रूप में दबाव कम हो सके।

भारत में बैंकों के सुधार का इतिहास

1991 से पहले भारत बड़े पैमाने पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर रहा था। सरकार ने 1969 में 50 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट वाले बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इसके जरिये उसने 80 फीसदी से ज्यादा बैंक शाखाओं पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। सरकार ने 1980 में कई और बैंकों को अपने नियंत्रण में लिया और देश भर में 200 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट वाले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इस तरह से तकरीबन 90 फीसदी बैंकों का नियंत्रण सरकार के पास हो गया और लंबे समय तक यह मामला बना रहा।

1969 से 1991 के बीच बैंकों का जबरदस्त विस्तार हुआ। इनकी जमा और कर्ज के बिजनेस में भी काफी बढ़ोतरी हुई। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को कर्ज देने में 14 से 41 फीसदी के बीच बढ़ोतरी हुई। हालांकि, 1991 तक बैंकों की दक्षता और उत्पादकता में गिरावट होने लगी। ग्राहकों की सेवा की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी और मुनाफा भी कम होने लगी। 1991 में जब सरकार ने अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की शुरुआत की तो उसने बैंकिंग क्षेत्र में कई तरह के सुधार किए। एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में वित्तीय प्रणाली से जुड़ी कमेटी ने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) और नकद आरक्षी अनुपात (सीआरआर) को घटाने की सिफारिश की, ताकि बैंकों के संसाधनों को मुक्त किया जा सके, ब्याज दरों को तय करने के लिए बाजार की ताकतों पर निर्भरता हो और प्राइवेट और विदेशी बैंकों का भारत में प्रवेश आसान हो सके, जिससे इस सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़े और सरकारी बैंकों की संख्या घट सके। कमेटी की कई सिफारिशों को लागू किया गया। इनमें एसएलआर और सीआरआर में कटौती, बाजार के हिसाब से ब्याज दर तय किया जाना और नए प्राइवेट और विदेशी बैंकों को खोला जाना शामिल था।

नरसिम्हन की अगुवाई में बैंकिंग सेक्टर में सुधार को लेकर बनी कमेटी ने बैंकिंग सेक्टर को और मजबूत बनाने के लिए 1998 में कई और उपायों की सिफारिश कीं। इसने

लेखिका नीति आयोग में कार्यरत अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने व्यापार, वित्त और प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया है। इसके पहले वाशिंगटन विश्व बैंक में भी काम किया है। ईमेल: atisha.kumar@nic.in

मौजूदा उपायों में हुई प्रगति की समीक्षा की और बैंकों के विलय, पूंजी की पर्याप्तता और नियम-कानून से जुड़े कई और उपायों का प्रस्ताव किया। इसके अलावा, 1998 में कमेटी ने बैंकों में तकनीक के ज्यादा इस्तेमाल, कौशल प्रशिक्षण और प्रोफेशनल मैनेजमेंट संबंधी कदमों का भी सुझाव दिया।

ऐसे कई सुधारों को 1991 से लागू किया गया, जिससे देश के बैंकिंग सेक्टर के प्रदर्शन और ताकत में सुधार हुआ। मिसाल के तौर पर बैंकिंग सिस्टम के उधारी की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में हिस्सेदारी 1990 में 51.5 फीसदी थी, तो 2000 में बढ़कर 53.4 फीसदी हो गई। हालांकि, यह बाकी देशों में यह जीडीपी अनुपात और उधारी के अनुपात का मामला काफी ज्यादा था। साल 2000 में चीन में यह अनुपात 133 फीसदी, मलेशिया में 143 फीसदी और थाईलैंड में 122 फीसदी था।

साल 2000 में बैंकिंग सुधार से जुड़ी कई कमेटियां बनाई गईं और इसके बाद और सुधारों को आगे बढ़ाया गया। वित्तीय क्षेत्र में सुधार पर बनी कमेटी में देश की मैक्रो अर्थव्यवस्था और नियामकीय ढांचे, वित्तीय समग्रता और घरेलू वित्तीय विकास को लेकर भी सुझाव दिए गए थे। 2014 में पी जे नायक की अगुवाई में बैंकों में बोर्ड के कामकाज की समीक्षा के लिए कमेटी बनाई गई। इसकी अहम सिफारिशें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कामकाज और प्रबंधन को बेहतर बनाना था, जिनकी देश के बैंकिंग सेक्टर में बड़े पैमाने पर मौजूदगी है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का दबदबा

आज भी देश के बैंकिंग सिस्टम में सार्वजनिक क्षेत्र यानि सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी काफी ज्यादा है। बैंकों की कुल संपत्तियों में इन बैंकों का हिस्सा 70 फीसदी है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रदर्शन पूरे बैंकिंग सिस्टम के प्रदर्शन की नुमाइंदगी करता है। बैंकों की गैर-निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) में इनका सबसे बड़ा योगदान है। मार्च 2016 के मुताबिक, एनपीए में सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी 88 फीसदी थी। वक्त बीतने के साथ हालात और खराब हुए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकारी बैंकों का एनपीए मार्च 2015 में 2.78 लाख करोड़ था, जो जून 2017 में बढ़कर 7.33 लाख हो गया।

तालिका 1: बैंकों के कुल कर्ज में जोखिम वाले कर्ज का हिस्सा (प्रतिशत में)

	मार्च 2008	मार्च 2017
सरकारी बैंक	3.5	15.6
प्राइवेट बैंक	4.2	4.6
विदेशी बैंक	3.0	4.5
सभी बैंक	3.5	12.1

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जोखिम-पूर्ण संपत्तियों (स्ट्रेस्ड एसेट्स) का हिस्सा 16 फीसदी से ज्यादा है। यह प्राइवेट बैंकों के इसी आंकड़े के मुकाबले तीन गुना ज्यादा है। एनपीए में बढ़ोतरी से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ा है और इसका असर रिटर्न ऑन एसेट्स (आरओए) और रिटर्न ऑन इक्विटी (आरओई) रेशियो में भी नजर आता है। ये रेशियो 2016 में नकारात्मक दायरे में चले गए। पिछले एक दशक में ऐसा पहली बार हुआ है।

हालांकि, प्राइवेट बैंक भी एनपीए की बढ़ती हिस्सेदारी से परेशान हैं। मार्च 2016 के मुताबिक सभी व्यावसायिक बैंकों का एनपीए 6.1 लाख करोड़ रुपये था। इसके अलावा, बैंकों की संपत्तियों की गुणवत्ता और मुनाफे में भी गिरावट हो रही है। मार्च 2008 और मार्च 2017 के दौरान बैंकों का स्ट्रेस्ड कर्ज कुल कर्ज के 3.5 फीसदी से बढ़कर 12.1 फीसदी हो गया। वित्त वर्ष 2016-17 की पहली छमाही में बैंकों का टैक्स के बाद मुनाफे में साल दर साल आधार पर गिरावट आई। बैंकों के मुनाफे में गिरावट की मुख्य वजह जोखिम से जुड़े प्रावधानों में बढ़ोतरी, कर्ज का राइट ऑफ और नेट इंटरेस्ट इनकम में गिरावट है।

बैंकिंग सेक्टर में इस तरह की दिक्कतों के कारण औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े कर्ज के वितरण में सुस्ती आ गई है। इससे बैंकों की अंतरराष्ट्रीय पूंजी जरूरतों की क्षमता भी सीमित हुई है। जनवरी 2017 में औद्योगिक क्षेत्र की कर्ज ग्रोथ में 5.1 फीसदी की गिरावट हुई थी, जबकि जनवरी 2016 में इसमें 5.6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी। एनपीए ज्यादा रहने से बैंकों को बाजल-3 के तहत बड़ी पूंजी की जरूरतें पूरी करने में भी दिक्कत होगी। ये शर्तें जनवरी 2019 से अमल में आएंगी।

सरकार ने इस चुनौती से निपटने के लिए बैंकों को फंड दिया है। वित्त वर्ष 2015-16 में इंद्रधनुष प्लान के तहत बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के जरिये एनपीए में भारी बढ़ोतरी और अर्थव्यवस्था पर इसके खराब असर को स्वीकार किया गया था। इसके बुरे नतीजों में बैंकों की कर्ज ग्रोथ में और गिरावट, बैंकों के मुनाफे और पूंजी पर्याप्तता अनुपात में गिरावट शामिल हैं। इससे निपटने के लिए वित्त मंत्रालय ने बैंकों को फिर से पूंजी मुहैया कराने के लए 24 अक्टूबर को 2.1 लाख करोड़ के प्लान का ऐलान किया। ये फंड न सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूंजी की न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने में मदद करेंगे, बल्कि बैंकों को अपनी बैलेंस शीट को साफ करने और बैड कर्ज को कवर करने में भी मदद मिलेगी।

इंद्रधनुष योजना में पुनर्पूंजीकरण के अलावा बैंकिंग सुधार को और व्यापक बनाने की बात है। इसके 7 विंदुओं में जवाबदेही के लिए ढांचा तैया करना, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सीईओ और चेयरमैन के रोल को अलग करना, भर्तियों और गवर्नेंस में सुधार के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबी) बनाना आदि शामिल हैं। हालांकि, इसके अमल पर पूरी तरह से काम नहीं हो पाया है। साथ ही, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) भी एनपीए की चुनौती से निपटने के लए चैनल मुहैया कराता है। इसमें बैंकों और प्रमोटरों को 270 दिनों के भीतर निपटारा प्लान पर सहमत होने या संपत्तियों की बिक्री जैसी कार्रवाई की बात है।

वैश्विक संदर्भ: गहराई और प्रतिस्पर्धा

भारत के बैंक, बाकी वित्तीय संस्थान और बाजार आकार या वित्तीय ताकत के मामले में अपने वैश्विक समकक्षों से पीछे हैं। वित्तीय मजबूती न सिर्फ बैंकिंग सिस्टम के आकार को बढ़ाने में अहम है, बल्कि यह आर्थिक वृद्धि और गरीबी कम करने से भी जुड़ी है। भारत में सरकारी आंकड़ों के हवाले से की गई एक स्टडी के मुताबिक, ग्रामीण इलाकों में गरीबी कम करने में बैंकों की वित्तीय मजबूती का योगदान रहा है। भारत में बाकी विकासशील देशों के मुकाबले प्राइवेट क्रेडिट-जीडीपी और लोन-डिपॉजिट अनुपात कम है। 2015 में भारत का प्राइवेट क्रेडिट-जीडीपी अनुपात

आरेख 1: जीडीपी में बैंकों के डिपॉजिट का हिस्सा (प्रतिशत), 2015

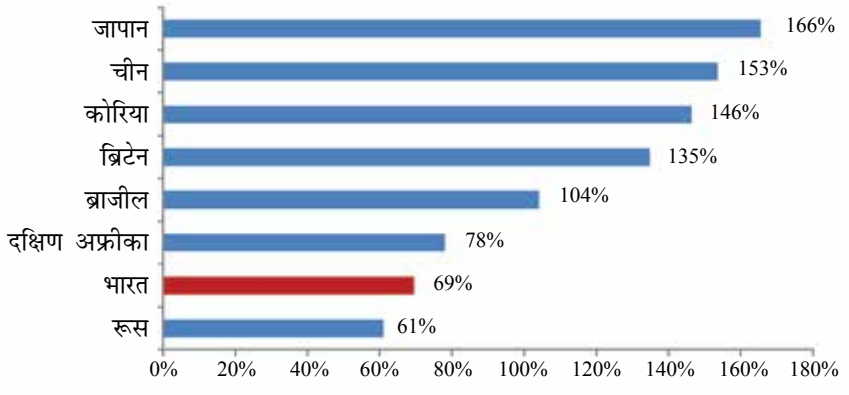

स्रोत: *इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)*

50.2 फीसदी थी, जबकि चीन और ब्राजील का यह आंकड़ा क्रमशः 140 फीसदी और 71 फीसदी रहा।

बैंकिंग सिस्टम में बड़े बैंकों का दबदबा होता है और इसमें कुछ नए खिलाड़ी भी हैं। मार्च 2016 के मुताबिक, टॉप 10 बैंकों (संपत्तियों के हिसाब से रैंकिंग) का सिस्टम की कुल संपत्तियों में 58 फीसदी हिस्सा था। 1991 के बाद पूर्णकालिक बैंकिंग के लिए सिर्फ 14 लाइसेंस दिए गए हैं। इसके उलट अमेरिका में 1976 से 2009 के बीच सालाना 130 नए बैंक वजूद में आए। भारत में विदेशी बैंकों की संख्या काफी कम है। मार्च 2016 के मुताबिक, देश की कुल बैंकिंग संपत्तियों में विदेशी बैंकों की हिस्सेदारी 6 फीसदी थी।

भविष्य की बात

देश को आने वाले वक्त में मजबूत और पर्याप्त पूंजी से लैस बैंकिंग सिस्टम बनाना चाहिए। कर्ज मुहैया कराने और संसाधनों के बेहतर आवंटन के लिए इसकी क्षमता भी बढ़नी चाहिए। बैंकिंग सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए पुनर्पूंजीकरण के अलावा कई अन्य उपाय भी करने होंगे। मसलन कॉरपोरेट गवर्नेंस में सुधार, बिजनेस से जुड़ी बाधाओं को कम करना, वित्तीय देखरेख के काम में सुधार, बेहतर कॉरपोरेट डेट मार्केट विकसित करना और कर्ज की रिकवरी का असरदार सिस्टम।

बैंकिंग सेक्टर में तीन खास क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा सकती है। पहला बैंकों खासतौर पर सरकारी इकाइयों के कामकाज में सुधार और इन्हें मजबूत बनाना। ये सुधार पुनर्पूंजीकरण की तरह भी अहम हैं और इन पर भी साथ-साथ काम करने की जरूरत है। वैश्विक स्तर पर अनुभव बताते हैं कि एनपीए की समस्या से निपटने के लिए बैंकिंग सेक्टर में सुधार वाले कदम काफी कारगर रहे हैं। मिसाल के तौर पर चीन में पुनर्पूंजीकरण के अलावा बैंकिंग सेक्टर में सुधार पर काफी फोकस किया गया। इसके तहत वित्तीय नियमन और निगरानी को मजबूत किया गया, कॉरपोरेट गवर्नेंस को बेहतर बनाया गया और पारदर्शिता बढ़ाई गई।

इसी तरह, दक्षिण कोरिया ने 1990 के दशक के आखिर में पूर्वी एशियाई देशों में आए वित्तीय संकट के बाद फाइनेंशियल सुपरवाइजरी सर्विस (एफएसएस) का गठन किया, ताकि उनके बैंकों की बेहतर तरीके से देखरेख हो सके। कुछ हद तक सरकार पहले ही बैंकों के कामकाज को बेहतर बनाने की जरूरत को स्वीकार कर चुकी है। इंद्रधनुष योजना ने बैंक अधिकारियों से जुड़े रोजगार पर नजर रखने के लिए स्वतंत्र बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाने का सुझाव दिया था। अगर वाकई में स्वतंत्र ब्यूरो का गठन किया जाता है, तो इसका सरकारी बैंकों के कामकाज पर गहरा असर होगा। ज्यादा जवाबदेही बैंकों की कर्ज देने के सिस्टम में बेहतरी सुनिश्चित कर सकती है। हमें यह पक्का करने की जरूरत है कि इस पर अमल समयबद्ध तरीके से हो।

सुधार का दूसरा क्षेत्र कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट विकसित करना है। बॉन्ड मार्केट को वित्त के अहम साधन के तौर पर बैंकों के पूरक बनने की जरूरत है। लिक्विड और डीप बॉन्ड मार्केट फर्मों को सस्ते में कर्ज जुटाने में मदद करेंगे। आदर्श स्थिति के तहत आने वाले समय में कॉरपोरेट कर्ज के साधन के तौर पर बॉन्ड मार्केट की हिस्सेदारी बढ़ेगी और उधारी में बैंकों की हिस्सेदारी घटेगी।

बैंकिंग सेक्टर में सुधार का तीसरा क्षेत्र बैंकिंग क्षेत्र को लगातार प्रतिस्पर्धी बनाए रखना है। इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा तेज करने और नवाचार के लिए भारत को प्राइवेट और विदेशी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। बैंकों के लिए 'ऑन-टैप' (हमेशा या कभी भी) लाइसेंस की नई पॉलिसी इस दिशा में सकारात्मक कदम है। हालांकि, बैंकिंग सेक्टर में प्रवेश से जुड़ी बाधाओं को कम करने के लिए शर्तों में और ढील दी जा सकती है। सब्सिडियरी ढांचे की वकालत करना न सिर्फ विदेशी बैंकों को भारतीय बैंकिंग सेक्टर में घुसने के लिए प्रोत्साहित करेगा, बल्कि इससे वैश्विक झटकों का खतरा भी सीमित करने में मदद मिलेगी। लंबे वक्त में प्रतिस्पर्धा बढ़ने से बैंकिंग सेक्टर की क्षमता और मुनाफे में बेहतरी आएगी।

देश में बैंकिंग सेक्टर में सुधार में ऐतिहासिक तौर पर (खासतौर पर 1990 के दशक से) प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, गवर्नेंस और नियमन को मजबूत करने पर ध्यान रहा है। भविष्य में होने वाले सुधार के जरिये इन क्षेत्रों में और बेहतरी आनी चाहिए और पिछली गलतियों से भी सीखने की जरूरत है। ❑

संदर्भ

- 1998, बैंकिंग सेक्टर में सुधार पर कमेटी की रिपोर्ट। भारत सरकार।
- 2009 'ए हंड्रेड स्मॉल स्टेप्स: कमेटी रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म', सेज पब्लिकेशन, http%//planningcommission.nic.in/reports/genrep/rep_fr/cfsr_all.pdf
- 'फाइनेंस, फाइनेंशियल सेक्टर पॉलिसी और लॉन्ग रन ग्रोथ'। एम स्पेन्स ग्रोथ कमीशन बैकग्राउंड पेपर 11, वर्ल्ड बैंक , वॉशिंगटन डीसी।
- अय्यागरी, मेघना, बेक, थॉर्स्टन और हुसैनी मोहम्मद, फाइनेंस एंड पोवर्टी: एविडेंस फ्रॉम इंडिया (जून 2013), शीईपीआर डिस्कशन पेपर नंबर... डीपी 9497।
- इंडीकेटर बैंकों और बाकी वित्तीय संस्थानों के प्राइवेट क्रेडिट और डिपॉजिट और जीडीपी से जुड़ा अनुपात बताता है।
- स्रोत : इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)
- 6 एडम्स, रॉबर्ट एम और जैकब ग्रैमलिच 'वेयर आर ऑल द न्यू बैंक्स? द रोल ऑफ रेगुलेटरी बर्डन इन न्यू बैंक फॉर्मेशन' रिव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गनाइजेशन 48.2 (2016):181-208।

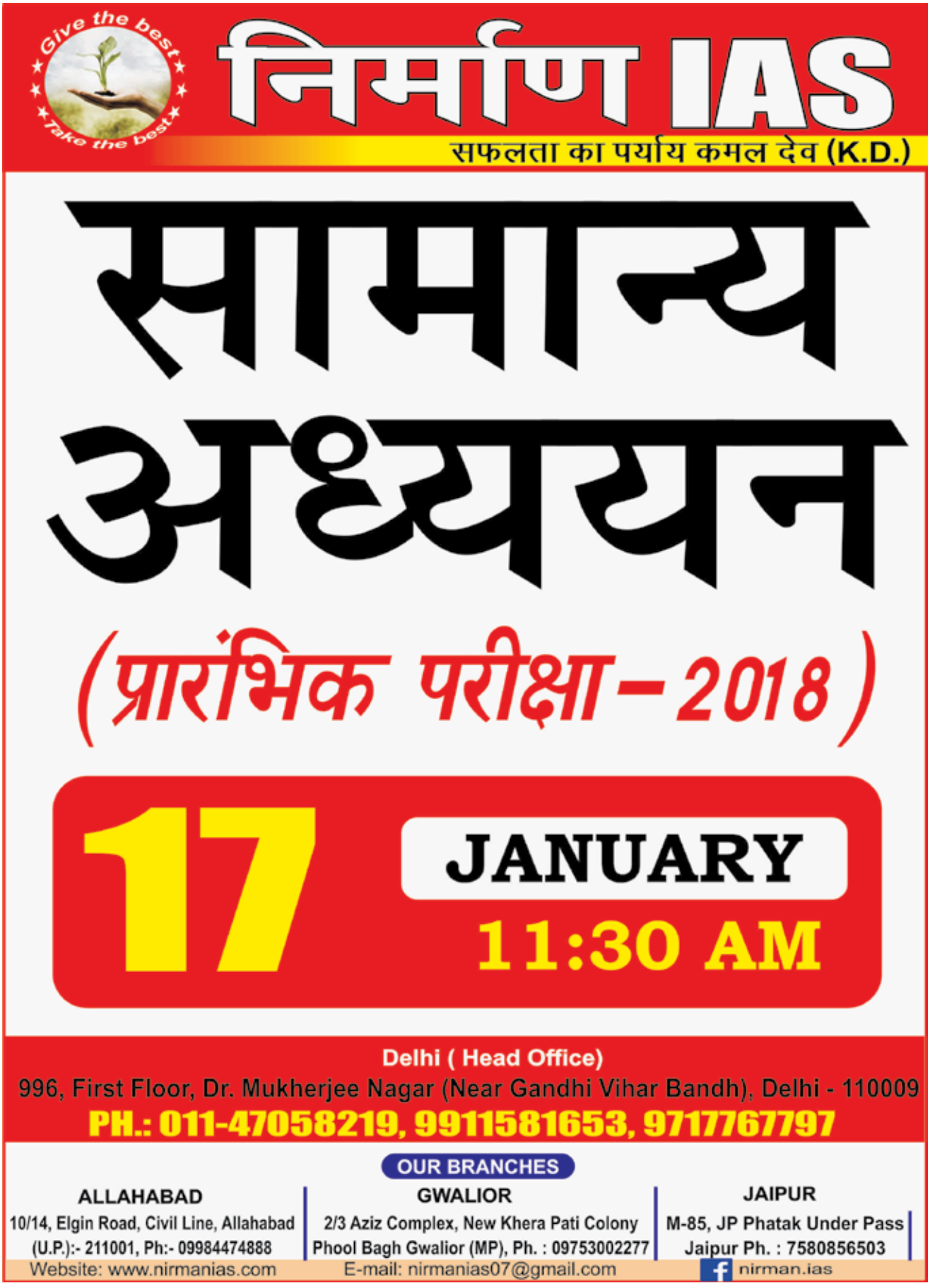
Give the best
Take the best
निर्माण IAS
सफलता का पर्याय कमल देव (K.D.)
सामान्य अध्ययन
(प्रारंभिक परीक्षा–2018)
17
JANUARY
11:30 AM
Delhi (Head Office)
996, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar (Near Gandhi Vihar Bandh), Delhi - 110009
PH.: 011-47058219, 9911581653, 9717767797
OUR BRANCHES
ALLAHABAD
10/14, Elgin Road, Civil Line, Allahabad
(U.P.):- 211001, Ph:- 09984474888
GWALIOR
2/3 Aziz Complex, New Khera Pati Colony
Phool Bagh Gwalior (MP), Ph. : 09753002277
JAIPUR
M-85, JP Phatak Under Pass
Jaipur Ph. : 7580856503
Website: www.nirmanias.com
E-mail: nirmanias07@gmail.com
nirman.ias
YH-717/4/2017

बैंकिंग क्षेत्र: कल, आज और कल

विवेक कुमार
संकेत टंडन
शुभदा राव

भविष्य में प्रौद्योगिकी बैंकिंग रूपरेखा को परिभाषित करेगी। इसमें बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, स्मार्ट फोन और ऐसे अन्य नवाचार शामिल होंगे। ग्राहकों का बैंकों के साथ संवाद करने का तरीका पूर्णत: बदल जाएगा। उदाहरण के लिए, ग्राहकों के मोबाइल फोन पर विभिन्न ऑफरों की पेशकश, वैयक्तिक संपर्क के लिए होम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम का उपयोग, प्रभावी बिक्री के लिए फेस डिटेक्शन प्रौद्योगिकी का उपयोग ऐसे कुछ तरीके हैं जिनके माध्यम से प्रौद्योगिकी भविष्य में बैंकिंग की सहायता करेगी और यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मोबाइल बैंकिंग और मोबाइल भुगतान व वाणिज्य वास्तव में भविष्य की बैंकिंग है

वर्ष 2018 में भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव होने की संभावना है। पहली बार देश की प्रति व्यक्ति डॉलर आय 2000 पर पहुंचेगी। यह वह सीमा रेखा है जो वैश्विक आर्थिक इतिहास में आमतौर पर घरेलू उपभोग में कई गुणा विस्तार से जुड़ी होती है। इसमें लोगों की जरूरतों और विलासिता के साथ-साथ वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदने की क्षमता में भी सुधार देखने को मिलता है।

इस आर्थिक परिवर्तन में भारतीय बैंकिंग प्रणाली को अग्रणी भूमिका निभानी होगी। हम न केवल बैंकिंग सेवाओं में निरंतर वृद्धि देखने जा रहे हैं, बल्कि हम समाधान और वितरण के बढ़ते परिष्करण को भी देखेंगे।

सुधारों पर बैंकिंग क्षेत्र की प्रतिक्रिया

इस विषय पर चर्चा प्रारंभ करने से पहले इसकी संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना भी अनिवार्य हो जाता है। 1969 व 1980 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात्, बैंकिंग क्षेत्र ने 1991 की अवधि के बाद दूरगामी सुधारों के अगले चरण को देखा था। क्रेडिट प्रक्रियाओं और ब्याज दर संरचनाओं का अविनियमन, पूर्व-छूटों में क्रमिक कटौती, सीबीएस में प्रवेश और नये युग की निजी क्षेत्र की बैंकिंग प्रणाली के लाइसेंसिंग ने 21वीं सदी के दशकों में बैंकिंग सेवाओं के तीव्र विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया और यह आश्चर्यजनक नहीं है कि वित्त वर्ष 1997 में बैंकों में जमा राशि का सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत 35.6 की तुलना में बढ़कर वित्त वर्ष 2007 में 60.8 प्रतिशत हो गया है। जबकि ऋण की प्रतिशतता वित्त वर्ष 1997 में सकल घरेलू उत्पाद के 19.6 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 2007 में बढ़कर दोगुने से भी अधिक हो गयी है। वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से आर्थिक और वित्तीय बाजार में अत्यधिक अस्थिरता के बावजूद अगले 10 वर्षों में जीडीपी के संबंध में जमाराशि और ऋण अनुपात क्रमश: 71.2 प्रतिशत और 51.9 प्रतिशत हो गया।

इस विस्तार (1990 में) के प्रारंभिक चरण में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का वर्चस्व था। हालांकि यह परिदृश्य धीरे-धीरे बदलना शुरू हो गया क्योंकि अर्थव्यवस्था में ऋण प्रसार की प्रक्रिया में निजी क्षेत्र के बैंकों की भूमिका सहायक बैंकों से बदलकर मुख्य उत्प्रेरक के रूप में हो गयी। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि वित्त वर्ष 2007 में निजी क्षेत्र के बैंकों का बकाया ऋण में 20 प्रतिशत हिस्सा था, जो अब वित्त वर्ष 2017 के मुकाबले 29 प्रतिशत है। निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा जारी किये गये वृद्धिशील ऋण के 75 प्रतिशत के साथ वृद्धिशील ऋण में हिस्सेदारी भी स्थिर है। यह तर्क दिया जा सकता है कि उपरोक्त आंकड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर परिसंपत्ति गुणवत्ता के मामले में पक्षपातपूर्ण हैं जिनके कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर बिना वजह का भार पड़ता है। हालांकि उन्होंने अर्थव्यवस्था में अलग-अलग भूमिका निभायी है, परन्तु वर्ष 2010 से निजी क्षेत्र के बैंकों की क्रेडिट

विवेक कुमार वरिष्ठ अर्थशास्त्री और यस बैंक मुंबई के उपाध्यक्ष हैं। इन्हें अर्थशास्त्र के शोध क्षेत्र में भारतीय वित्त बाजार में विशेषज्ञता हासिल है। ईमेल: vivek.kumar1@yesbank.in
संकेत टंडन यस बैंक मुंबई के वाणिज्य अर्थशास्त्र बैंकिंग प्रभाग के उपाध्यक्ष हैं। ईमेल: sanket.tandon@yesbank.in
शुभदा राव यस बैंक की समूह अध्यक्ष मुख्य अर्थशास्त्री हैं और वाणिज्य और बैंकिंग व्यवस्था की विशेषज्ञ है। ईमेल: shubhada.rao@yesbank.in

वृद्धि ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में वृद्धि को निरंतर पीछे छोड़ दिया है।

निजी क्षेत्र के बैंकों के विकास की तीव्र गति का मुख्य कारण यह है कि वे ग्राहकों की उभरती जरूरतों को निरन्तर पूर्ण करने में सफल हुए हैं। निजी क्षेत्र के बैंक बेहतर ग्राहक अनुभव पर अपना ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हैं। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि निजी क्षेत्र के बैंक जमाराशि में भी अपना एक बड़ा हिस्सा बना लेने में सफल हो पाये हैं। निजी क्षेत्र के बैंकों की जमा राशि का प्रतिशत वित्त वर्ष 2007 में 20 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 2017 में बढ़कर 24 प्रतिशत हो गया है।

पिछले 10 वर्षों में निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि के लिए योगदान देने वाले कारक मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं:

विंटेज

स्वाभाविक रूप से, सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश बैंकों ने औद्योगिक व बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के साथ अपनी बैलेंस शीट्स को व्यापारिक रूप से नीचे गिरावट को निमंत्रण दिया था। इसके विपरीत नए युग के ज्यादातर निजी क्षेत्र के बैंक किसी भी परिसंपत्ति गुणवत्ता से वंचित थे क्योंकि वे 2000 के दशक में अपने विस्तार के बाद उदारीकरण के बाद के युग में पैदा हुए थे। अपेक्षाकृत नये विंटेज ने निजी क्षेत्र के बैंकों को नवीनतम प्रौद्योगिकी में गहन समाधानों में निवेश करने और उनकी क्षमताओं को बढ़ाने में मदद की जो ग्राहक अनुभव को सुधारने के अलावा नये राजस्व मंचों के लिए खोज करने में महत्वपूर्ण हैं। निजी बैंकों द्वारा प्रौद्योगिकी को शुरुआती रूप में अपनाने का एक उदाहरण बिक्री मशीनों (point of sale) के विस्तार में देखा जाता है। वर्ष 2012 में क्रेडिट में केवल 18 प्रतिशत हिस्सेदारी होने के बावजूद निजी क्षेत्र के बैंकों ने पीओएस मशीनों को लगाकर अपनी पहुंच का विस्तार करना शुरू कर दिया था, जहां 2012 में उनका 80 प्रतिशत हिस्सा था। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने तेजी की है। उल्लेखनीय है कि इस विविधीकरण के साथ निजी क्षेत्र के बैंकों की कुल आय में 20 प्रतिशत योगदान देता है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह 14 प्रतिशत है।

उत्पादकता

बैंकों के आमदनी अनुपात- सीआई- (कर्मचारी व्यय, अन्य परिचालन व्यय) / (शुद्ध ब्याज आय, अन्य आय) की लागत का विश्लेषण करने पर हमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच नितांत अंतर देखने को मिलता है। निजी बैंकों के लिए सीआई लगातार गिरती जा रही है, वित्त वर्ष 2016 में 47 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2017 में 43 प्रतिशत रही। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए इसी समयावधि में यह अनुपात 44 प्रतिशत से बढ़कर 49 प्रतिशत हो गया है। कुल लागतों को नियंत्रित करना एक प्रमुख प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है क्योंकि यह संपत्ति पर लाभ को बढ़ाता है जो फर्म को दोनों मोर्चों पर प्रदर्शन करने में सक्षम बनाता है। यह मौजूदा शेयरधारकों को पर्याप्त लाभ प्रदान करता है और आगे के विस्तार के लिए और अधिक पूंजी जुटाने का अवसर प्रदान करता है।

निजी क्षेत्र के बैंकों के विकास की तीव्र गति का मुख्य कारण यह है कि वे ग्राहकों की उभरती जरूरतों को निरंतर पूर्ण करने में सफल हुए हैं। निजी क्षेत्र के बैंक बेहतर ग्राहक अनुभव पर अपना ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हैं। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि निजी क्षेत्र के बैंक जमाराशि में भी अपना एक बड़ा हिस्सा बना लेने में सफल हो पाए हैं।

त्वरित कार्य निष्पादन

नये युग के अधिकतर निजी क्षेत्र के बैंक सही प्रतिभा की भर्ती करने में उल्लेखनीय रूप से लचीले हैं, जबकि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मुआवजा और अवधारण नीतियां आकर्षक हों। इसके अलावा निजी क्षेत्र के बैंक भी दबाव व नुकसान की जल्दी पहचान के संबंध में फैसले लेने में भी तेज हैं। उसके बाद वे उसके समाधान/पुनर्प्राप्ति को सुनिश्चित करते हैं। इसने मानव संसाधन चुनौती और परिसंपत्ति गुणवत्ता की चिंताओं (आरबीआई द्वारा हाल ही में परिसंपत्ति गुणता समीक्षा के बाद) दोनों में अब तक उनके पक्ष में काम किया है जिनका सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर अनुपातहीन रूप से बहुत प्रभाव पड़ता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

हालांकि पिछले एक दशक के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने निजी क्षेत्र में अपने साथियों को पीछे छोड़ दिया है जबकि हाल ही में सरकार द्वारा किये गये ढांचागत सुधारों से निश्चित रूप से बेहतर प्रदर्शन करने वाले बैंकों को उनकी स्थिति को समेकित करने में मदद मिलेगी।

- गवर्नेंस से संबंधित सुधार जैसे बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना, सीएमडी के पद को गैर-कार्यकारी अध्यक्ष और सीईओ में विभाजित करना और सीईओ (5 साल) के लिए लंबे कार्यकाल की सिफारिश से दीर्घकाल में निपुणता में सुधार होने की उम्मीद है।
- सीआरआईएलसी के निर्माण (बड़े ऋणों से संबंधित सूचना का केन्द्रीय भंडार) और आईबीसी (दिवाला और दिवालियापन संहिता) के कार्यान्वयन ने सूचना साझा करने और थमी हुई परिसंपत्तियों के समाधान हेतु संस्थागत ढांचा प्रदान किया है। इससे वर्तमान में बैंकों की बैलेंस शीटों में अटकी हुई पूंजी के एक बड़े हिस्से का उपयोग किया जा सकेगा जिससे क्रेडिट विस्तार के लिए उनकी भूख कम हो जाएगी।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए हाल ही में घोषित 2.11 लाख करोड़ रुपये मूल्य से बड़े पैमाने पर पुनर्पूंजीकरण योजना संभावित रूप परिवर्तक हो सकती है। हालांकि यह सही समय में लिया गया निर्णय है और इससे यह सुनिश्चित होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बेसल III नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होंगे, इसमें बैंकों के लिए *विकास पूंजी* के लिए स्थान भी शामिल है जो बेहतर आंकड़े प्रदर्शित करने में सक्षम हैं। मेरी राय में यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देने का एक प्रभावी तरीका है, जो अंतत: समग्र अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाएगा।

अगली पीढ़ी की बैंकिंग

वर्ष 2025 तक भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद के साथ निम्न 4 कारक बैंकिंग परिदृश्य को निर्धारित करेंगे :-

- विकास : इसमें सरकार का वित्तीय समावेशन एजेंडा और अन्य प्रमुख क्षेत्रीय और संरचनात्मक सुधार शामिल हैं।
- अविनियमन : वित्तीय मध्यस्थता और बचत प्रवृत्ति में नीतिगत सुधार।
- जनसांख्यिकी: युवा और डिजिटल रूप से सुसज्जित आबादी का प्रभुत्व।
- विघटन: इसमें डिजिटलीकरण और बैंकिंग तथा दूरसंचार का एकीकरण शामिल है।

इन 4 कारकों के आधार पर निम्नलिखित सात रुझान भारत में अगली पीढ़ी की बैंकिंग को परिभाषित करेंगे।

प्रौद्योगिकी से बदलेंगे बैंक

भविष्य में प्रौद्योगिकी बैंकिंग रूपरेखा को परिभाषित करेगी। इसमें बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, स्मार्ट फोन और ऐसे अन्य नवाचार शामिल होंगे। ग्राहकों का बैंकों के साथ संवाद करने का तरीका पूर्णत: बदल जाएगा। उदाहरण के लिए ग्राहकों के मोबाइल फोन पर विभिन्न ऑफरों की पेशकश, वैयक्तिक संपर्क के लिए होम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम का उपयोग, प्रभावी बिक्री के लिए फेस डिटेक्शन प्रौद्योगिकी का उपयोग ऐसे कुछ तरीके हैं जिनके माध्यम से प्रौद्योगिकी भविष्य में बैंकिंग की सहायता करेगी और यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मोबाइल बैंकिंग और मोबाइल भुगतान व वाणिज्य वास्तव में भविष्य की बैंकिंग है। भारत में मोबाइल की बढ़ती पहुंच को देखते हुए इस प्रौद्योगिकी में वित्तीय सेवाओं की सुपुर्दगी के लिए अपार क्षमता बनी हुई है। भारत में लगभग 94.6 करोड़ से भी अधिक मोबाइल उपयोगकर्ता हैं लेकिन उनमें से केवल 5 करोड़ ही मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करते हैं। इस संबंध में जैम ट्रिनिटी (जनधन-आधार-मोबाइल) में बैंकिंग का रूप परिवर्तित करने की क्षमता है।

बैंकों को ऐसे नवाचारों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हैं और ग्राहकों के लिए बेहतर और सस्ती सेवाएं मुहैया करा पाएं। बैंक भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को संयुक्त उद्यमों में मिलाकर पैमाना और सर्वोत्तम प्रथाओं की खोज कर सकते हैं। इसके साथ-साथ, मौजूदा प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं को ग्राहकों का प्रमाणीकरण, धोखाधड़ी की जांच, भुगतान प्रसंस्करण, अकाउंट इंफ्रास्ट्रक्चर, केवाईसी प्रसंस्करण जैसी आउटसोर्सिंग उपयोगिताएं भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं।

नकदरहित और शाखारहित बैंकिंग

विमुद्रीकरण के बाद और नकद रहित अर्थव्यवस्था पर सक्रिय नीतिगत जोर से, इंटरनेट के अतिरिक्त प्रसार (दिसंबर 2015 के अनुसार, 40 करोड़ उपयोगकर्ता) से नकद-रहित बैंकिंग लेनदेन की प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव कर देगी और मोबाइल बैंक एक निजी बैंक शाखा (केवल एक ही साल में वर्ष 2014 में स्मार्ट फोन का उपयोग 8 करोड़ तक पहुंच कर दुगुना हो गया है) का रूप लेते जा रहे हैं। मॉर्गन स्टेनली के अनुसार भारतीय इंटरनेट बाजार वर्ष 2013 में 11 अरब डॉलर की तुलना में बढ़कर वर्ष 2020 तक 137 अरब डॉलर हो सकता है और यह एक निर्विवाद अवसर के रूप में उभर सकता है।

विश्वभर में बैंकिंग उद्योग जल्द ही अपने पारंपरिक समय 9 से 5 बजे के स्थान पर चौबीसों घंटे की सेवाएं शुरू कर सकता है। शाखारहित बैंकिंग राजस्व सृजन और लागत प्रबंधन में पैमाने की मितव्ययिता को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। विकसित देशों में शाखारहित बैंकिंग की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण बैंकिंग की पारंपरिक शाखाएं बंद होने की ओर अग्रसर हैं। (बैंक ऑफ अमेरिका ने पिछले 5 वर्षों में 1000 से ज्यादा शाखाएं बंद कर दी हैं) शाखारहित बैंकिंग मॉडल को अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए ग्राहक पहुंच लागत को 40 प्रतिशत तक कम करने के लिए आधार जैसे राष्ट्रीय प्लेटफार्मों बैंकिंग बिजनेस मॉडल के साथ जोड़ा जा सकता है।

एटीएम उपयोग में नवाचार

विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार, भारत में भारतीय बैंकों के प्रति लेन-देन के संचालन के लिए लागत 48 रुपये प्रति शाखा, फोन बैंकिंग के लिए 25 रुपये, एटीएम के लिए 18 रुपये, आईवीआर के लिए 8 रुपये और ऑनलाइन के लिए 4 रुपये है। भारत में एटीएम की बहुत कम उपलब्धता है - भारत में प्रति 10 लाख लोगों के लिए 11 एटीएम है जबकि चीन और मलेशिया यह संख्या क्रमश: 37 और 52 है। इस संबंध में सौर एटीएम लगभग 50 प्रतिशत तक की लागत को कम कर सकते हैं और बिजली विहीन ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों को भी पूरा कर सकते हैं।

बुनियादी ढांचा वित्तपोषण: नींव का निर्माण

वैश्विक बुनियादी ढांचे के बाजार में भारत का 5 प्रतिशत हिस्सा है, जिसमें 2025 तक 9 से 10 प्रतिशत बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। भविष्य के विकास के मॉडल दीर्घकालिक वित्तपोषण के लिए 5:25 संरचना और पीपीपी मॉडल की तर्ज पर विकसित होंगे। इसके अतिरिक्त, इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण फंड, हरित बैंकिंग और वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में नयी व्यवस्थाएं होंगी।

एमएसएमई के लिए नये मॉडल

देश के जीडीपी में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान 8 प्रतिशत है। सिडबी ने अनुमान लगाया है कि एमएसएमई क्षेत्र की कुल ऋण वित्त मांग 650 अरब अमेरिकी डॉलर है। कलस्टर आधारित वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए *पूंजीगत रियायत नीति, मुद्रा बैंक, क्रेडिट गारंटी योजनाएं, इन्क्यूबेशन केंद्र* और *स्टार्ट अप* सुविधाएं जैसे नयी व्यवस्थाएं आगामी वर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

प्रतियोगिता और समेकन

नये युग के विशेषीकृत बैंकों के प्रवेश से भारत में बैंकिंग परिदृश्य का रूप-परिवर्तन हो जाएगा। नवाचार, प्रतिस्पर्धा करने और व्यवसाय में बने रहने जैसे उपाय सहक्रियाशील समेकन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। निम्नलिखित कुछ नवीन विचार हैं जो अगले 15-20 वर्षों में वास्तविकता बन सकते हैं:

- खाता संख्या पोर्टेबिलिटी (मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तर्ज पर)।
- बिग डेटा विश्लेषिकी का कुशल लाभ।
- खुदरा कर्ज का प्रतिभूतिकरण।

निष्कर्ष

निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के उन्हीं बैंकों को बैंकिंग सुधारों का लाभ मिल सकेगा जो इन बदलावों का प्रभावी रूप से लाभ उठाने योग्य होंगे। इन पूर्वानुमानित बदलावों को संपूर्ण रूप से अपना कर न सिर्फ भारतीय बैंकों को वैश्विक श्रेणी का बनाया जा सकता है बल्कि उनके द्वारा अगले पांच वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व में शीर्ष चार अर्थव्यवस्थाओं में भी स्थान मिल सकता है। ❑

Mc Graw Hill Education

भविष्य के IAS, IPS तथा IRS अधिकारियों की मार्गदर्शिका

UPSC सिविल सेवा परीक्षा

की तैयारी के लिए आपके सशक्तिकरण हेतु उपयोगी पुस्तकें

₹ 345/-

ISBN: 9789352607679

₹ 195/-

ISBN: 9789387067721

₹ 445/-

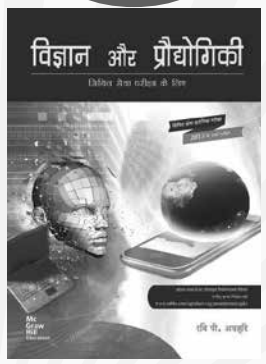

ISBN: 9789352607501

₹ 480/-

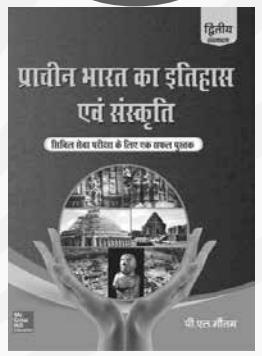

ISBN: 9789352607648

₹ 445/-

ISBN: 9789352606993

₹ 225/-

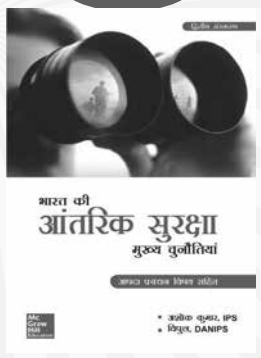

ISBN: 9789352606160

Prices are subject to change without prior notice.

सामान्य अध्ययन (प्रश्नपत्र I और II 2018)

के नि:शुल्क प्रश्नपत्र प्राप्त करने के लिए पंजीकृत करें

www.mheducation.co.in/upscsamplepapers

मेक्ग्रॉ हिल एजुकेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

SHIPPING FREE ₹ 500/-

टोल फ्री नं.: 1800 103 5875 | ई-मेल: reachus@mheducation.com | खरीदें @ www.mheducation.co.in

संपर्क करें@ /McGrawHillEducationIN /MHEducationIN /Company/McGraw-Hill-Education-India /McGrawHillEducationIndia

YH-731/4/2017

डूबते कर्ज के निपटान की चुनौतियां

दीपक नारंग

वर्तमान सरकार ने एक दिसंबर, 2016 को एक सही कदम उठाते हुए दिवालियापन के लिए एक कानून लागू किया, जो आमूलचूल परिवर्तन करने वाला (गेमचेंजर) है। सरकारी कर्ज चुकाये बिना भागने वालों का रास्ता रोकने और कर्ज वसूली के लिए एक कठोर कानून बनाने के लिए दो बार अध्यादेश लायी। एनपीए जैसे दानव को नष्ट करने के लिए अब इन्सोल्वेंसी एवं बैंकरप्सी कोड जैसे ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया जाएगा। इसकी प्रभावकारिता का उचित और न्यायसंगत समाधान खोजने के लिए इस कानून का इस्तेमाल करने वालों की इच्छाशक्ति और ईमानदार इरादे पर निर्भर करेगा

बैंक वित्तीय मध्यस्थता विकास का इंजन है क्योंकि वह जिन लोगों के पास बचत है उनसे पैसे जमा करवाकर उसे निवेश गतिविधियों के लिए उधार देकर अर्थव्यवस्था में पैसे के परिचालन करते हैं। इससे अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। उधार से उत्पादक संसाधनों की मांग का निर्माण होता है और वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वाले लोगों की आय में बढ़ोतरी होती है। एक का खर्च दूसरे की आय है। यह उच्च सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और तेज उत्पादक वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है।

उधार देने में संकुचन से विपरीत प्रभाव पड़ता है और विकास लड़खड़ा जाता है। कर्ज देने के मामले में मंदी का एक प्रमुख कारण बैंकों के बैलेंस शीट (तुलन पत्र) में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) की तेजी से वृद्धि है। एससीबी (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों) के बकाया कर्ज के बाजार शेयर का लगभग 72 फीसदी हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का है। ट्विन बैलेंस शीट की समस्या यानि अति प्रवाह और संकटग्रस्त कंपनियां मिलकर पीएसबी के एनपीए को बढ़ाती हैं जिससे अर्थव्यवस्था में निवेश बाधित होता है।

भारतीय बैंकों का सकल एनपीए (यानि बुरे कर्ज) तीस सितंबर, 2017 तक 8.40 लाख करोड़ रुपये हो गया। जो दिखाता है कि 30 जून, 2017 के 8.29 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले इसमें 1.31 फीसदी की वृद्धि हुई है। सितंबर 2015 से एनपीए में तेजी से उछाल का कारण कथित रूप से वर्ष 2008 से पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान बैंकों के क्रेडिट ग्रोथ में तेजी है। वर्ष 2008 से 2014 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल उधार 18 लाख करोड़ रुपये से 54 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया और सितंबर, 2017 तक यह आंकड़ा 55.01 लाख करोड़ रुपये था। हैरानी की बात नहीं कि बुरे कर्ज के इस ढेर में सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों की फंसी परिसंपत्तियों का हिस्सा लगभग 90 फीसदी है। वित्तीय वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही के मुकाबले दूसरी तिमाही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का खराब कर्ज लगभग 7.33 करोड़ रुपये ज्यादा था जबकि 17 निजी क्षेत्र के बैंकों का बुरा कर्ज 10.5 फीसदी बढ़कर 1.06 लाख करोड़ पहुंच गया।

अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों (एससीबी) के अग्रिम में पांच करोड़ रुपये और उससे अधिक की सीमा वाले बड़े उधारकर्ताओं का हिस्सा 56 फीसदी है, लेकिन उनके एनपीए का हिस्सा 86.5 फीसदी है। एनपीए में अधिकतम गिरावट उन खातों में (संख्या और राशि, दोनों में) आयी है जिनकी बकाया राशि 20 करोड़ रुपये से 50 करोड़ रुपये के बीच है और उसके बाद उन खातों में जिनकी बकाया राशि 50 करोड़ रुपये से 100 करोड़ रुपये के बीच है।

शीर्ष 100 बड़े उधारकर्ता (बकाया अग्रिम वाले) सकल अग्रिम का लगभग 15.2 फीसदी हैं लेकिन 100 शीर्ष गैर-निष्पादित खाते में उनका हिस्सा एससीबी के सकल एनपीए का 25.6 फीसदी है।

एससीबी के मार्च 2017 तक उद्योगों का स्ट्रेस्ड एडवांस रेशो लगभग 23 फीसदी था जबकि कृषि, सेवा, और खुदरा क्षेत्र के लिए यह अनुपात क्रमशः 6.3 फीसदी, 7 फीसदी

लेखक पुणे स्थित एनआईएमबी में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। इससे पूर्व वे यूनाइटेड बैंक में कार्यकारी निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। बैंकिंग क्षेत्र में 37 वर्षों का अनुभव रखते हैं। ईमेल: d.navang@nibmindia.org

वर्ष	जीएनपीए अनुपात	क्रेडिट ग्रोथ
2001-02	11	23.6
2002-03	9.5	14.4
2003-04	7.4	16.2
2004-05	5.2	31
2005-06	3.5	31
2006-07	2.6	28.5
2007-08	2.4	23.1
2008-09	2.4	19.6
2009-10	2.5	17.1
2010-11	2.4	22.3
2011-12	2.9	16.9
2012-13	3.4	15.1
2013-14	3.8	10.9
2014-15	4.3	12.6
2015-16	7.6	10.7
2016-17	9.3	5.08

और 2.1 फीसदी था। इसमें एक समूह के रूप में पीएसबी द्वारा उद्योगों स्ट्रेस्ड एडवांस रेशो का एडवांस 28.8 फीसदी था जबकि निजी बैंकों और विदेशी बैंकों का अनुपात क्रमशः 9.3 फीसदी और 7.1 फीसदी था। उनमें प्राथमिक रूप से बुनियादी धातु और उनके उत्पाद, सीमेंट और उनके उत्पाद, टेक्सटाइल, अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) आदि इससे प्रभावित हैं।

इस स्थिति के कारण समझना वांछनीय है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:-

• अपने पिछले कर्ज के इतिहास के कारण अयोग्य उधारकर्ताओं को उधार देने से बढ़ते बैलेंस शीट के आकार में अधिकता।

• वैश्विक क्षमता व मांग-आपूर्ति की स्थिति में तालमेल बिठाए बिना मांग की प्रत्याशा में क्षमता विकसित करने के लिए उधार लिया गया।

• विभिन्न कारणों से परियोजनाओं को पूरा करने में देरी हुई।

• प्राप्तियों की वसूली बहुत खराब थी।

• कारपोरेट इक्विटी जारी करके या अन्य ऋण साधनों के जरिये पूंजी बाजार से पूंजी जुटाने में सक्षम नहीं था और दोगुना फायदा उठाने के लिए इक्विटी के रूप में उधार लिए गए धन का इस्तेमाल किया। बैंकों ने इक्विटी

क्रेडिट ग्रोथ बनाम जीएनपीए (प्रतिशत में)

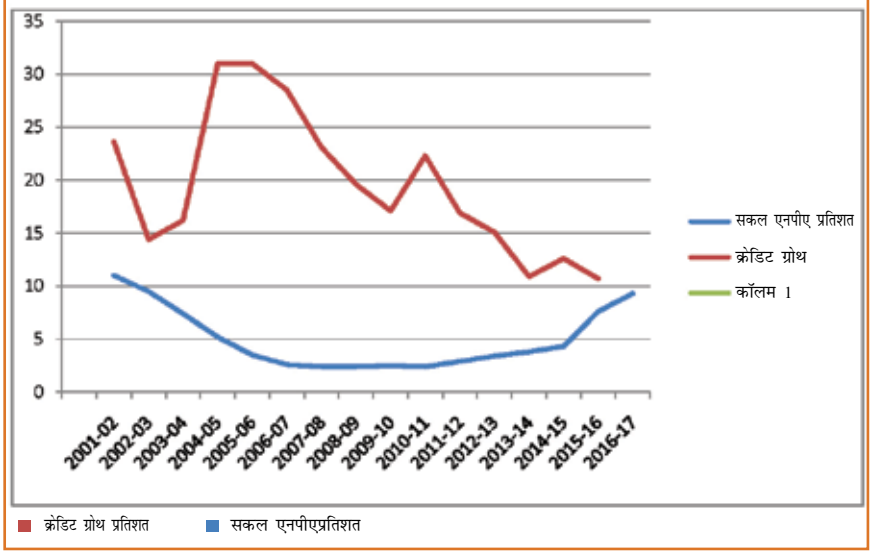

की प्रकृति के बारे में जानकारी नहीं ली।

- अति आशावादी अनुमानों की वजह से व्यावसायिक विफलता।
- विस्तार व आधुनिकीकरण के लिए धन का इस्तेमाल। जिन उद्देश्यों के लिए धन उधार लिया गया, उसका इस्तेमाल उनके लिए नहीं किया गया।
- जान-बूझकर ऋण अदायगी में चूक, कर्ज के धन का निजी उपयोग, धोखाधड़ी, गलत विनियोग आदि।
- बैंकों के पास धन के अंतिम उपयोग पर निगरानी रखने के लिए कौशल का अभाव और फर्जी कंपनियों आदि के जाल के जरिये उधारकर्ता द्वारा धन का अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग।
- क्रेडिट मूल्यांकन में कमी और अनुचित तत्परता।

किसी भी नये ऋण को एनपीए में बदलने में 3-4 वर्षों का समय लगता है। विकास की तेज गति के दौरान जब नया एनपीए उत्पन्न होता है तो वह विकास की ओट में छिप जाता है। सकल एनपीए अनुपात खतरनाक रूप में नहीं दिखता है, क्योंकि विभाजक (अग्रिम) अंश (एनपीए) की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ता है। प्रभावशाली निगरानी के जरिये बैंकों को उभरती हुई परिस्थितियों के बारे में सतर्क रहना चाहिए था। ऊपर बताये गये कारणों के लिए सुधार के कदम उठाने के साथ-साथ जान-बूझकर कर्ज न चुकाने वाले उधारकर्ताओं एवं अति आशावादी परियोजनाओं हेतु कर्ज देने से इन्कार कर देना चाहिए था। उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों में निगरानी व प्रारंभिक चेतावनी संकेतों के प्रति पूरी गंभीरता दिखानी चाहिए थी। नियमों का पालन नहीं करने वाले उधारकर्ताओं का गैर-सहयोगी या जान-बूझकर कर्ज न चुकाने वाले के रूप में नाम घोषित करना चाहिए था।

कोई भी व्यक्ति जो धोखाधड़ी का दोषी पाया जाता है उसे कम से कम छह महीने की जेल की सजा हो सकती है। इसे दस वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। दंड की राशि धोखाधड़ी में शामिल राशि से कम नहीं होती, लेकिन उसे धोखाधड़ी में शामिल राशि के तीन गुना तक बढ़ाया जा सकता है। अगर धोखाधड़ी में जनहित का सवाल भी जुड़ा होता है, तो जेल की सजा तीन साल से कम नहीं होगी।

नीचे दिये गये विवरण के अनुसार कंपनी नियम के प्रावधान बैंकरों को कार्रवाई शुरू करने और ऐसे मामलों को गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को भेजने के लिए अवसर प्रदान करते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447 के अनुसार कंपनी से संबंधित धोखाधड़ी का एक नया अपराध इसके तहत है-

कोई भी कृत्य या चूक, किसी भी तथ्य को छिपाना, किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रतिबद्ध पद

का धोखा देने के इरादे से दुरूपयोग, कंपनी के हित को नुकसान पहुंचाना, इसके शेयरधारकों, क्रेडिटधारकों के हितों को नुकसान पहुंचाना, चाहे गलत तरीके से लाभ या हानि न हुआ हो, इन सबकी जांच एसएफआईओ द्वारा की जाएगी।

जान-बूझकर कर्ज न चुकाने के मामले जांच के लिए एसएफआईओ को भेजे जा सकते हैं। इस तरह की चूक कंपनी अधिनियम की धारा 447 के तहत गंभीर धोखाधड़ी का है। जब तक बैंक गलत इरादे और उधारकर्ताओं की तरफ से गलत प्रतिनिधित्व को साबित नहीं करता, तब तक उधारकर्ता के खिलाफ जान-बूझकर चूक के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू करना कठिन होता है।

कोई भी व्यक्ति जो धोखाधड़ी का दोषी पाया जाता है उसे कम से कम छह महीने की जेल की सजा हो सकती है। इसे दस वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। दंड की राशि धोखाधड़ी में शामिल राशि से कम नहीं होती, लेकिन उसे धोखाधड़ी में शामिल राशि के तीन गुना तक बढ़ाया जा सकता है।

अगर धोखाधड़ी में जनहित का सवाल भी जुड़ा होता है, तो जेल की सजा तीन साल से कम नहीं होगी।

हमारे यहां ऐसे सक्षम कानून हैं जो विशेष रूप से बैंकों के लिए उधारकर्ताओं से बकाया कर्ज वसूलने के लिए बनाये गये हैं जैसे आरडीडीबीएफआई अधिनियम, एसएआरएफईएसआई अधिनियम-02 और हाल का इन्सोलवेंसी ऐंड बैंकरप्सी कोड, 2016।

एसएआरएफईएसआई (सरफेसी) अधिनियम बैंकरों को आरोपित संपत्ति पर कब्जा करने और बिना अदालत के हस्तक्षेप के उसकी नीलामी करने की अनुमति देता है। निस्संदेह यह एक ताकतवर औजार है और समुचित योजना और सही क्रियान्वयन के जरिये संपति को बेचा जा सकता है। जैसा कि अक्सर होता है बैंकरों को हराने के लिए डिफाल्टर सभी साधनों का इस्तेमाल करते हैं ताकि उन्हें संपत्ति की नीलामी न करने दी जाए। प्राधिकृत अधिकारियों के खिलाफ वे गलत आरोप लगाते हैं या उनके खिलाफ अत्याचार के आपराधिक मामले दायर कर देते हैं। हालांकि कुछ मामलों में बैंक का प्रबंधन इस तरह से परेशान अधिकारियों के

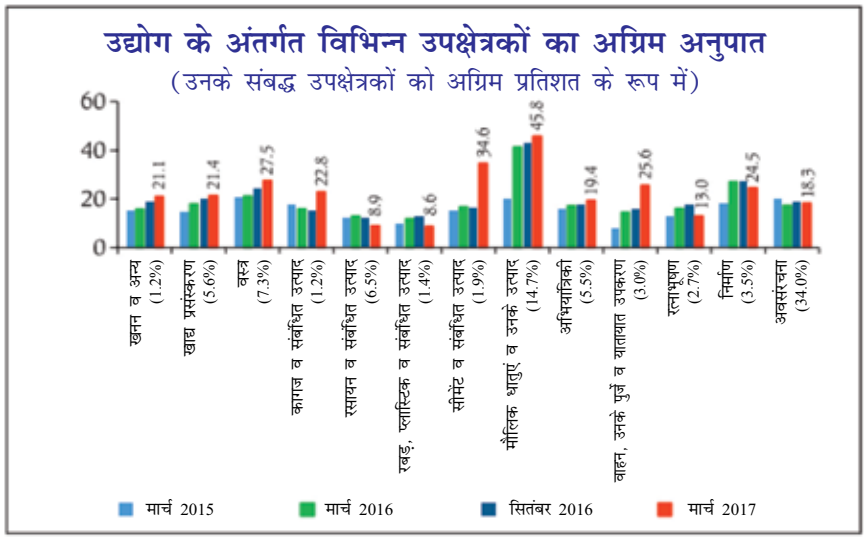

बचाव में सक्रिय रूप से आगे आता है। ऐसी घटनाओं से कार्यबल का उत्साह भंग होता है और वसूली टॉस का विषय बन जाता है। दीपक नारंग बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के एक निर्णित मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने 14 सितंबर, 2006 को न केवल इलाहाबाद बैंक के पीड़ित एजीएम (इन पंक्तियों के लेखक) को बचाया, जो बैंक का प्राधिकृत पदाधिकारी था, बल्कि एफआईआर स्वीकार करने वाले मजिस्ट्रेट को फटकार लगायी और तथ्यों पर आधारित मुकदमा चलाने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति आरएस मदन ने यह बात कही-

- यह एक ऐसा मामला है जहां याचिकाकर्ता न केवल आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत संरक्षित है बल्कि 2002 के कानून की धारा 32 के तहत भी संरक्षित है जिसे निम्न रूप में पुन: प्रस्तुत किया जा सकता है।
- सरकारी कर्मचारी के अभियोजन के लिए उनके द्वारा कथित तौर पर किये गये किसी भी अपराध, चाहे उसने कार्यकारी या अपने आधिकारिक कर्तव्य के निष्पादन के रूप में किया हो, के लिए ऐसा आवश्यक है। आधिकारिक कर्तव्य का अर्थ है कि सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी सेवा के दौरान वह कार्य या चूक की गयी हो और इस तरह के कार्य या चूक उसके कर्तव्य के हिस्से के रूप में किया गया हो, जिसे आगे अपनी प्रकृति में भी आधिकारिक होना चाहिए। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 197 उन्हीं कार्यों पर लागू होगा, जिन्हें कर्तव्य निष्पादन के रूप में अंजाम दिया गया हो।
- प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की धारा-32 - सद्भावना में की गयी कार्रवाई का संरक्षण-किसी भी सुरक्षित ऋणदाता या सुरक्षित ऋणदाता के किसी भी अधिकारी या प्रबंधक के किसी भी अधिकार का उपयोग करते हुए या उधारकर्ता ने इस अधिनियम के तहत कोई भी कार्य या चूक सद्भावना के तहत किया हो तो उसके खिलाफ कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं होगी।
- बेशक, प्रतिवादी संख्या 2 के पास याचिकाकर्ता पर मुकदमा चलाने का कोई कारण नहीं था क्योंकि वह उस (प्रासंगिक) समय पर घर में उपलब्ध नहीं था। इसलिए वर्तमान शिकायत बकायेदारों की ओर से एक बदले की कार्रवाई है। वर्तमान शिकायत झूठी

वर्ष 2015-16 में बैंकों द्वारा 64,519 संपत्तियों को जब्त किया गया या उन पर कब्जा किया गया, जबकि जून 2017 का यह आंकड़ा 33,928 है। यह बेहद जरूरी है कि सरकार कानून में संशोधन करे, ताकि जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट के लिए यह अनिवार्य हो।

शिकायतों के आधार पर उनके पुत्र द्वारा दायर की गयी है जो कभी साबित नहीं होगी। इसलिए वर्तमान शिकायत न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग है, जिसकी कार्यवाही की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

बैंक अधिकारियों के पक्ष में इस अधिनियम से संबंधित विभिन्न न्यायिक घोषणाओं के बावजूद इस प्रक्रिया ने अपनी चमक खो दी है और बैंक इतने ताकतवर नहीं हैं कि इस अधिनियम के तहत वसूली कर सकें।

इस अधिनियम के तहत वर्ष 2015-16 में बैंकों द्वारा 64,519 संपत्तियों को जब्त किया गया या उन पर कब्जा किया गया जबकि जून 2017 का यह आंकड़ा 33,928 है। यह बेहद जरूरी है कि सरकार कानून में संशोधन करे ताकि जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट के लिए यह अनिवार्य हो कि वे जब प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस कानून के तहत आवेदन किया जाये तो संपत्ति का भौतिक कब्जा बैंकों को सौंपें।

उधारकर्ताओं के पास अन्य तरह के उपाय भी होते हैं जिनसे वे बैंकों के प्रयासों को विफल करने के लिए बाधाएं उत्पन्न करते हैं। उधारकर्ता लंबे समय तक बैंकों के साथ खेल खेलते रहते हैं। क्योंकि एक बैंकर एक ईमानदार उधारकर्ता की स्थिति को समझ सकता है। इसका मूल्यांकन करते हुए लुधियाना के एक उद्यमी संजय लोगवालिया कहते हैं कि मैं वही सब वस्तुओं का विनिर्माण करता हूं जो लुधियाना में अन्य उद्यमी करते हैं। वे कानूनी दर पर ब्याज का भुगतान करते हैं, समय पर किस्त या अन्य कर आदि चुकाते हैं लेकिन बैंक ब्याज में कमी के उनके अनुरोध पर विचार नहीं करता है और उनके पिछले उत्कृष्ट आचरण के लिए पुरस्कृत करती है, जो बहुत कम क्रेडिट और डिफॉल्ट के जोखिम का संकेत करता है। वे दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं कि बेइमान उधारकर्ता धन को दूसरे कामों में लगाने के बाद विभिन्न पुनर्रचना योजनाओं के तरह ब्याज दर में छूट और किस्त चुकाने में निषेध के जरिये अपने व्यवसाय को आसानी से चलाने की व्यवस्था कर लेते हैं। जाहिर तौर पर वह अपने उत्पादों के विपणन बनाम बेइमान उधारकर्ता के रूप में हानि उठाते हैं। वे सवाल उठाते हैं कि क्या बेइमानी पर भी कोई प्रीमियम होता है? क्या ईमानदार उधारकर्ताओं को पीड़ा होनी चाहिए? यही समय था जब प्रधानमंत्री के शब्द मेरे जेहन में गूंजने लगे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वे जान-बूझकर कर्ज न चुकाने वालों को कानून का मजा चखाएंगे। वर्तमान सरकार ने एक दिसंबर, 2016 को एक सही कदम उठाते हुए दिवालियापन के लिए एक कानून लागू किया जो आमूलचूल परिवर्तन करने वाला (गेमचेंजर) है। सरकार कर्ज न चुकाकर भागने वालों का रास्ता रोकने और कर्ज वसूली के लिए एक कठोर कानून बनाने के लिए दो बार अध्यादेश लायी। एनपीए जैसे दानव को नष्ट करने के लिए अब इन्सोल्वेंसी एवं बैंकरप्सी कोड जैसे ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया जाएगा। इसकी प्रभावकारिता उचित और न्यायसंगत समाधान खोजने के लिए इस कानून का इस्तेमाल करने वालों की इच्छाशक्ति और ईमानदार इरादे पर निर्भर करेगी। ऐसे में कानून के असली उद्देश्यों को खत्म करने के किसी के बुरे उद्देश्यों को समझना और उसे नष्ट करना बेहद जरूरी है। आईबीसी के तहत संकल्प निर्णय के जरिये विवेक पर आधारित होना चाहिए।

हालिया अध्यादेश जानबूझकर ऋण न चुकाने वाले उधारकर्ताओं को कर्ज की राशि दूसरी जगह खर्च करने के बाद अपनी कंपनी वापस खरीदने से रोकता है या अपने खातों को एनपीए बनाने वाले ऐसे प्रमोटरों की अराजकता को चुनौती देता है। सरकार ने जिस तत्परता से काम किया है, वह उल्लेखनीय है और एनपीए की समस्या से व्यवस्था को छुटकारा दिलाने का इरादा स्पष्ट है साथ ही वह किसी को भी व्यवस्था से खेलने की इजाजत नहीं देता है। यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447 के साथ मिलकर जान-बूझकर ऋण न चुकाने वालों को हतोत्साहित करता है। यही समय है कि भारतीय रिजर्व बैंक की परिभाषा के अनुसार जान-बूझकर ऋण न चुकाने को एक गंभीर अपराध बनाया जाए, जैसा कि कुछ देशों में है।

ऐसे जान-बूझकर कर्ज न चुकाने वालों की ताबूत में अंतिम कील ठोकने के लिए किया जाता है। ये उपाय उन लोगों के रवैये पर अच्छा प्रभाव डालेंगे, जो बैंकों से धन उधार लेते हैं और मानते हैं कि उसे न चुकाना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। गुमराह उधारकर्ताओं का हिसाब-किताब करने का समय आखिरकार आ ही गया है।

आगे बढ़ने के लिए बैंकों को निधियों के अंतिम उपयोग का पता लगाने के लिए फारेंसिक ऑडिट की जरूरत होगी। उन्हें उधारकर्ताओं के उचित उद्यम का पता लगाने के लिए बिग डाटा एनालिटिक्स और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों का उपयोग करना चाहिए, जैसा कि फिनटेक कंपनियां करती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से कम से कम एक वर्ष पहले अस्सी फीसदी विश्वास के साथ संभावित डिफॉल्ट का पता लगाया जा सकता है। नवी मुंबई की एक फिनटेक कंपनी डी2के ने ऐसा एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जिसका परिणाम उल्लेखनीय है। बैंकों को अपनी मानव संसाधन (एचआर) नीतियों को बेहतर बनाकर युवा कार्यबल को प्रशिक्षित करना होगा और उनके कौशल को उन्नयन करना होगा, जिसकी फिलहाल कमी है।

सरकार को अपनी ओर से बैंकों के बोर्ड में ऐसे पेशवरों की नियुक्ति करनी होगी, जिन्हें डोमेन का ज्ञान हो और बैंकों के कामकाज का पर्याप्त अनुभव हो। बैंकों के बोर्ड में स्वच्छ ट्रैक रिकॉर्ड वाले एमडी और ईडी जैसे सेवानिवृत्त कार्यकारी का चयन जांच-पड़ताल के लायक है। शीघ्र वसूली के लिए सरकार को कुछ और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनलों (एनसीएलटीज) बनाना अच्छा रहेगा और इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए अभी कर्ज वसूली ट्रिब्यूनल (डीआरटीज) बहुत कम हैं। कामकाज के भार का सामना करने के लिए जजों की संख्या बढ़ायी जा सकती है। व्यक्तियों, उद्यम स्वामियों और भागीदारी में चलने वाली कंपनियों के दिवालियापन के मामले सामने आने से इसकी कमी तीव्रता से महसूस की जाएगी। दिवालियापन से संबंधित संहिता लागू होने के बाद उधार लेने की संस्कृति और बैंकों द्वारा कर्ज देने की संस्कृति भविष्य में ज्यादा सुरक्षित होंगे। ऐसे में निश्चित रूप से बैंक राहत की सांस लेंगे। उल्लेखनीय बदलाव के लिए सरकार प्रशंसा की पात्र है। निश्चित रूप से उधारकर्ताओं की मानसिकता में परिवर्तन आएगा। ❑

बैंक पुनर्पूंजीकरण

आशुतोष कुमार

रेटिंग एजेंसी के अनुसार क्षेत्रों के संबंध में, विद्युत क्षेत्र में सामान्य कटौती की आवश्यकता होगी जबकि धातु और निर्माण क्षेत्र में आक्रामक कटौती अपेक्षित है। क्रिसिल का कहना है कि अधिक कटौती की आवश्यकता वाले ज्यादातर ऋण अनिश्चित व्यवसाय वाली कंपनियों से संबंधित हैं इसलिए धन की वसूली के लिए संपत्ति की बिक्री आवश्यक है। सामान्य या आक्रामक कटौती की आवश्यकता वाली कंपनियों ने ऋण द्वारा वित्तपोषित पूंजीगत व्यय को अपनाया है। हालांकि, मांग में कमी या परियोजनाओं के विनियामक संबंधी मामलों में उलझने के कारण समय और लागत में बढ़ोतरी होने से, इन्हें अलाभकारी रूप से ऋण प्रदान किया गया था

इस वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले कुछ वर्षों से गैर- कार्यनिष्पादन परिसम्पत्तियों (एनपीए) के बोझ से दबे हुए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की स्थिति में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। पीएसबी के तुलन पत्रों पर एनपीए का भार पड़ने से बैंकों की ऋण देने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिससे निजी निवेश और निजी क्षेत्र के कुल पूंजी निर्माण में भी रुकावट आई है। जून 2017 में पीएसबी में एनपीए 7.33 करोड़ रुपये तक पहुंच गए जबकि मार्च 2015 में यह 2.73 करोड़ थे। परिणामस्वरूप दो वर्ष से भी कम समय में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग प्रणाली में डूबे हुए ऋण तीन गुना हो गए हैं। बैंकिंग व्यवस्था की चुनौतियों को दर्शाने वाले एक अन्य आंकड़े के अनुसार हाल ही में घरेलू बैंकों का एनपीए ऋण और अग्रिम के लगभग 10 प्रतिशत तक पहुंच चुका है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अक्टूबर को 2,11,000 करोड़ रुपये की व्यापक योजना को अंतिम रूप दिया जो बाजार से ऋण प्राप्त करने, बजटीय सहायता और सबसे महत्वपूर्ण- बैंक पुनर्पूंजीकरण ऋणपत्र जारी करने जैसे विभिन्न साधनों सहित घरेलू बैंकिंग व्यवस्था को पुनर्जीवित करेगी। इस योजना की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, "बैंकों से सुदृढ़ीकरण से अधिक नौकरियों का सृजन होगा, विकास होगा और अधिक निवेश होगा।" 2,11,000 करोड़ रुपये की बैंक पुनर्पूंजीकरण योजना का विवरण इस प्रकार है: 18,000 करोड़ रुपये बजटीय सहायता से, 58,000 करोड़ रुपये इक्विटी जारी करके और 1,35,000 करोड़ रुपये बैंक पुनर्पूंजीकरण ऋणपत्र जारी करके।

अब हम ऋण पत्रों को देखते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि इससे बैंकिंग प्रणाली को किस तरह लाभ होगा। अभी तक वित्तीय सेवा विभाग वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के साथ मिलकर ऋणपत्रों की रूपरेखा को अंतिम रूप दे रहा है। कौन सा बैंक ऋणपत्रों के जरिए कितनी पूंजी प्राप्त करने वाला है, इस संबंध में जल्द ही घोषणा होने वाली है। ऋणपत्र जारी करने के दौरान यह कहा गया था कि ऋणपत्र फ्रंट लोडेड होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि अगले कुछ महीनों में बैंकिंग प्रणाली में 1,35,000 करोड़ रुपये की बड़ी राशि डाली जाएगी।

अब हम यह पता लगाते हैं कि पुनर्पूंजीकरण ऋणपत्र कैसे कार्य करेगा और इससे व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है। यह संभावना है कि सरकार ऋणपत्र जारी करेगी और बैंक इन्हें सीधे प्राप्त करेंगे। इस दौरान मुख्य राशि कहीं नहीं जाएगी बल्कि खाते में प्रविष्टि होगी। पैसा एक ही जगह रहने से यह सुनिश्चित होगा कि सरकार राजकोष पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार से बच जाएगी।

अब बस यह देखना बाकी है कि सरकार ऋण देने वालों को बाजार में ऋणपत्र बेचने की अनुमति देती है अथवा नहीं। चूंकि ऋणपत्र जारी करने की रूपरेखा अभी भी वित्त मंत्रालय द्वारा बनाई जा रही है, इसलिए इसे समझने के लिए इसके विस्तृत ब्यौरे की घोषणा की प्रतीक्षा करनी होगी। तथापि, यह तर्क किया जा सकता है कि दोनों मामलों में बैंकों को लाभ होगा क्योंकि उनका पूंजी आधार बढ़ेगा। साथ ही, सरकार द्वारा बैंकों को बाजार में ऋणपत्र बेचने की अनुमति देने की स्थिति में, बैंकों को धन प्राप्त करने तथा

लेखक वाणिज्य सलाहकार और विश्लेषक हैं। वे अंतरराष्ट्रीय और भारतीय अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ भी हैं। ईमेल: kr.ashu09@gmail.com

अपना ऋण आधार बढ़ाने में मदद मिलेगी। दूसरी ओर, यदि बैंकों को ऋणपत्र बेचने की अनुमति नहीं मिलने की स्थिति में ये निवेश के रूप में ब्याज प्राप्त करने का जरिया बनेंगे। दोनों मामलों में यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि पुनर्पूजीकरण ऋणपत्रों का जारी किया जाना बैंकिंग व्यवस्था के लिए लाभकारी है।

विमुद्रीकरण के बाद बैंकिंग प्रणाली में आई पैसों की बाढ़ के मद्देनजर भी ऋणपत्र जारी करना सही दिशा में उठाया गया कदम है। बैंक अन्यथा केवल पूंजी की प्रचुरता के कारण ही ऋण नहीं दे देते। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार 500 और 1000 रुपये के 99 प्रतिशत विमुद्रीकृत नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुके हैं।

ऋणपत्र जारी करने का महत्व दिवाला और दिवालियापन कोड के नजरिए से भी मापा जा सकता है। पिछले वर्ष बनाये गए इस कोड का इस्तेमाल लगभग 300 खातों का समाधान करने के लिए किया जा रहा है। इनमें से 12 खाते बड़े एनपीए खाते हैं जिनका मूल्य लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपये है, को आरबीआई ने इस वर्ष जून में नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (एनसीएलटी) को भेजा था। यदि बैंक और चूककर्ता कंपनी स्वयं समाधान करने को तैयार हो जाते हैं तो इस महीने के अंत में एनसीएलटी को 29 कंपनियों की एक और सूची भेजे जाने का अनुमान है। जबकि कई कर्जदार खातों का समाधान करने जा रहे हैं, ऐसे में बैंकों द्वारा कटौती का भार वहन करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वास्तव में विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ बड़े एनपीए खातों के मामले में बैंकों को 60 प्रतिशत तक कटौती वहन करनी पड़ेगी।

जुलाई में जारी क्रिसिल की रिपोर्ट इंगित करती है कि 50 बड़े दवाबपूर्ण खातों का समाधान करने के लिए बैंकों को 2,40,000 करोड़ रुपये अथवा 60 प्रतिशत कटौती करनी होगी। ये कंपनियां अर्थव्यवस्था के बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये कंपनियां धातु क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की हैं जिनका कुल ऋण में हिस्सा क्रमशः 30 प्रतिशत, 25 प्रतिशत और 15 प्रतिशत है। इस वर्ष 31 मार्च तक की स्थिति के अनुसार कुल एनपीए में इन क्षेत्रों का लगभग पचास फीसदी हिस्सा है।

रेटिंग एजेंसी का कहना है "4 लाख करोड़ रुपये के ऋण वाली 50 बड़ी दबावपूर्ण परिसम्पत्तियों के निपटान के लिए बैंकों को 60 प्रतिशत कटौती की आवश्यकता हो सकती है जिसका मूल्य 2.4 लाख करोड़ रुपये है।"

इस एजेंसी ने कटौती को चार श्रेणियों में बांटा है। ये श्रेणियां हैं: अधिक (75 प्रतिशत से ज्यादा), आक्रामक (50-75 प्रतिशत) सामान्य (25-50 प्रतिशत) और सीमांत (25 प्रतिशत से कम)। इन आंकड़ों को एक निश्चित परिदृश्य में ढ़ाला जाए तो लगभग 25 प्रतिशत ऋण के लिए सीमान्त से सामान्य कटौती की आवश्यकता हो सकती है जबकि तीसरे के लिए आक्रामक तथा लगभग 40 प्रतिशत अधिक कटौती की अपेक्षा हो सकती है।

रेटिंग एजेंसी के अनुसार क्षेत्रों के संबंध में, विद्युत क्षेत्र में सामान्य कटौती की आवश्यकता होगी जबकि धातु और निर्माण क्षेत्र में आक्रामक कटौती अपेक्षित है। क्रिसिल का कहना है कि अधिक कटौती की आवश्यकता वाले ज्यादातर ऋण अनिश्चित व्यवसाय वाली कंपनियों से संबंधित हैं इसलिए धन की वसूली के लिए संपत्ति की बिक्री आवश्यक है। सामान्य या आक्रामक कटौती की आवश्यकता वाली कंपनियों ने ऋण द्वारा वित्तपोषित पूंजीगत व्यय को अपनाया है। हालांकि, मांग में कमी या परियोजनाओं के विनियामक संबंधी मामलों में उलझने के कारण समय और लागत में बढ़ोतरी होने से, इन्हें अलाभकारी रूप से ऋण प्रदान किया गया था।

इसके अतिरिक्त क्रिसिल रिपोर्ट के अनुसार वे कंपनियां सीमांत कटौती की अपेक्षा रखती हैं जो अस्थायी गिरावट से जूझ रही हैं जिन्हें भविष्य में ठीक किया जा सकता है। रेटिंग एजेंसी का कहना है, "अर्थव्यवस्था का व्यापक हित इसी में है कि बाजार से बाहर होने की बजाय कटौती के कड़वे घूंट को पी लिया जाए।''

बेसल III के तहत दिवालियापन के समाधान और पूंजीगत मानदंडों को पूरा करने के कारण अब तक होने वाली कटौती के लिए पीएसबी को प्रेरणा की आवश्यकता है जो बहुमत शेयरधारक होने के नाते सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। पुनर्पूजीकरण ऋणपत्र विधेयक में यहां पर ठीक बैठते हैं। फिर भी इस बारे में अधिक स्पष्टता तब आएगी जब सरकार अन्य बातों के साथ-साथ धनराशि, जारीकर्ता, ग्राहक, टिकट के आकार तथा कूपन की दर के बारे में सटीक विवरण की घोषणा करेगी।

हालांकि यह देखना काफी रोचक है कि ऋणपत्र जारी करने का वृहत् अर्थव्यवस्था, खासतौर से राजकोषीय घाटे, पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऋणपत्रों की वार्षिक ब्याज लागत 8,000 करोड़ रुपये से 9,000 करोड़ रुपये के बीच रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम के अनुसार

ऋणपत्रों से मुद्रास्फीति या राजकोषीय घाटा नहीं बढ़ेगा। वैसे राजकोषीय घाटा बढ़ेगा या नहीं, यह लेखा पद्धति पर निर्भर करता है।

मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने ऋणपत्र जारी करने की घोषणा के एक दिन बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान देते हुए कहा "8000-9000 करोड़ रुपये की वार्षिक ब्याज लागत के बावजूद 1.35 लाख करोड़ रुपये के पुनर्पूंजीकरण ऋणपत्र जारी करने की वार्षिक ब्याज लागत से न तो मुद्रास्फीति होगी और न ही आर्थिक गतिविधियों और परिसंपत्ति सृजन के कारण राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा, भारतीय लेखा प्रणाली के अंतर्गत पुनर्पूंजीकरण ऋणपत्रों से ऋण में बढ़ोतरी होगी जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ेगा किन्तु यदि खातों को आईएमएफ पद्धति से तैयार किया जाए तो वित्तीय घाटा नहीं बढ़ेगा।

इस बीच, ऋणपत्र जारी करने के साथ ही बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक सुधार किए जाने भी जरूरी हैं। सरकार ने इस ओर संकेत किया है और इसके लिए प्रतिबद्ध भी है। 12 नवंबर को गुड़गांव में आयोजित पीएसबी मंथन में बैंकिंग और वित्तीय सेवा के सचिव राजीव कुमार ने भी यह संकेत दिया कि पूंजी आधार का विस्तार करने के साथ ही जवाबदेही की भी जरूरत है। कुमार कहते हैं "सब कुछ बैंकिंग सुधारों से जुड़ा हुआ है और प्रत्येक बोर्ड अल्पावधि में इस बात पर विचार करेगा कि व्यवसाय किस तरह का है और वह कैसे आगे बढ़ना चाहता है। मुख्य बात यह है कि यह आसानी से मिलने वाला पैसा नहीं है। इसके साथ बहुत सारे सुधार जुड़े हुए हैं।" कुमार आगे बताते हैं कि बैंकिंग सुधारों में बैंक के बोर्ड भी शामिल हैं जिनकी एक निश्चित सोच है तथा विचार हेतु एक स्पष्ट योजना के साथ आगे आते हैं।

कुमार के अनुसार, पुनर्पूंजीकरण अपने आप नहीं हो जाता, इसके पहले और बाद में कई सुधार आवश्यक हैं। ऋणपत्रों के संबंध में उन्होंने कहा कि इन्हें फ्रंट-लोड करने की योजना है अर्थात् इनमें से अधिकांश को वर्तमान वर्ष में किया जाएगा।

इस बीच, भारत के कारपोरेट जगत ने भी बैंक पुनर्पूंजीकरण के विचार का समर्थन किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपे गए बजट-पूर्व प्रतिवेदन में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने कहा कि इस विचार से बैंकिंग क्षेत्र को और मजबूती मिलेगी। सीआईआई ने कहा, "बैंकों को पुनर्पूंजीकरण ऋणपत्र बेचने की अनुमति दी जाए जिन्हें संस्थान, निवेशक और यहां तक कि आम जनता भी खरीद सकती है।" ❑

कैबिनेट ने पुनर्निर्माण और विकास हेतु यूरोपियन बैंक में भारत की सदस्यता को मंजूरी दी

केंद्रीय कैबिनेट ने यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (ईबीआरडी) में भारत की सदस्यता को मंजूरी दे दी है। ईबीआरडी की सदस्यता से भारत की अंतरराष्ट्रीय पहचान समृद्ध होगी और इसके आर्थिक हितों में भी इजाफा होगा। इसी के साथ ईबीआरडी के देशों की कार्यप्रणाली और सेक्टर जानकारी तक भी पहुंच बढ़ेगी।

- भारत के निवेश के अवसर बढ़ेंगे। निर्माण, सेवाओं, सूचना तकनीक और ऊर्जा के क्षेत्र में सह-वित्तीय अवसरों के माध्यम से भारत और ईबीआरडी में सहयोग की संभावना में वृद्धि होगी।
- ईबीआरडी वाले देशों में इसकी कार्यप्रणाली निजी क्षेत्र तक ही सीमित है। इसकी सदस्यता से भारत को अपने निजी क्षेत्र के विकास हेतु बैंक से तकनीकी सहायता और सेक्टोरल जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- इससे देश में निवेश की बेहतर परिस्थितियां पैदा होंगी। ईबीआरडी की सदस्यता से भारतीय फर्मों की प्रतियोगी क्षमता का विकास होगा और व्यावसायिक अवसरों, प्रोक्योरमेंट गतिविधियों, परामर्शक कार्यों के रूप में अंतरराष्ट्रीय बाजार तक हमारी पहुंच बढ़ेगी। इससे जहां एक ओर भारतीय व्यावसायिकों के लिए नई दिशाएं खुलेंगी वहीं दूसरी ओर नियति भी बढ़ेगा। आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होने से रोजगार निर्माण की सामर्थ्य का भी विकास होगा।
- इससे भारतीय नागरिकों को बैंक में रोजगार प्राप्ति के अवसर मिलेंगे।
- ईबीआरडी की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आरंभिक निवेश लगभग एक मिलियन होगा। हालांकि यह मान्यता भारत द्वारा सदस्यता प्राप्त करने हेतु आवश्यक न्यूनतम शेयरों (100) खरीदने के निर्णय पर आधारित है। यदि भारत इससे अधिक बैंक शेयर खरीदता है तो निवेश की राशि और अधिक होगी। सैद्धांतिक रूप से इस स्टेज पर कैबिनेट की मंजूरी बैंक की सदस्यता प्राप्त करने हेतु ली गई है।
- यूरोपियन बैंक फॉर रिकन्सट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ईबीआरडी की सदस्यता प्राप्त करने से संबंधित मुद्दे अभी सरकार के विचाराधीन हैं। पिछले कुछ सालों में देश को प्रभावी आर्थिक विकास और अंतरराष्ट्रीय राजनैतिक पहचान में वृद्धि को देखते हुए यह उपयुक्त होगा कि भारत मल्टी-लेट्रल डेवलपमेंट बैंक (एमडीबीएस) जैसे कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक से परे भी वैश्विक विकास लैंडस्केप पर अपनी उपस्थिति दर्ज करे। ❑

बैंकों का बैंक: रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। इसका गठन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के मुताबिक किया गया था। शुरू में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में बनाया गया, लेकिन 1937 में इसे स्थायी रूप से मुंबई (तब के बंबई) भेज दिया गया। शुरू में इसका मालिकाना निजी हाथों में था, लेकिन 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तब से यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व के तहत है।

रिजर्व बैंक की प्रस्तावना में इस बैंक के बुनियादी कामकाज के बारे में कुछ इस तरह बताया गया है:

'बैंक नोटों से जुड़े मुद्दे का नियमन करना और भारत में मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने के लिहाज से रिजर्व रखना। इसके अलावा, देश के हित में करेंसी और क्रेडिट सिस्टम का संचालन करना; लगातार जटिल होती जा रही अर्थव्यवस्था के लिए मौद्रिक नीति का आधुनिक ढांचा तैयार करना और वृद्धि दर के मकसद को ध्यान में रखते हुए कीमतों में स्थिरता बनाए रखना।'

रिजर्व बैंक के मामले केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा संचालित होते हैं। भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत बोर्ड की नियुक्ति करती है।

रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति

मौद्रिक नीति में केंद्रीय बैंक के नियंत्रण के तहत मौद्रिक उत्पादों के इस्तेमाल के सिलसिले में चीजें तय की जाती हैं और इसका मकसद अधिनियम में तय लक्ष्यों को हासिल करना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास मौद्रिक नीति तैयार करने की जिम्मेदारी है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत इस जिम्मेदारी का साफ तौर पर जिक्र है।

मौद्रिक नीति का मुख्य मकसद वृद्धि दर के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कीमतों में स्थिरता को बनाए रखना है। सतत और टिकाऊ वृद्धि दर के लिए कीमतों में स्थिरता अहम शर्त है।

मुंबई के सर फिरोजशाह मेहता रोड स्थित अमर बिल्डिंग में मौजूद रिजर्व बैंक का मौद्रिक म्यूजियम।

हालिया पहल

मई 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन किया गया। इसका मकसद महंगाई दर के लचीले ढांचे को वैधानिक आधार प्रदान कर इसका अमल करना था। रिजर्व बैंक के संशोधित कानून में केंद्रीय बैंक के साथ सलाह-मशवरे से महंगाई दर को लेकर भारत सरकार के तय लक्ष्य को भी पूरा करने की बात है। मई 2016 में रिजर्व बैंक कानून में संशोधन से पहले महंगाई दर से जुड़ा सिस्टम सरकार और रिजर्व बैंक के बीच 20 फरवरी 2015 को मौद्रिक नीति ढांचे को लेकर हुई सहमति के आधार पर संचालित होता था।

भारत सरकार के साथ मिलकर रिजर्व बैंक देश की मुद्रा के डिजाइन, उत्पादन और सकल प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है

और इसका मकसद साफ और सही नोटों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है। भारत सरकार सिक्के जारी करने वाला प्राधिकार है और वह मांग के आधार पर रिजर्व बैंक को सिक्कों की आपूर्ति करती है।

सरकार से सलाह के आधार पर रिजर्व बैंक मुद्रा में भरोसा बनाए रखने की दिशा में करता है। इसके लिए रिजर्व बैंक नई डिजाइन और सुरक्षा फीचर के जरिये बैंक नोट की विश्वसनीयता बनाए रखने की लगातार कोशिश करता रहता है।

नियम के तौर पर रिजर्व बैंक

जिम्मेदारी/लक्ष्य : नियमन का मकसद जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना, बैंकिंग कामकाज का व्यवस्थित विकास और संचालन और बैंकिंग सिस्टम और वित्तीय स्थिरता की सेहतमंद बनाना है।

दायरे में : व्यावसायिक बैंक (91), अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (5), क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां (4), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (56), स्थानीय इलाके के बैंक (4)

बदलाव: भारतीय बैंकिंग प्रणाली के विकास और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर चलन के आधार पर अपनाए गए नियमों के मद्देनजर नियामकीय कामकाज में भी बदलाव हुआ है।

यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस नीति

सैद्धांतिक तौर पर दो नए आवेदकों-आईडीएफसी लिमिटेड और बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को बैंक खोलने के लिए नए बैंकों से जुड़ी लाइसेंस संबंधी दिशा-निर्देशों के तहत 2 अप्रैल 2014 को मंजूरी दी गई। रिजर्व बैंक का इरादा लाइसेंस मुहैया कराने के इस अनुभव का इस्तेमाल कर

500 रुपये का नोट | 2000 रुपये का नोट

50 रुपये का नोट | 200 रुपये का नोट

दिशा-निर्देशों को संशोधित कर इसे और बेहतर बनाना है। रिजर्व बैंक यूनिवर्सल बैंकों के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के सिलसिले में लगातार काम कर रहा है।

जोखिम भरी संपत्तियों (स्ट्रेस्ड एसेट) का प्रबंधन

बैंकों की ऐसी संपत्तियों के असरदार प्रबंधन के लिए बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। इसमें कई चीजों के अलावा बैंकिंग सिस्टम को वित्तीय मुश्किलों के बारे में जल्दी भांपने और इससे निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने की बात कही गई थी।

भारत में बैंकों के संचालन से जुड़े बोर्ड की समीक्षा

रिजर्व बैंक फिलहाल बैंकों के संचालन से जुड़े बोर्ड की समीक्षा कर रहा है

सहकारी बैंकों का नियमन

भारत में ग्रामीण सहकारी उधारी प्रणाली का मुख्य मकसद कृषि के क्षेत्र में कर्ज की सुविधा सुनिश्चित करना है। इसमें छोटी अवधि के और लंबी अवधि के सहकारी उधार ढांचे

केंद्रीय बैंक का इतिहास: एक नजर में

रिजर्व बैंक का गठन बैंक नोटों के नियमन, मौद्रिक स्थिरता के लिए रिजर्व बनाए रखने और देशहित में क्रेडिट और करेंसी सिस्टम के संचालन के लिए किया गया था। बैंक ने सरकार से उस कामकाज को अपने हाथों में लिया, जिसे मुद्रा नियंत्रक और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और कुछ अन्य इकाई मिलकर कर रही थी। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, रंगून (म्यांमार), कराची, लाहौर और कानपुर में मौजूदा मुद्रा कार्यालय इश्यू डिपार्टमेंट के दफ्तर बन गए। बर्मा (म्यांमार) 1937 में भारत से अलग हो गया, लेकिन रिजर्व बैंक बर्मा में अप्रैल 1947 तक केंद्रीय बैंक की तरह काम करता रहा। भारत के विभाजन के बाद रिजर्व बैंक ने जून 1948 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के तौर पर काम किया। इसके बाद पाकिस्तान स्टेट बैंक ने अपना कामकाज शुरू किया।

इस बैंक को पहले शेयरधारकों के बैंक के तौर पर स्थापित किया गया था और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। रिजर्व बैंक की एक दिलचस्प बात यह है कि शुरू से ही इसे विकास खासतौर पर कृषि के संदर्भ में विशेष भूमिका निभाने के तौर पर देखा गया है। जब भारत ने योजना प्रणाली शुरू की तो बैंक की भूमिका सुर्खियों में आई। खासतौर पर 1960 के दशक में रिजर्व बैंक ने विकास में अहम बदलाव के लिए वित्त की अवधारणा और चलन को नए सिरे से पारिभाषित किया। संस्थानों के विकास में भी बैंक की अहम भूमिका रही और इसने भारत में इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (आईडीबीआई), नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डिवेलपमेंट (नाबार्ड) आदि के गठन में मदद की, जिससे देश का वित्तीय ढांचा खड़ा हो सका।

उदारीकरण के बाद बैंक का ध्यान फिर से केंद्रीय बैंक के मुख्य कामकाज मसलन मौद्रिक नीति, बैंकों की निगरानी और नियमन, भुगतान पद्धति की देखरेख और वित्तीय बाजारों के विकास पर हो गया। ❑

विदेशी मुद्रा प्रबंधन

भारत में लंबे समय तक विदेशी मुद्रा को नियंत्रित कमोडिटी जैसा माना जाता था। इसकी वजह इसकी सीमित उपलब्धता थी। देश में विदेशी मुद्रा प्रबंधन के शुरुआती दौर में इसकी सीमित आपूर्ति के कारण फोकस सिर्फ मांग को कम कर कर विदेश मुद्रा के नियंत्रण पर था। भारत में 3 सितंबर 1939 को अस्थायी तौर पर भारत के रक्षा नियमों के तहत एक्सचेंज नियंत्रण पेश किया गया था। मुद्रा विनिमय के लिए वैधानिक अधिकार विदेशी मुद्रा नियमन कानून, 1947 (फेरा) के जरिये मिला। इसके बाद इसे और व्यापक बनाते हुए विदेशी मुद्रा नियमन कानून, 1973 लाया गया। इस कानून ने रिजर्व बैंक और कुछ मामलों में केंद्र सरकार को भारत के बाहर विदेशी मुद्रा के भुगतान संबंधी सौदों, करेंसी नोटों और सर्राफे के आयात और निर्यात, निवासियों और प्रवासियों के बीच प्रतिभूतियों के ट्रांसफर, विदेशी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण और भारत के भीतर व बाहर अचल संपत्तियों आदि सौदों को नियंत्रित करने और इसके नियमन संबंधी अधिकार दिए गए।

विदेशी मुद्रा को संचालित करने वाले नियमों में व्यापक स्तर पर ढील की पहल की गई। 1991 में उदारीकरण से जुड़े उपाय पेश किए गए और इस कानून में संशोधन कर नया विदेशी मुद्रा नियमन (संशोधन) कानून, 1993 पेश किया गया। बाहरी कारकों मसलन विदेशी मुद्रा रिजर्व में भारी बढ़ोतरी, विदेशी व्यापार में बढ़ोतरी, शुल्कों को तर्कसंगत बनाए जाने आदि में अहम बदलावों को ध्यान में रखते हुए 1999 में विदेशी मुद्रा नियमन (फेरा) की जगह विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) लाया गया। फेमा को 1 जून 2000 से लागू किया गया। फेमा का मकसद बाहरी व्यापार और भुगतान के लिए राह आसान करना और भारत में विदेशी मुद्रा बाजारों के व्यवस्थित ग्रोथ को बढ़ावा देना है। रिजर्व बैंक ने 31 दिसंबर 2004 से अपने इस विभाग का नाम भी बदल दिया। विदेशी मुद्रा विभाग से बदलकर इसका नाम मुद्रा नियंत्रण विभाग कर दिया गया है।

केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कंसॉलिडेटेड फंड, आपातकालीन फंड या सार्वजनिक खाते से पैसे लेने या भुगतान करने के लिए नियम बना सकती हैं। ये नियम रिजर्व बैंक पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं, क्योंकि इन फंडों से जुड़े खाते रिजर्व बैंक के पास होते हैं।

भी शामिल हैं। छोटी अवधि का सहकारी उधार ढांचा तीन स्तर के सिस्टम से संचालित होता है- गांव स्तर पर प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पीएसीएस), जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक (सीसीबी) और राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी)। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 के दायरे से बाहर हैं, लिहाजा ये रिजर्व बैंक के नियमों से संचालित नहीं होते हैं। शहरी कोऑपरेटिव बैंक शहरी और अर्द्ध-शहरी इलाकों में ग्राहकों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करते हैं।

रिजर्व बैंक बाकी नियामकों मसलन सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार और सहकारी सोसायटी से जुड़े केंद्रीय रजिस्ट्रार जैसे बाकी नियामकों के साथ मिलकर काम करता है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों का नियमन

भारत में ऐसे वित्तीय संस्थान भी हैं, जो बैंक नहीं हैं, लेकिन जमा लेते हैं और बैंकों की तरह कर्ज भी देते हैं। इन्हें नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां (एनबीएफसी) कहा जाता है। रिजर्व बैंक इस सेक्टर के विकास पर हमेशा नजर बनाए रखता है। वित्तीय स्थिरता, उपभोक्ताओं और जमाकर्ताओं के हितों, वित्तीय बाजार में और खिलाड़ियों की जरूरत, नियामकीय पंचाट चिंताओं से निपटने जैसे मकसदों को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक इन पर नजर रखता है। भारतीय रिजर्व बैंक फिलहाल एनबीएफसी के नियामकीय ढांचे की समीक्षा कर रहा है।

उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में रिजर्व बैंक की पहल में उपभोक्ता शिकायत निपटारा सेल, 2006 में उपभोक्ता सेवा विभाग बनाया जाना शामिल हैं, जिसका नाम हाल में बदलकर उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग कर दिया गया है। विवादों के निपटारे के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 1995 में बैंकिंग लोकपन स्कीम शुरू की। बैंकिंग लोकपन बैंक और उसके ग्राहकों के बीच विवादों के निपटारे के लिए वैकल्पिक प्रणाली है। फिलहाल, देश में बैंकिंग लोकपन के 20 दफ्तर हैं। इस स्कीम के तहत व्यावसायिक बैंकों, प्राथमिक सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के खिलाफ शिकायतों को निपटाया जाता है। रिजर्व बैंक ने 2006 में बैंकिंग ओंबड्समैन सिस्टम में संशोधन किया। इसके तहत बैंकिंग ओंबड्समैन और इस ऑफिस के स्टाफ रिजर्व बैंक के मौजूदा कर्मचारी ही होंगे।

बैंकर और कर्ज प्रबंधक के तौर पर रिजर्व बैंक की भूमिका

रिजर्व बैंक ने शुरू से ही केंद्रीय बैंक के पारंपरिक कामकाज सरकार के बैंकिंग लेनदेन के प्रबंधन का काम संभाला है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के मुताबिक, केंद्र सरकार पर अपने सभी पैसे, रेमिटेंस, भारत में होने वाले एक्सचेंज और बैंकिंग सौदों और सरकारी कर्ज का प्रबंधन रिजर्व बैंकों को सौंपने की जिम्मेदारी है। सरकार अपनी नकदी बैलेंस भी रिजर्व बैंक में जमा करती है। रिजर्व बैंक राज्य सरकारों की सहमति से उनके बैंकर और कर्ज प्रबंधक के तौर पर भी काम कर सकता है। फिलहाल रिजर्व बैंक भारत में सभी राज्य सरकारों के बैंकर

के तौर पर काम करता है। हालांकि, सिक्किम इसमें शामिल नहीं है। जहां तक सिक्किम का सवाल है, तो उसके सरकारी कर्ज के प्रबंधन के लिए रिजर्व बैंक से उसका सीमित समझौता है।

रिजर्व बैंक की तय जिम्मेदारियां हैं और यह सरकार को कई तरह की बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराता है। सरकार के बैंकर के तौर पर रिजर्व बैंक विभिन्न सरकारी विभागों के बदले पैसा लेता और इसका भुगतान करता है। यह सरकार को छोटी अवधि के लिए कर्ज भी देता है, ताकि प्राप्तियों और भुगतान में असंतुलन को तत्काल दूर किया जा सके। इसके अलावा, पोर्टफोलियो मैनेजर की तरह रिजर्व बैंक सरकारों के लिए सरप्लस नकदी बैलेंस के लिए निवेश का भी इंतजाम करता है। रिजर्व बैंक मौद्रिक और बैंकिंग से जुड़े मामलों में सरकार के सलाहकार के तौर पर भी काम करता है।

ग्राहक सेवाओं में सुधार की पहल

कटे-फटे नोटों को छोड़ने और बेहतर नोट इकट्ठा करने के लिए इंसेंटिव

- बैंक शाखाओं को मुद्रा बदलने की सुविधा देना
- बैंकों को नोटों और सिक्कों के वितरण और दूर-दराज तक पहुंच के लिए बैंकों को बिजनेस कॉरस्पॉन्डट्स और कैश इन ट्रांजिट कंपनियों की सेवा लेने के लिए इजाजत देना
- अंतरराष्ट्रीय प्रचलन के मुताबिक, पुरानी सीरीज (2005 से पहले जारी किए गए) के नोटों को वापस लेना
- 'पैसा बोलता है' नामक ज्ञानवर्धक माइक्रो-साइट तैयार करना, इसमें बैंक नोट पर लोगों को जागरूकता के लिए फिल्म भी शामिल है

सार्वजनिक कर्ज का प्रबंधन

केंद्रीय बजट केंद्र सरकार की सालाना उधारी जरूरतों के बारे में फैसला करता है। ब्याज दर, समय और कर्ज जुटाने जैसी चीजें कैश की हालत और बाजार की उम्मीदों पर निर्भर करती हैं। रिजर्व बैंक की कर्ज प्रबंधन रणनीति का मकसद कर्ज की लागत कम करना, बाकी जोखिम को घटाना, कर्ज की मैच्योरिटी के ढांचे को बेहतर बनाना और एक सक्रिय सेकेंडरी मार्केट विकसित सरकारी प्रतिभूति बाजार की तरलता को सुधारना है।

उपभोक्ता जागरूकता और संरक्षण: हालिया पहल

रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए उपभोक्ताओं के अधिकारों से जुड़ा चार्टर तैयार किया है। इसे उपभोक्ता संरक्षण में वैश्विक स्तर पर बेहतर परंपराओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसमें बैंक ग्राहकों के संरक्षण के सिद्धांतों और उनके 5 बुनियादी अधिकारों के बारे में बताया गया है

- निष्पक्ष तरीके से बर्ताव का अधिकार
- पारदर्शिता का अधिकार
- उपयुक्तता का अधिकार
- निजता का अधिकार
- शिकायतों के निपटारे और मुआवजे का अधिकार।

रिजर्व बैंक : सभी बैंकों के बैंकर

रिजर्व बैंक लगातार इन खातों के कामकाज पर निगरानी रखता है, ताकि डिफॉल्ट नहीं हो। जहां तक बाकी प्रावधानों की बात है, तो रिजर्व बैंक इन खातों में कम से कम बैलेंस रखने के लिए कहता है। चूंकि बैंकों को देश के विभिन्न जगहों पर हो रहे सौदों को एक-दूसरे के साथ निपटाने की जरूरत होती है, लिहाजा उन्हें रिजर्व बैंक के अलग-अलग क्षेत्रीय कार्यालयों में खाते खोलने की इजाजत होती है।

रिजर्व बैंक एक ठिकाने पर बैंक के सरप्लन खाते से दूसरे डेफिसिट (घाटे) वाले खाते में फंड भेजने की सुविधा भी मुहैया कराता है। इस तरह के ट्रांसफर ई-कुबेर नामक कंप्यूटर सिस्टम के जरिये होते हैं। रिजर्व बैंक में खातों के कंप्यूटराइजेशन से बैंकों को रियल टाइम बेसिस पर अपने विभिन्न खातों में फंड के बारे में नजर रखने में मदद मिली है।

भुगतान और सेटलमेंट सिस्टम की निगरानी

भुगतान और सेटलमेंट सिस्टम की निगरानी केंद्रीय बैंक का काम है। बैंक की निगरानी के मौजूदा सिस्टम के जरिये सुरक्षा और दक्षता के लक्ष्यों को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही, इस निगरानी में जरूरी पाए जाने पर सिस्टम में बदलाव भी किए जाते हैं। पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम पर निगरानी बनाकर केंद्रीय बैंक सिस्टम की स्थिरता बनाए रखने और इससे जुड़े जोखिम को कम कर इस सिस्टम में लोगों का भरोसा कायम कर अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। भुगतान और निपटारा प्रणाली कानून, 2007 और भुगतान और निपटारा प्रणाली नियमन 2008 बनाकर रिजर्व बैंक को देश में भुगतान और सेटलमेट सिस्टम की निगरानी के लिए जरूरी वैधानिक अधिकार दिए गए हैं। ❑

स्रोत: रिजर्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट

You Deserve the Best...

IAS GS World PCS

Committed To Excellence

IAS-2016 में चयनित GS World के छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं...

Ganga Singh (Roll No. 0078265) Rank 33rd

Hemant Sati (Roll No. 0441143) Rank 88th

Dhawal Jaiswal (Roll No. 0807519) Rank 445th

Ashutosh Kr. Rai (Roll No. 0576755) Rank 500th

And Many More...

Niraj Singh (M.D.) | Divyasen Singh (Co-ordinator)

दिल्ली केन्द्र

सामान्य अध्ययन

Foundation Batch

Open Seminar

5 Jan. 11:45 am

इलाहाबाद केन्द्र

GENERAL STUDIES

हिन्दी & English Separate Batch

Foundation Batch

16 Jan. 11:30 am | 30 Jan. 8:30 am

लखनऊ केन्द्र

Complete Prepration For IAS/PCS

GS Foundation Batch

17 Jan. 11:30 am

Bilingual

जयपुर केन्द्र

Complete Preparation for RAS

New Foundation Batch

15 Jan. 9:15 am

IAS INTEGRATED MAINS TEST SERIES-2018

Complete 52 Tests only 15000/- | At all GS World Center

NCERT Mains Test Series	Magazine & TV Debate Test Series	IAS-2018 Specific Mains Test Series	ESSAY Test Series
Total Test - 10	Total Test - 20	Total Test - 12	Total Test - 10

DELHI CENTRE	ALLAHABAD CENTRE	LUCKNOW CENTRE	JAIPUR CENTRE
629, Ground Floor, Main Road Dr. Mukherjee Nagar, Delhi- 09 Ph.:7042772062/63, 9868365322	GS World House, Stainly Road, Near Traffic Choraha, Allahabad Ph.: 0532-2266079, 8726027579	A-7, Sector-J , Puraniya Chauraha Aliganj, Lucknow Ph. : 0522-4003197, 8756450894	Hindaun Heights 57, Shri Gopal Ngr, Near Mahesh Ngr Police Station, Jaipur Ph. :9610577789, 9680023570

http://www.gsworldias.com | http://facebook.com/gsworld1 | 9654349902

YH-697/3/2017

दिवालिया कानूनः समाधान की तलाश

इंदिवजल धस्माना

मौजूदा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) यह संहिता पहले की निपटान प्रणाली से बिल्कुल अलग है क्योंकि यह कॉरपोरेट देनदार के खिलाफ निपटान प्रक्रिया को शुरू करने की जिम्मेदारी लेनदार को सौंपती है। पहले की व्यवस्था इससे अलग थी। उसमें देनदार ही निपटान प्रक्रिया चालू करता था, जबकि लेनदार को बकाया कर्ज की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती थी

वर्ष 2018 में भारत ने कारोबार सुगमता सूची में अपनी स्थिति सुधार ली। इस सूची को हर वर्ष विश्व बैंक जारी करता है। भारत ने 30 अंकों की छलांग लगाकर अब 103वें स्थान पर अपनी जगह बना ली है। हालांकि भारत अब भी निचली पायदान पर खड़ा है, पर पिछले वर्ष की तुलना में उसकी स्थिति बेहतर हुई है। पिछले कई वर्षों से भारतीय अर्थव्यवस्था धीमी गति से बढ़ रही थी। इस सूची में भारत की कदमताल भी धीमी ही थी। 2016 में भारत इस सूची में 136वें स्थान पर था और उससे पिछले वर्ष यानि 2015 में 137वें स्थान पर। अब स्थिति में जो सुधार हुआ है, उसका एक कारण दिवालिया कानून में होने वाले तमाम बदलाव भी हैं।

दिवालिया कानून में बदलाव की पहल 2016 में शुरू हुई, जब सरकार ने दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) जैसे रेगुलेटर के साथ दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) को लागू किया। हालांकि व्यक्तियों और पार्टनरशिप कंपनियों के लिए इस संहिता के प्रावधानों को अभी अधिसूचित नहीं किया गया है। चूंकि इस संबंध में फिलहाल नियम जारी नहीं किये गये हैं। कोई व्यक्ति या कंपनी दिवालिया तब होते हैं जब वे अपने द्वारा लिये गये ऋण को चुकाने में असमर्थ होते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए कर्ज को पुनर्गठित किया जाता है। फिर भी अगर कर्ज का निपटारा नहीं होता तो व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगर मामला किसी कंपनी का होता है तो कर्ज के पुनर्गठन का विकल्प तलाशने के बाद दूसरा विकल्प यह होता है कि ऋणदाताओं को भुगतान करने के लिए परिसंपत्तियों को बेच दिया जाए।

व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए न सिर्फ उसमें प्रवेश के रास्ते सरल बनाए जाने चाहिए, बल्कि उससे निकासी भी सहज होनी चाहिए। दिवालिया होने की स्थिति में व्यापार से निकासी की प्रक्रिया समयबद्ध होनी चाहिए। इस संहिता ने इन दोनों स्थितियों को आसान बनाने का रास्ता सुझाया है।

इस अधिनियम के लागू होने से पहले दिवाला समाधान प्रक्रिया में लंबा समय लग जाता था। मुकदमेबाजी में भी समय बर्बाद होता था। इसका एक कारण कानूनों की जटिलता थी। दिवालिया समाधान के लिए हमारे देश में लगभग 12 कानून हैं। जैसे संविदा अधिनियम, बैंकों और वित्तीय संस्थानों में बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम इत्यादि। इस कारण अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त हो रहे थे। साथ ही बीमार औद्योगिक कंपनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम और कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान भी प्रभावहीन थे।

इनके अतिरिक्त दो कानून- प्रेसीडेंसी टाउन दिवालियापन अधिनियम 1909 और प्रांतीय दिवालियापन अधिनियम 1920 व्यक्तियों के दिवालिया होने से संबंधित थे। लेकिन इन दशकों पुराने कानून का

लेखक समाचार पत्र बिजनेस स्टैंडर्ड में आर्थिक विषयों के संपादक हैं। इससे पहले वे समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में मुख्य वित्तीय संवाददाता के तौर पर कार्यरत थे। इनका पत्रकारिता के क्षेत्र में 20 वर्ष का अनुभव है। आर्थिक नीतियों, कराधान और माइक्रो इक्नॉमिक्स इनके मुख्य विषय रहे हैं। ईमेलः indivjal@gmail.com

आईबीबीआई ने जारी किए नये निशानिर्देश

तकनीकी समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड ने निम्नलिखित मामलों के लिए आईबीबीआई (सूचना उपयोगिता) विनियम, 2017 के विनियम के तहत प्रमुख सेवाओं के कार्य-निष्पादन के तकनीकी मानदंड निर्धारित किए हैं:

1) सेवा का मानक समय;
2) प्रयोक्ता का पंजीकरण;
3) प्रत्येक रिकॉर्ड और प्रयोक्ता के लिए विशिष्ट पहचान;
4) सूचना प्रस्तुत करना;
5) व्यक्ति की पहचान और सत्यापन;
6) सूचना का प्रमाणीकरण;
7) सूचना का सत्यापन;
8) आंकड़ों की सत्यता;
9) तृतीय पक्षकारों को सूचना तक पहुंच प्रदान करने के लिए सहमति की रूपरेखा;
10) प्रणाली की सुरक्षा;
11) सूचना की सुरक्षा;
12) जोखिम प्रबंधन रूपरेखा;
13) सूचना का संरक्षण; और
14) सूचना का परिष्करण।

सेवा प्रदान करते समय सूचना उपयोगिता लागू तकनीकी मानदंडों के अनुसार होगी। ये दिशानिर्देश www.mea.gov.in और www.ibbi.gov.in पर उपलब्ध हैं। ❑

भी कोई लाभ नहीं मिल रहा था। यह नयी संहिता इन दोनों कानूनों को निरस्त करती है। संहिता की धारा 243 में इन कानूनों को रद्द करने का प्रावधान है। हालांकि इन्हें अभी अधिसूचित नहीं किया गया है।

दिवालिया संहिता में दो अधिकरणों की स्थापना की गयी है- राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (एनसीएलटी) और ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी)। राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण के क्षेत्राधिकार में कंपनियां और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आएंगी और ऋण वसूली अधिकरण के अधिकार क्षेत्र में व्यक्ति और पार्टनरशिप कंपनियां आएंगी।

यह संहिता समस्याग्रस्त कंपनियों के निपटान के लिए समयबद्ध प्रक्रिया तैयार करती है। अगर डीफॉल्ट एक लाख रुपये से अधिक का होता है, तो लेनदार दिवालिया निपटान प्रक्रिया शुरू कर सकता है और एनसीएलटी में गुहार लगा सकता है।

यह संहिता पहले की निपटान प्रणाली से बिल्कुल अलग है क्योंकि यह कॉरपोरेट देनदार के खिलाफ निपटान प्रक्रिया को शुरू करने की जिम्मेदारी लेनदार को सौंपती है। पहले की व्यवस्था इससे अलग थी। उसमें देनदार ही निपटान प्रक्रिया चालू करता था, जबकि लेनदार को बकाया कर्ज की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती थी। हालांकि कॉरपोरेट देनदार भी इस निपटान प्रक्रिया के लिए आवेदन कर सकता था।

संहिता के नियमों के अनुसार एक बार मामला राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण के पास पहुंचा तो निपटान प्रक्रिया 180 दिनों के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। इस अवधि को 90 दिनों के लिए और बढ़ाया जा सकता है।

छोटी कंपनियों के लिए यह प्रावधान थोड़ा भिन्न है। इनकी निपटान प्रक्रिया को 90 दिनों में पूरा किया जाना चाहिए। इस अवधि को 45 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह प्रावधान 50 लाख रुपये तक की भुगतान पूंजी या दो करोड़ रुपये के टर्नओवर वाली कंपनियां और स्टार्टअप्स के लिए है। इस फास्ट ट्रैकिंग प्रणाली को ऐसी गैर सूचीबद्ध कंपनियां भी चुन सकती हैं जिनकी परिसंपत्ति पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में एक करोड़ रुपये थी।

निपटान प्रक्रिया के दौरान ऋणदाता आकलन करता है कि देनदार के कर्ज का पुनर्गठन किया जाए या कारोबार को पुनर्जीवित किया जाए। इस दौरान लेनदार किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकता। अगर निपटान प्रक्रिया सफल नहीं होती तो परिसंपत्ति की बिकवाली प्रक्रिया शुरू हो जाती है।

लाइसेंसशुदा दिवाला पेशेवरों (आईपीज़) द्वारा निपटान प्रक्रियाएं चालू की जाती हैं। चार्टर्ड एकाउंटेंसी, कंपनी सचिव, कॉस्ट एकाउंटेंसी, वकालत अथवा प्रबंधन में कम से कम दस वर्ष का अनुभव प्राप्त व्यक्ति आईपी हो सकता है। इसके लिए उसे इनसॉल्वेंसी परीक्षा भी पास करनी होगी। कोई अन्य व्यक्ति भी राष्ट्रीय दिवाला परीक्षा पास करके आईपी बन सकता है।

निपटान प्रक्रिया के दौरान ऋणदाता आकलन करता है कि देनदार के कर्ज का पुनर्गठन किया जाए या कारोबार को पुनर्जीवित किया जाए। इस दौरान लेनदार किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकता। अगर निपटान प्रक्रिया सफल नहीं होती तो परिसंपत्ति की बिकवाली प्रक्रिया शुरू हो जाती है।

एनसीएलटी आवेदन मंजूर होने के 14 दिनों के भीतर आईबीबी द्वारा पुष्टि करने पर अंतरिम आईपी नियुक्त करता है। अंतरिम आईपी का कार्यकाल 30 दिनों का होता है। वह देनदार की परिसंपत्तियों और कंपनी के प्रबंधन को नियंत्रित करता है तथा सूचना केंद्र (इनफॉरमेशन यूटिलिटी) से देनदार की वित्तीय जानकारी एकत्र करता है। वह लेनदार समिति का गठन करता है। कॉरपोरेट देनदार से संबंधित लेनदारों को छोड़कर शेष सभी वित्तीय लेनदार इस समिति के सदस्य होते हैं। आपरेशनल लेनदारों को भी समिति का हिस्सा होना चाहिए लेकिन बिना मतदान के अधिकार के। हां, उनका बकाया, कुल बकाया राशि का कम से कम दस प्रतिशत होना चाहिए।

गठन के सात दिनों के भीतर लेनदार समिति बैठक करेगी। इस बैठक में 75 प्रतिशत वोटों के साथ यह फैसला किया जाएगा कि अंतरिम आईपी को निपटान पेशेवर नियुक्त करे अथवा नहीं। इसके बाद आईपी एनसीएलटी द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

संहिता प्रावधान करती है कि परिसंपत्तियों को बेचने के बाद जो धन प्राप्त होगा, उसका वितरण किस प्रकार किया

जाएगा। इसके लिए एक वरीयता क्रम तय किया गया है। इस क्रम में सुरक्षित लेनदारों को पूरी बकाया राशि दी जाएगी। असुरक्षित लेनदारों को कारोबारी लेनदारों से ऊपर रखा गया है। इसके बाद सरकार का बकाया चुकाया जाएगा।

इस प्रक्रिया से समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। चूंकि इस वरीयता क्रम में कुछ बिल्डरों को नहीं रखा गया है। इसलिए मकान के खरीदारों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कुछ विरोधों के बाद दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने मकान के खरीदारों को नया फॉर्म एफ जारी किया है लेकिन वे अभी भी वरीयता क्रम में शामिल नहीं हैं।

संहिता के लागू होने के बाद अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, दिवालिया संहिता के तहत देश की पहली दिवालिया निपटान योजना में एनसीएलटी ने 90 प्रतिशत से अधिक के हेयरकट की अनुमति दी। हेयरकट का अर्थ है, ऋण में छूट देना। सिनर्जीज़-डोरे ऑटोमोटिव एल्यूमीनियम अलॉय व्हील्स का निर्माण और विश्वस्तरीय कार निर्माता कंपनियों को उनकी आपूर्ति करती थी। उसके दिवालिया होने पर उसका अधिग्रहण सिनर्जीज़ कास्टिंग ने किया। इसके बाद एनसीएलटी ने सिनर्जीज़ कास्टिंग्स से 900 करोड़ रुपये की कुल बकाया राशि में से 54 करोड़ रुपये लेनदारों को चुकाने का आदेश दिया।

एनसीएलटी ने कंपनी से इस कुल राशि में से 20 करोड़ रुपये का भुगतान एडवांस में करने को कहा। बकाया राशि पांच साल में चुकानी होगी। ऋण की मूल राशि 215 करोड़ रुपये थी। शेष 685 करोड़ रुपये में ब्याज, सांविधिक देय राशि और अन्य लेनदारों के भुगतान शामिल हैं।

सिनर्जीज़-डोरे का मामला उन 93,000 मामलों में से एक है जो औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) में लंबित थे और आईसीसी के तहत एनसीएलटी को स्थानांतरित कर दिये गये थे। यह मामला संहिता के तहत दायर होने वाले शुरुआती मामलों में से एक था।

इससे पूर्व सरकार मई में एक अध्यादेश जारी कर चुकी है जिसके स्थान पर सरकार बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2017 लेकर आयी है। इसके तहत भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को व्यापक शक्तियां प्रदान की गयीं ताकि वह बकाया ऋणों की वसूली के लिए लेनदारों को दिवालिया निपटान प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश जारी कर सके।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबीज़) की गैर निष्पादित परिसंपत्तियां एनपीए (खातों में फंसे कर्ज) उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं। बिजली, इस्पात, सड़क अवसंरचना और वस्त्र जैसे क्षेत्रों की कंपनियों की इसमें बड़ी हिस्सेदारी है।

अध्यादेश के बाद आरबीआई ने बैंकों को संहिता के अंतर्गत निपटान के लिए 12 सबसे बड़े ऋणों की जानकारी देने को कहा। आरबीआई ने अपनी आंतरिक सलाहकार समिति (आईएसी) की सिफारिशों के आधार पर यह फैसला लिया। उसने कहा कि इन मामलों को जल्द से जल्द, एक निश्चित समय सीमा में निपटाया जाना चाहिए।

नीलामी प्रक्रिया में प्रमोटरों के शामिल होने का मामला अभी अस्पष्ट है। फिलहाल सरकार ने संहिता में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया है। अध्यादेश विलफुल डीफॉल्टर, संदिग्ध प्रमोटरों को तो बोली लगाने से प्रतिबंधित करता ही है, साथ ही एनसीएलटी में जिन कंपनियों के खिलाफ मामले दायर किए गए हैं, उनके प्रमोटरों और सिस्टर कंपनियों को इस प्रक्रिया में शामिल होने से रोकता है। इस संबंध में अध्यादेश ने संहिता में धारा 29 को शामिल किया है।

जिन 12 कंपनियों के नाम इस सूची में शामिल हैं, वे हैं- भूषण स्टील, लैंको इंफ्रा, एस्सार स्टील, भूषण पावर, आलोक इंडस्ट्रीज, एमटेक ऑटो, मोनेट इस्पात, इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स, एरा इंफ्रा, जेपी इंफ्राटेक, एबीजी शिपयार्ड और ज्योति स्ट्रक्चर्स। बैंकों के कुल एनपीए में इन कंपनियों की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत है। इस वर्ष मार्च तक भारतीय बैंकों में कुल 7.11 लाख करोड़ रुपये का एनपीए था, जिसका मतलब है कि इन 12 कंपनियों के हिस्से 1.78 लाख करोड़ रुपये आता है।

वित्तीय सेवा कंपनी मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा कैलेंडर वर्ष के पहले नौ महीनों में दिवालिया निपटान प्रक्रिया के अंतर्गत 376 मामले एनसीएलटी को सौंपे गये हैं। इनमें 187 मामले ऑपरेशनल लेनदारों, 122 मामले वित्तीय लेनदारों और शेष देनदारों द्वारा दायर किये गये हैं।

इन मामलों के हल होने से कॉरपोरेट ऋणदाताओं को लाभ होगा। हालांकि, शुरुआत धीमी है। रिपोर्ट के मुताबिक केवल दो मामलों का निपटारा किया जाएगा यानि उन्हें हेयरकट प्राप्त होगा। सात मामलों में कंपनियों का परिसमापन किया जाएगा और अन्य 14 के संबंध में आगे अपील की जाएगी।

भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एनसीएलटी को सौंपे गये 12 मामलों में हेयरकट का प्रस्ताव रखा गया है।

दूसरी समस्या यह है कि प्रमोटर ही अपनी कंपनियों के लिए बोलियां लगा रहे हैं। इसका हल निकालने के लिए संहिता के अंतर्गत नियमों को संशोधित किया गया है ताकि संदिग्ध प्रमोटर कंपनियों पर दोबारा कब्जा न कर पाएं। ऐसा करने से ऋणदाताओं की शंकाओं और भय को दूर किया जा सकेगा। चूंकि ऋणदाता इस बात के लिए परेशान होते हैं कि समस्या उत्पन्न करने वाले ही कम कीमत में कंपनी दोबारा हासिल न कर लें।

संहिता के अंतर्गत डीफॉल्टर किसी को कंपनी को दोबारा नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि समिति द्वारा उनकी जांच की जाएगी। दिवालिया कंपनियों के लिए बोली लगाना भी मुश्किल होगा क्योंकि इससे संबंधित नियमों को भी सख्त बनाया गया है। संशोधित नियमों के अंतर्गत दिवालिया पेशेवर के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि प्रस्तावित ऋण योजना की पूरी जांच की गयी है। इस योजना में ऐसे सभी विवरण शामिल होने चाहिए जिनकी मदद से प्रमोटरों सहित निपटान का प्रस्ताव रखने वालों का मूल्यांकन किया जा सके। यह देखा जा सके कि वे भरोसेमंद हैं

अथवा नहीं। इसी प्रकार प्रमोटरों की ऋण योग्यता और विश्वसनीयता की कड़ी जांच की जा सकेगी।

इस योजना में निपटान का प्रस्ताव रखने वाले की भी पूरी जानकारी होगी, जैसे अपराध सिद्धि, अयोग्यता, आपराधिक कार्यवाहियां, आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार विलफुल डीफॉल्टर (स्वैच्छिक चूक करने वाला) के रूप में वर्गीकरण, सेबी द्वारा प्रतिबंध लगाना। हालांकि, नीलामी प्रक्रिया में प्रमोटरों के शामिल होने का मामला अभी अस्पष्ट है। फिलहाल सरकार ने संहिता में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया है। अध्यादेश विलफुल डीफॉल्टर, संदिग्ध प्रमोटरों को तो बोली लगाने से प्रतिबंधित करता ही है, साथ ही एनसीएलटी में जिन कंपनियों के खिलाफ मामले दायर किए गए हैं, उनके प्रमोटरों और सिस्टर कंपनियों को इस प्रक्रिया में शामिल होने से रोकता है। इस संबंध में अध्यादेश ने संहिता में धारा 29 को शामिल किया है।

अध्यादेश के अनुसार जिन कंपनियों के खाते में एक वर्ष से अधिक के एनपीए हैं, उनके प्रमोटर या सिस्टर कंपनियां नीलामी की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकतीं। अध्यादेश सैद्धांतिक रूप से तो प्रमोटरों को प्रतिबंधित नहीं करता, चूंकि वे मूलधन और बकाया राशि का भुगतान कर सकते हैं और एक वर्ष पूरा होने से पहले एनपीए को सामान्य परिसंपत्ति में बदल सकते हैं।

हालांकि एनसीएलटी द्वारा दिवालिया निपटान मामले को स्वीकार करने के बाद ऐसा करने की अनुमति नहीं है। इसका अर्थ यह है कि प्रमोटर या उनके सहयोगियों में से कोई भी उपरिलिखित 12 बड़े खातों के स्ट्रेस्ड एसेट्स को नहीं खरीद सकते।

इसके अतिरिक्त कॉरपोरेट जमानतदार भी इन कंपनियों की नीलामी प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। इसमें होल्डिंग कंपनी या स्ट्रेस्ड एसेट्स के प्रमोटरों से संबंधित पक्ष भी शामिल हैं।

यहां 'प्रमोटरों से संबंधित पक्ष' की परिभाषा का उल्लेख किया जाना जरूरी है। उदाहरण के लिए आर्सेलर मित्तल जैसी कंपनी एक साल से अधिक समय से एनपीए की सूची में शामिल है। उसने उत्तम गल्वा केस्ट्रेस्ड एसेट्स की नीलामी में दिलचस्पी दिखाई है। क्या वह इस नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के योग्य है?

आर्सेलर मित्तल इस संबंध में बहुत जोर भी दे रही है कि उसे नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने दिया जाए। उसका दावा है कि वह उत्तम गल्वा में गैर-नियंत्रित अल्पमत शेयरधारक है। कंपनी के निर्देशक बोर्ड में उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, न ही प्रबंधकीय निर्णयों में उसकी कोई भागीदारी है। वह उत्तम गल्वा की प्रमोटर भी नहीं है और इसलिए उसे पुनर्गठन प्रक्रिया के तहत किसी भी स्टील परिसंपत्ति के लिए बोली लगाने से नहीं रोका जा सकता।

दिवालिया संहिता के तहत अधिकरण में जिन 12 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनमें से पांच स्टील कंपनियों और एमटेक ऑटो के लिए संभावित खरीदारों के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। इन 12 खातों के अलावा आरबीआई ने बैंकों को 29 कंपनियों की दूसरी सूची भी दी है ताकि 13 दिसंबर तक दोनों पक्षों द्वारा एनपीए का समाधान किया जा सके। अन्यथा इन खातों को एनसीएलटी के सुपुर्द कर दिया जाएगा।

वैसे मिलगानी परिवार उत्तम गल्वा का सर्वेसर्वा है। इस कंपनी में आर्सेलर मित्तल की हिस्सेदारी 29 प्रतिशत है। हां, मुंबई स्टॉक एक्चेंज में इस कंपनी के प्रमोटरों में आर्सेलर मित्तल को भी सूचीबद्ध किया गया है।

दिवालिया संहिता में संबंधित पक्ष की परिभाषा कुछ इस प्रकार है- संबंधित पक्ष वह होता है, जिसका समस्याग्रस्त (डिस्ट्रेस्ड) कंपनी में वोटिंग का अधिकार 20 प्रतिशत से अधिक है और जो 2 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी के साथ पब्लिक कंपनी में निदेशक है।

हालांकि सेबी एक्ट कहता है कि प्रमोटर और प्रमोटर समूह वह है जिसकी किसी कंपनी में 10 प्रतिशत से अधिक इक्विटी है और जिसका कंपनी पर नियंत्रण है।

इसलिए संबंधित पक्ष की परिभाषा में स्पष्टता होनी चाहिए जिससे यह पता चले कि किसे नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति है और किसे नहीं।

दिवालिया संहिता के तहत अधिकरण में जिन 12 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनमें से पांच स्टील कंपनियों और एमटेक ऑटो के लिए संभावित खरीदारों के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं।

इन 12 खातों के अलावा आरबीआई ने बैंकों को 29 कंपनियों की दूसरी सूची भी दी है ताकि 13 दिसंबर तक दोनों पक्षों द्वारा एनपीए का समाधान किया जा सके। अन्यथा इन खातों को एनसीएलटी के सुपुर्द कर दिया जाएगा।

इस संबंध में एक और तर्क पेश किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पहली सूची में जिन 12 खातों को शामिल किया गया है उन्हें दूसरी सूची में शामिल 29 खातों की तरह पर्याप्त समय क्यों नहीं दिया गया। चूंकि दूसरी सूची के लिए बैंकों को दिवालिया निपटान के लिए काफी समय दिया जा रहा है। पहली सूची में शामिल 12 मामलों को अधिकरण के सुपुर्द किये जाने से पहले इतना वक्त क्यों नहीं दिया गया।

ऐसे विवाद और समस्याएं आती ही रहेंगी, लेकिन व्यापार में प्रवेश या निकास से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने से भारत में व्यापार करना सुविधाजनक होगा। हालांकि इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इस प्रक्रिया में भी इतना विलंब न हो जाए कि कंपनियों के लिए कारोबार करना एक उबाऊ काम हो जाए।

फिलहाल सिनर्जी डोरे मामले में एडलवाइस एआरसी ने रीकास्ट योजना का विरोध करते हुए अपीलीय अधिकरण - राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी) का दरवाजा खटखटाया है। सिनर्जीज कास्टिंग्स, सिनर्जी डूरे की संबंधित पक्ष है। अध्यादेश में इस संबंध में तो प्रावधान मौजूद हैं। हालांकि सिनर्जी डोरेऔर सिनर्जी कास्टिंग्स पर बड़ा आरोप यह है कि दोनों कंपनियों के बीच नकली लेनदेन किया गया है। फिलहाल अधिकरण इस मामले की सुनवायी कर रहा है। ❑

भारत में ग्रामीण बैंकिंग की समस्याएं और चुनौतियां

मंजुला वाधवा

आरबीआई भी नये उत्पादों के प्रावधानों, विनियामक दिशानिर्देशों में छूट और टिकाऊ एवं गणनीय समावेश प्रदान करने के लिए अन्य सहायक उपायों के माध्यम से मिशन मोड में वित्तीय समावेश की पहल कर रहा है। इनमें से कुछ कदम हैं: छोटी जमा और ऋण के लिए नो फ्रिल अकाउंट्स और जनरल क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) की सुविधा, 50,000 रुपये से कम की वार्षिक जमा के साथ खाते खोलने के इच्छुक लोगों के लिए मानदंडों को सरल बनाना। गरीबों और वंचितों को आसानी से ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से उन्हें जीसीसी जारी करना। किसानों को परेशानी मुक्त और समय पर ऋण प्रदान करने के लिए सितंबर 2016 तक पांच करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किये गये हैं

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था- भारत गांवों में बसता है, ग्रामीण विकास भारत के समूचे विकास की अनिवार्य शर्त है। आजादी के बाद से हमारे नीति निर्माताओं का यह निरंतर प्रयास रहा है कि भारत में ग्रामीण समृद्धि लाने पर पर्याप्त जोर दिया जाये। आजादी के 70 वर्षों के दौरान सहकारी ऋण संरचना से लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के राष्ट्रीयकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी शाखाओं के विस्तार और 1976 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुरुआत के साथ औपचारिक ग्रामीण संस्थागत संरचना में कई गुना बढ़ोतरी हुई। इसके बावजूद हमारी ग्रामीण आबादी का बड़ा हिस्सा अभी भी आर्थिक रूप से बहिष्कृत और साहूकारों के चुंगल में है जो गंभीर चिंता का विषय है।

आज भी बैंकों से अछूती विश्व की 24 प्रतिशत आबादी और दक्षिण एशिया के दो तिहाई लोग भारत में बसते हैं। गांवों की लगभग 31 करोड़ जनसंख्या को औपचारिक बैंकिंग सेवा प्राप्त नहीं है। जैसा कि एसएलबीसी की रिपोर्ट कहती है, 30 जून 2016 तक भारत के 6,00,000 में से 4,52,151 गांवों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान की गयी हैं। इनमें से 14,976 को बैंक शाखाओं, 4,16,636 को बीसी (बिजनेस कॉरेसपॉन्डेंट्स) और 20,539 को अन्य माध्यमों जैसे एटीएम, मोबाइल वैन आदि के माध्यम से बैंकिंग से जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त खराब भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा भी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को प्रभावित करता है। ग्रामीण भारत के बिजलीकरण की वास्तविकता कुछ इस प्रकार है:

देश की औसत ग्रामीण साक्षरता दर 71 प्रतिशत है लेकिन यह भी सच्चाई है कि एक आम ग्रामीण को बैंक शाखा तक सफर करने के लिए पूरे एक दिन की मजदूरी का त्याग करना पड़ सकता है जो सुबह 10 बजे खुलकर शाम को पांच बजे बंद हो जाता है। ऋण और बचत खाते की सुविधा बढ़ाने के लिए बैंकों द्वारा गैर-सरकारी संगठनों, स्व-सहायता समूहों जैसे मध्यस्थों, बैंकिंग कॉरेसपॉन्डेंट्स और बिजनेस फेसिलिटेटर्स जैसे अर्ध औपचारिक डिलिवरी चैनल्स का प्रयोग किया जाता है। हालांकि ये चैनल अपने मौजूदा रूप में सीमित सेवाएं प्रदान करते हैं और इनमें कई समस्याएं भी हैं।

इसके अतिरिक्त कई बैंक ग्रामीण बाजार को एक आर्थिक मौके की बजाय एक रेगुलेटरी जरूरत के रूप में देखते हैं। इसका कारण यह है कि ग्रामीण परिवारों की आय और व्यय अनियमित होता है। इसलिए इन इलाकों में बैंकों के ऋण गैर-निष्पादक होते हैं। चूंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मानसून पर निर्भर रहती है। राजनीतिक पार्टियां लाभ पाने के लिए ऋण छूट भी देती हैं जिससे बैंकों का संकट बढ़ता है। गांवों में जमा राशि और ऋण दोनों का आकार कम होता है जिसका अर्थ यह है कि बैंकों को प्रत्येक शाखा में अधिक ग्राहकों की जरूरत होती है। चूंकि बहुत से ग्रामीण साक्षर नहीं

लेखिका राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के चंडीगढ़ स्थित हरियाणा क्षेत्रीय कार्यालय में सहायक महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। इनके 400 से अधिक शोध प्रकाशित हैं और वे आकाशवाणी और दूरदर्शन की विभिन्न चर्चाओं में हिस्सा लेती रही हैं। ईमेल: manjula.jaipur@gmail.com

आरेख 1: भारत में बिजलीकरण: बिजली वाले ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत, राज्यवार

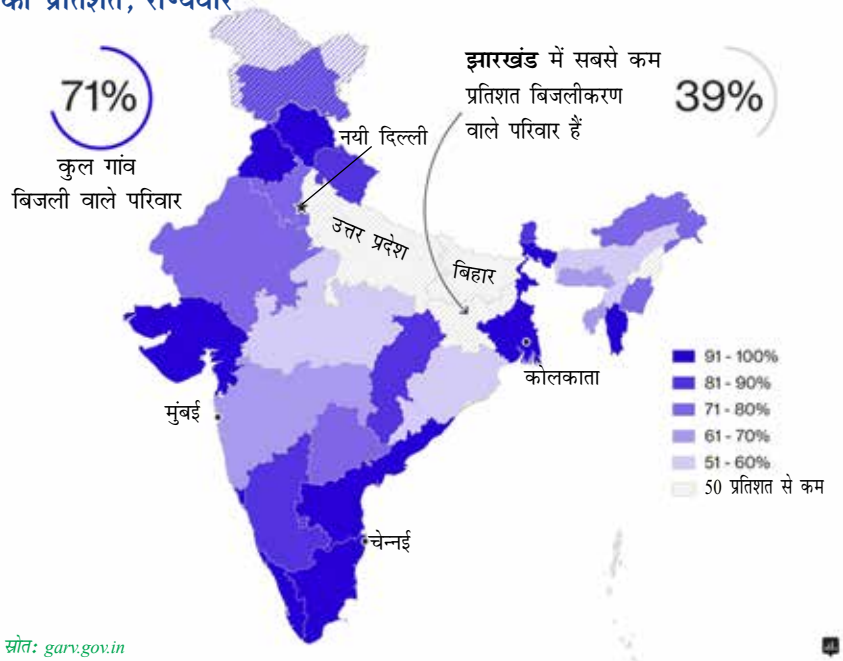

स्रोत: garv.gov.in

हैं और इसलिए वे एटीएम, फोन बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग आदि का उपयोग नहीं कर पाते। वे बैंक शाखाओं पर निर्भर रहते हैं जिससे बैंकों की लागत बढ़ती है। साथ ही बैंकों को गांवों में अनियमित आय और आकस्मिक जरूरतों के चलते ऋण देना जोखिमपूर्ण लगता है। एक ओर गरीब लोगों को मूल बचत सेवाओं और उत्पादन लागत एवं आकस्मिक खर्चों के लिए छोटे ऋणों की जरूरत होती है, वहीं दूसरी ओर किसानों एवं किसान संगठनों को उत्पादन, इनपुट, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग के लिए बड़े ऋण तथा जोखिम से बचाव करने वाले उत्पादों जैसे जीवन या संपत्ति बीमा की आवश्यकता होती है।

वित्त के नये ग्रामीण आदर्श को इस बात पर आधारित होना चाहिए कि *ग्रामीण लोग बैंक योग्य हैं।* यह भी कि ग्रामीण ग्राहक केवल किसानों और अशिक्षित लोग नहीं हैं, बल्कि इसमें एक ऐसी पीढ़ी भी शामिल है जो तकनीक का उपयोग करती है और उसे अपनाना सकती है। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि वित्तीय क्षेत्र समावेशी बने और इसमें टिकाऊ संस्थान शामिल हों जिनकी रूपरेखा मांग आधारित हो और जिनमें अनेक प्रकार के वित्तीय उत्पाद एवं सेवाओं का प्रावधान हो। इस प्रकार एक समावेशी और टिकाऊ ग्रामीण वित्तीय प्रणाली विकसित करना बेहद चुनौतीपूर्ण है और इसमें कई व्यापक मुद्दे शामिल हों। इन्हें हम सात श्रेणियों में रख सकते हैं:

उत्पाद रणनीति

छोटे लेनदेन के लिए क्या ऐसे विविध उत्पादों और सेवाओं को विकसित किया जा सकता है जिनके लिए उत्पाद के लचीलापन, निरंतर उपलब्धता और सुविधा के साथ समझौता न किया जाए। किस किस्म के वित्तीय उत्पादों को विकसित किया जा सकता है? किस किस्म के वित्तीय उत्पादों की मदद से गरीबी को कम किया जा सकता है और ग्रामीण क्षेत्रों की विकास दर में वृद्धि की जा सकती है?

आज जरूरत इस बात की है कि वित्तीय क्षेत्र समावेशी बने और इसमें टिकाऊ संस्थान शामिल हों जिनकी रूपरेखा मांग-आधारित हो और जिनमें अनेक प्रकार के वित्तीय उत्पाद एवं सेवाओं का प्रावधान हो। इस प्रकार, एक समावेशी और टिकाऊ ग्रामीण वित्तीय प्रणाली विकसित करना बेहद चुनौतीपूर्ण है और इसमें कई व्यापक मुद्दे शामिल हों।

प्रक्रियाएं

वंचितों और कमजोर तबकों तक पहुंचने और वित्तीय व्यवहार्यता को खतरे में डाले बिना ग्राहकों को आसानी से सेवाएं प्रदान करने में किस प्रकार की व्यावसायिक प्रक्रियाएं मददगार साबित हो सकती हैं? शाखा विहीन बैंकिंग की बाधाओं को दूर करने के लिए हम एक कुशल *हब और स्पोक मॉडल* कैसे डिजाइन कर सकते हैं?

साझेदारी

बैंकों में खाते न होने के कारण लोगों को वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? क्या बैंक-गैर-बैंक भागीदारी, जैसे बिजनेस कॉरेसपॉन्डेंट, एसएचजीज़, एमएफआई आदि वित्तीय सेवाओं की सुविधा और उपलब्धता को सहज बनाने में कुशल होते हैं?

संरक्षण

सेवा प्रदाताओं और ग्राहकों को दुर्व्यवहार और दुरुपयोग से बचाने के लिए किन उपायों की आवश्यकता है? क्या इस क्षेत्र की संवेदनशीलता के मद्देनजर लोगों को ऋण संबंधी जोखिम से बचने के पर्याप्त रास्ते हैं? क्या ऋणदाता ऋण संस्कृति की अनिश्चितता से सुरक्षित हैं?

लाभपरकता

क्या व्यापार रणनीतियों और डिलीवरी मॉडल ग्रामीण ग्राहकों को सस्ती और स्वीकार्य सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि ग्रामीण वित्त सेवा प्रदाता को निरंतर लाभ प्राप्त हो रहा है। हम एक उपयुक्त मूल्य निर्धारण मॉडल के माध्यम से ग्राहकों की भुगतान करने की इच्छा को कैसे टैप करते हैं?

उत्पादकता

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाओं की उत्पादकता को हम कैसे बढ़ाएं? वित्तीय सेवाओं के अधिक उत्पादक और सर्वश्रेष्ठ उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए वित्त के साथ अन्य संसाधनों को सहयोग देने के लिए आवश्यक क्या रणनीतियां (क्रेडिट प्लस दृष्टिकोण के अंतर्गत) हैं?

क्या ग्रामीण बैंक शाखा के कर्मचारी ज्ञान, कौशल और व्यवहार के संदर्भ में वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं? क्या इन लोगों में संभावित ग्राहकों की पहचान करने और उन्हें समय पर सलाह देने एवं बैंकिंग की विविध सेवाएं प्रदान करने की क्षमता, समझ और प्रतिबद्धता है?

जैसा नेल्सन मंडेला ने कहा, "हमारी प्रगति की जांच इस बात से नहीं होती कि हम उन लोगों को बहुत कुछ देते हैं जिनके पास पहले से बहुत अधिक है। हमारी प्रगति इस बात से साबित होती है कि क्या हम उन लोगों को पर्याप्त लाभ प्रदान करते हैं जिनके पास बहुत कम है।" इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम इस परीक्षा में कहां ठहरते हैं- हमारी सरकार ने ग्रामीण बैंकिंग की चुनौती से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं:

भारत में वित्तीय समावेश का पहला प्रयास 2005 में इंडियन बैंक के चेयरमैन के सी चक्रवर्ती ने शुरू किया था। मंगलम गांव भारत का पहला गांव बना जहां सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की गयी। अब आरबीआई भी नये उत्पादों के प्रावधानों, विनियामक दिशानिर्देशों में छूट और टिकाऊ एवं गणनीय समावेश प्रदान करने के लिए अन्य सहायक उपायों के माध्यम से मिशन मोड में वित्तीय समावेश की पहल कर रहा है। इनमें से कुछ कदम हैं: छोटी जमा और ऋण के लिए नो फ्रिल अकाउंट्स और जनरल क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) की सुविधा, 50,000 रुपये से कम की वार्षिक जमा के साथ खाते खोलने के इच्छुक लोगों के लिए मानदंडों को सरल बनाना। गरीबों और वंचितों को आसानी से ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से उन्हें जीसीसी जारी किये गये। किसानों को परेशानी मुक्त और समय पर ऋण प्रदान करने के लिए सितंबर 2016 तक, पांच करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किये गये हैं। जनवरी 2006 में आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों को वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए मध्यस्थों के रूप में गैर-

आरेख 2: भारत में बीसी के मार्ग में बाधाएं

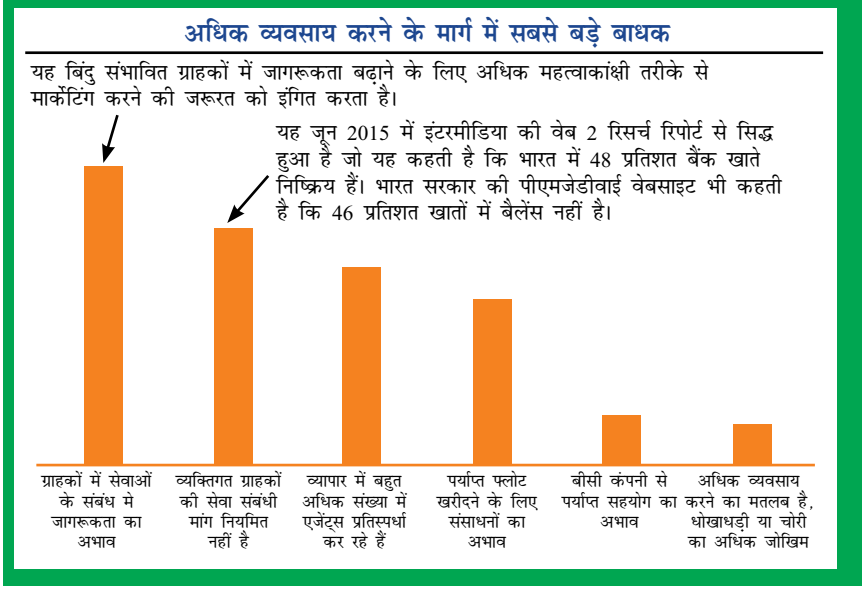

सरकारी संगठनों (एनजीओ/एसएचजी), लघु ऋण संस्थानों और नागरिक समाज के अन्य संगठनों की सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति दी। ये मध्यस्थ वाणिज्यिक बैंकों की ओर से बिजनेस फेसिलिटेटर्स या बिजनेस कॉरेसपॉन्डेंट्स के रूप में कार्य करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों को 100 प्रतिशत वित्तीय समावेश अभियान शुरू करने का भी निर्देश दिया है, जिसके परिणामस्वरूप पुद्दूचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य ने अपने सभी जिलों में 100 प्रतिशत वित्तीय समावेश की घोषणा की है। यह आरबीआई का लक्ष्य है कि वह 2020 तक 60 करोड़ नये ग्राहकों के खाते खोले और आईटी का लाभ उठाते हुए उन्हें विभिन्न सेवाएं प्रदान करे। हालांकि कई राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता और कम आय, बचत व बैंक शाखाओं की कमी जैसे अवरोध मौजूद हैं और यहां कानूनी और वित्तीय संरचना भी अपर्याप्त है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों को 100 प्रतिशत वित्तीय समावेश अभियान शुरू करने का भी निर्देश दिया है, जिसके परिणामस्वरूप पुद्दूचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य ने अपने सभी जिलों में 100 प्रतिशत वित्तीय समावेश की घोषणा की है। यह आरबीआई का लक्ष्य है कि वह 2020 तक 60 करोड़ नये ग्राहकों के खाते खोले और आईटी का लाभ उठाते हुए उन्हें विभिन्न सेवाएं प्रदान करे।

यहां हम एक-एक करके कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे :

1. बीसी मॉडल गरीब गांवों में अच्छी तरह से काम करे, इसके लिए निम्नलिखित की आवश्यकता है:

- कम आय वाले और कम मात्रा में लेनदेन करने वाले ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के कारण बीसीज़ को पर्याप्त आय प्राप्त नहीं होती। बीसी के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए उन्हें बैंकों द्वारा पर्याप्त रूप से मुआवजा देने की आवश्यकता है ताकि वे ग्रामीणों को उनकी दहलीज तक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रोत्साहित हो सकें।
- बीसी के कामकाज के निरीक्षण, नकदी प्रबंधन और ग्राहकों की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए बैंकों को उचित दूरी पर छोटी *ब्रिक और मोर्टार* शाखाएं खोलनी चाहिए।
- इसके अतिरिक्त बैंकों को बीसी के प्रभावी कामकाज के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम

आरंभ करने की जरूरत है।

2. सस्ती दरों पर गरीब ग्रामीणों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त नये उत्पादों को डिजाइन करना एक अनिवार्यता है।

- ग्रामीणों को साहूकारों से उधार न लेना पड़े इसके लिए बैंकों को सरल ऋण वितरण प्रक्रियाओं का विकास करना चाहिए और उनकी प्रक्रियाओं में लचीलापन भी होना चाहिए।

3. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के परिवेश में तकनीक ही वह मुख्य साधन है जो अधिक से अधिक समावेश कर सकता है।

- ग्रामीणों को सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंकों को अपने एटीएम नेटवर्क को ग्रामीण और बिना बैंक वाले क्षेत्रों में बढ़ाने की जरूरत है। इसके साथ पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ-साथ वित्तीय साक्षरता अभियानों को भी शुरू किया जाना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी लेनदेन के साथ जुड़ी लागत को कम करने के लिए घरेलू *रूपे कार्ड* का उपयोग बढ़ाया जा सकता है।
- हालांकि हमारे देश के राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने पहले से ही केसीसी को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट कार्डों और रूपे केसीसी में रूपांतरित करने के लिए कई नये कदम उठाए है। बैंक बहुउद्देशीय कार्ड जारी करने की संभावना तलाश सकते हैं जो डेबिट कार्ड, केसीसी और ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरत के अनुसार जीसीसी के रूप में कार्य कर सकते हैं।
- ग्रामीण भारत में मार्च 2017 तक 50 करोड़ 60 लाख मोबाइल उपभोक्ता हैं। इस बात का विकल्प तलाशा जा सकता है कि एक एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए एन्क्रिप्टेड एसएमएस आधारित फंड ट्रांसफर का प्रयोग किया जाए और वह एप्लीकेशन किसी भी प्रकार के मोबाइल पर सहजता से चलायी जा सके।
- हाल के नाबार्ड सर्कुलर के प्रावधानों के अनुसार बैंक पीएसीज़ का उपयोग कर सकते हैं जो बिजनेस कॉरेसपॉन्डेंट्स के रूप में सहकारी समितियों का सबसे बड़ा ग्रामीण नेटवर्क है।
- चूंकि प्रवासी लोगों के लिए रेमिटेंस सुविधा सर्वोपरि है इसलिए प्रवासियों को आसान और सस्ती रेमिटेंस सुविधाएं प्रदान करना एक अनिवार्य शर्त है।
- गरीब ग्रामीणों के साथ काम करने के लिए बैंकों को बैंकिंग के मानवीय पक्ष के संबंध में अपने कर्मचारियों को बीसी को लैस करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना होगा।
- अर्थपूर्ण वित्तीय समावेश करने के लिए बैंकों को बड़े किसानों की तुलना में छोटे किसानों को ऋण देने को वरीयता देनी चाहिए।
- बैंकों को अपने सीबीएस प्लेटफार्म्स की स्केलेबिलिटी सुनिश्चित करनी चाहिए।
- ग्रामीण बैंकिंग के लिए प्रभावी ढंग से इलेक्ट्रॉनिक लाभ हस्तांतरण प्रणाली को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- रोजगार और अन्य अवसरों को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण अवशोषण क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार/बैंकों को कदम उठाने चाहिए।
- नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की संख्या मार्च 2010 में 33,378 से बढ़कर मार्च 2016 में 51,830 हो गयी। जबकि ग्रामीण भारत में शाखाहीन बैंकिंग आउटलेट की संख्या मार्च 2010 के 34,316 से बढ़कर मार्च 2016 में 534,477 हो गयी है। यह शाखाहीन बैंकिंग के जरिए बैंकिंग सेवाओं की एक प्रभावशाली आउटरीच दिखाता है। फिर भी निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में मार्च 2017 तक कुल शाखाओं में ग्रामीण शाखाओं की हिस्सा सिर्फ 20 प्रतिशत है इसलिए निजी बैंकों द्वारा ग्रामीण शाखाओं की संख्या में वृद्धि करने की अत्यंत आवश्यकता है।
- कथित तौर पर भारत में 6 लाख में से करीब 18000 गांवों में बिजली नहीं है

हमारे देश के राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने पहले से ही केसीसी को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट कार्डों और रूपे केसीसी में रूपांतरित करने के लिए कई नये कदम उठाए है। बैंक बहुउद्देशीय कार्ड जारी करने की संभावना तलाश सकते हैं जो डेबिट कार्ड, केसीसी और ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरत के अनुसार जीसीसी के रूप में कार्य कर सकते हैं।

इसलिए सरकार को पर्याप्त बुनियादी ढांचे जैसे भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी, निरंतर बिजली आपूर्ति आदि के संबंध में प्रयास करने की आवश्यकता है।

- सभी बैंकों को भाषाई होने की जरूरत है, कम से कम प्रमुख भाषाओं में। वित्तीय साक्षरता के अभियान के अंग के रूप में बैंकों को आम जनता के मन से अंग्रेजी भाषा का भय भी समाप्त किया जाना चाहिए।
- भारत में 1,54,882 डाकघरों के साथ विश्व का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है जिसमें 1,39,182 (89.86 प्रतिशत) डाक घर ग्रामीण इलाकों में हैं। इसके मद्देनजर यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि पोस्ट ऑफिस उनके ज्ञात लाभों के कारण अधिक से अधिक सक्रिय भूमिका निभाएं। भारत सरकार द्वारा भारतीय डाक बैंक की शुरुआत निस्संदेह इस दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है।
- हालांकि नाबार्ड का एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम दुनिया का सबसे बड़ा लघु ऋण कार्यक्रम बन गया है। लघु उद्यम संबंधी मुद्दों पर उनकी स्थिरता और क्रमिक वृद्धि अभी देखी जानी बाकी है।
- बीसी सेवाओं के प्राप्तकर्ता अधिकतर अशिक्षित और तकनीक से अनजान है जिनके कारण बीसी द्वारा उनका गलत मार्गदर्शन किया जाना संभव है।

सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने उपरोक्त मुद्दों को हल करने के लिए हाल ही में विभिन्न उपाय किये हैं जैसे:

1. *जन धन योजना* के तहत लगभग 26 करोड़ खातों को खोलने में सफलता।
2. लघु ऋण प्रदान करने के लिए *सूक्ष्म इकाई विकास पुनर्वित्त एजेंसी* (मुद्रा) की स्थापना।
3. विभिन्न सामाजिक योजनाएं जैसे *अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना* और *प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीएमए* योजना, जो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेंगी।

आरेख 3: ग्रामीण बैंकिंग- दृष्टिकोण 2025

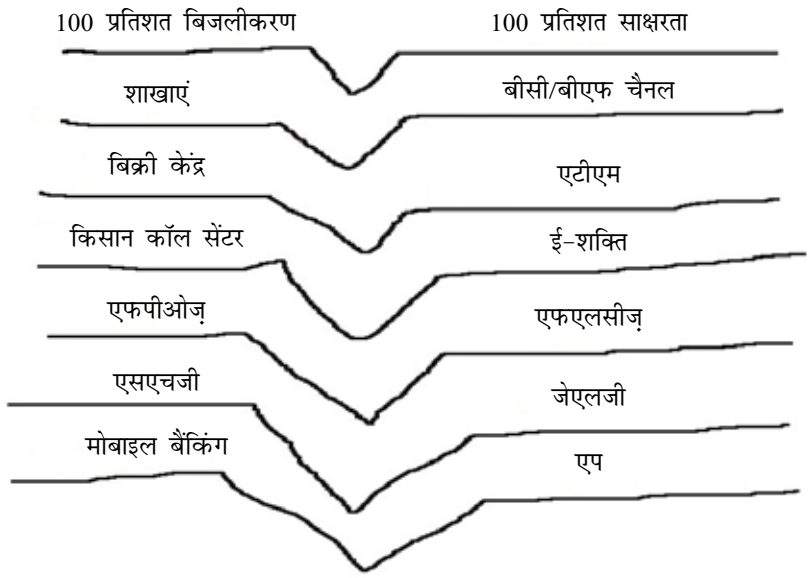

4. बैंकिंग कॉरेसपॉन्डेंट्स और बिजनेस फेसिलिटेटर्स के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना।
5. क्रेडिट और डेबिट लेनदेन पर प्रस्तावित रियायतें।
6. नकद लेनदेन के बजाय माइक्रो एटीएम और *रुपे कार्ड्स* आधार से लिंक किये गये।
7. 11 भुगतान बैंकों और 10 छोटे वित्त बैंकों को नये लाइसेंस देकर अंतर बैंकिंग को बढ़ावा देना।

- हालांकि इन कार्यक्रमों को भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है: *पीएमजेडीवाई* में खातों की बहुलता की समस्या है। *पीएमजेडीवाई* के तहत खोले गये खातों में बड़ी संख्या में कोई पैसा नहीं है और ये निष्क्रिय हैं। इससे इन खातों को चलाने से बैंकों की लागत बढ़ती है। गरीब लोगों की कमायी गुजर-बसर लायक ही होती है और उनकी कोई नियमित कमायी नहीं होती। उनके पास बैंक खाते में बचत करने या किसी भी अन्य वित्तीय साधन की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। नतीजतन उनके वित्तीय समावेश का कोई अर्थ नहीं है।
- प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं जैसे *जनधन, आधार* और *मोबाइल (जेएएम)* को जोड़ने का काम धीमा है।
- भुगतान बैंकों की पहुंच व्यापक है लेकिन उन्हें कई समस्याओं से निपटने की जरूरत है जैसे जटिल यूजर इंटरफेस, इंटरनेट की कमी, शिकायत निवारण तंत्र का न होना, जो उपयोगकर्ताओं के लिए परेशानियां पैदा करता है। इसके अतिरिक्त आरबीआई नये भुगतान बैंकों की जिम्मेदारी बढ़ाएगा, विशेष रूप से उत्तरदायित्व के संबंध में।
- *प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण* में देरी या लाभ प्रदान करने से इनकार करने की स्थिति में बैंक के अधिकारियों को मध्यस्थों का सहयोग लेना पड़ सकता है।

भारत में 1,54,882 डाकघरों के साथ विश्व का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है, जिनमें 1,39,182 (89.86 प्रतिशत) डाक घर ग्रामीण इलाकों में हैं। इसके मद्देनजर यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि पोस्ट ऑफिस उनके ज्ञात लाभों के कारण अधिक से अधिक सक्रिय भूमिका निभाएं। भारत सरकार द्वारा भारतीय डाक बैंक की शुरुआत निस्संदेह, इस दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है।

- भुगतान बैंकों के विस्तार से बैंकों को नियमित रूप से प्राप्त होने वाले शुल्क से वंचित रहना पड़ सकता है जो वे ग्राहकों से वसूलते हैं, जैसे डिमांड ड्राफ्ट, नकद हस्तांतरण, रेमिटेंस, चेक के माध्यम से नकद निकासी और एटीएम लेनदेन शुल्क।
- *पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, एपीआई* जैसी योजनाएं इस बात पर बहुत हद तक निर्भर करती हैं कि बैंक सफलतापूर्वक गरीबों तक पहुंच बनाता है और यह एक महती काम है। चूंकि बहुत से लोगों को पेंशन या बीमा उत्पादों के बारे में जानकारी ही नहीं है।
- बहुत सारे मामलों में बिजनेस कॉरेसपॉन्डेंट्स पर पैसे वसूलने का आरोप लगाया गया है।
- बैंकिंग प्रौद्योगिकी संबंधी धोखाधड़ी की दर खतरनाक तरीके से बढ़ रही है।
- ग्रामीण और पश्चिमी क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी अभी भी खराब स्थिति में है।
- प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण उचित लोगों तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि बहुत से

यह उम्मीद की जा सकती है कि ग्रामीण वित्तीय प्रणाली का आकार और दायरा बढ़ेगा और ग्रामीण वित्त की चुनौतियों का हल होगा। साथ ही ग्रामीण जनता में भी मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से सुधार होगा। आइए ग्रामीण बैंकिंग की अंतर्निहित परिकल्पना को साकार रूप दें।

बैंक गरीबों को उधार नहीं देते। इसलिए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वे ऐसे लोगों को ऋण देते हैं जो धोखाधड़ी से दस्तावेज बनाते हैं। उदाहरण के लिए स्वर्ण ऋण सस्ती दरों पर किसानों के लिए उपलब्ध हैं। लेकिन जो लोग खेती भी नहीं करते वे बैंकों से अपने संपर्कों का उपयोग करते हुए ये ऋण प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह प्राथमिक क्षेत्र के ऋण उचित से अनुचित लोगों को मिल जाते हैं। सरकार को इस मुद्दे पर गौर करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उचित आवेदकों को ऋण प्रदान किया गया है और धोखाधड़ी से आवेदन करने वालों और बैंक के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गयी है।

उम्मीद है कि भारतीय रिजर्व बैंक एक अनुकूल विनियामक वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जहां संस्थाएं गरीबों को सहजतापूर्वक वित्तीय सेवाएं प्रदान करें और वित्तीय स्थिरता पर खतरा न मंडराए। बैंकों को भी अपने वित्तीय दर्शन के साथ समावेश की रणनीति निर्धारित करने और इसे एक व्यावसायिक गतिविधि के रूप में आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता दी जाए। वे जोखिम को समझते हुए अपने वित्तीय उत्पाद बनाने के लिए आजाद हों। जबकि कुछ ही वित्तीय सेवा प्रदाताओं खासकर लघु ऋण सेवा प्रदाताओं, को बैंक बनने की अनुमति दी गयी है और प्राथमिक क्षेत्र के ऋणों को ध्यान में रखते हुए विदेशी बैंकों के प्रवेश के अतिरिक्त छोटे बैंकों एवं भुगतान बैंकों को लाइसेंस दिया गया है। यह उम्मीद की जा सकती है कि ग्रामीण वित्तीय प्रणाली का आकार और दायरा बढ़ेगा और ग्रामीण वित्त की चुनौतियों का हल होगा। साथ ही ग्रामीण जनता में भी मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से सुधार होगा। आइए ग्रामीण बैंकिंग की अंतर्निहित परिकल्पना को साकार रूप दें। ❑

डेबिट कार्ड/भीम यूपीआई/एईपीएस लेन-देन में एमडीआर शुल्क पर छूट को अनुमोदन

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह अनुमोदित किया कि सभी डेबिट कार्डों / भीम यूपीआई / आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) लेनदेनों पर लागू होगी, जिसमें 2000 रुपए तक की व्यापारी छूट दर (एमडीआर) को सरकार बैंकों को इसकी प्रतिपूर्ति करके स्वयं वहन करेगी जो 1 जनवरी, 2018 से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, सचिव, इलैक्ट्रॉनिक्स और आईटी तथा सीईओ, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) की सदस्यता वाली समिति ऐसे लेनदेनों की उद्योग लागत संरचना को देखेगी जो प्रतिपूर्ति के स्तर के निर्धारण के आधार का निर्माण करेगी।

इस अनुमोदन के परिणामस्वरूप, 2000 रुपए से कम के लेनदेनों के लिए उपभोक्ता और व्यापारी को एमडीआर के रूप में अतिरिक्त भार वहन नहीं करना पड़ेगा जिससे ऐसे लेनदेन के लिए भुगतान के डिजिटल तरीकों को अपनाया जाएगा। चूंकि ऐसे लेनदेन की बड़ी संख्या है इसलिए इससे अर्थव्यवस्था में नकदी के कम इस्तेमाल को प्रोत्साहन मिलेगा।

अनुमान है कि 2000 से कम के लेनदेन के संबंध में बैंकों को की जाने वाली एमडीआर की प्रतिपूर्ति का मूल्य वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1,050 और वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1,462 करोड़ रुपए होगा।

जब व्यापारी के बिक्री केंद्र पर भुगतान किया जाता है तो व्यापारी द्वारा बैंक को एमडीआर देय होता है। इस कारण कई लोग डेबिट कार्ड होने के बावजूद नकद भुगतान करते हैं। इसी प्रकार, भीम यूपीआई और एईपीएस के जरिए व्यापारी को किए गए भुगतान पर एमडीआर लगाया जाता है। ❑

मिशन इंद्रधनुषः भारत में सार्वजनिक बैंकिंग का कायाकल्प

डी एस मलिक

सरकार ने ऋण वृद्धि तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सार्वजनिक बैंकों में पुनः पूंजी डालने का निर्णय लिया है। इसके लिए अगले दो वर्षों में लगभग 2,11,000 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाना आवश्यक है, जिसमें अधिकाधिक आवंटन इसी वर्ष करना होगा। इसके लिए 18,139 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट से होगी, 1,35,000 करोड़ रुपये के पूनर्पूंजीकरण बॉण्ड होंगे और शेष राशि बैंकों द्वारा बाजार से पूंजी (58,000 करोड़ रुपये का अनुमान) जुटाकर लाई जाएगी, जिसके लिए सरकार ऋण वृद्धि एवं रोजगार सृजन में मदद के इरादे से अपनी हिस्सेदारी कम करेगी

पिछले दो महीनों में वित्तीय सेवा क्षेत्र में सरकार की उस घोषणा की ही चर्चा है, जिसके तहत अगले दो वर्षों में सार्वजनिक बैंकों में 2.11 लाख रुपये की भारी पूंजी लगाई जाएगी ताकि ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) में किए गए संशोधनों का पालन हो सके और सार्वजनिक बैंकों के विलय पर भी ध्यान केंद्रित हो सके, जिसे गति देने के लिए 'वैकल्पिक व्यवस्था' कर दी गई है। ऐसा लग सकता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग प्रणाली को नया कलेवर देने के लिए अचानक ये कदम उठाए गए हैं। लेकिन सरकार ने इन कदमों की रणनीतिक योजना बनाई थी और अब इन्हें लागू किया जा रहा है। 2014 में इस सरकार के गठन के बाद से ही सार्वजनिक बैंकों के प्रदर्शन पर बहस चल रही हैं क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। बुनियादी ढांचे को अधिकतर ऋण उपलब्ध कराने वाले सार्वजनिक बैंकों पर पिछले कुछ वर्षों में मंजूरी मिलने तथा भूमि अधिग्रहण में विलंब, धीमी वैश्विक तथा घरेलू मांग जैसे कारणों से बुरा प्रभाव पड़ा था। इस प्रकार लाभदेयता भी कम हो गई थी। ऐसी चुनौतियों से पार पाने के लिए सरकार ने 2015 में एक योजना तैयार की, जिसे 'इंद्रधनुष योजना' कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण तथा पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 14 अगस्त, 2015 को राष्ट्रीय राजधानी में इस योजना की घोषणा की और 1970 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से यह सरकार द्वारा आरंभ किए गए सबसे व्यापक सुधारों में से एक है।

नियुक्तियां

सरकार ने चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (एमडी) के पद को यह कहते हुए अलग कर दिया कि आगे से जो भी रिक्तियां भरी जाएंगी, उनमें मुख्य कार्य अधिकारी (सीईओ) को एमडी और सीईओ का पद मिलेगा तथा सार्वजनिक बैंकों के गैर कार्यकारी चेयरमैन के रूप में किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी।

बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी)

बीबीबी प्रसिद्ध पेशेवरों तथा अधिकारियों की एक समिति होगी, जो सार्वजनिक बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों तथा गैर कार्यकारी चेयरमैन की नियुक्ति के मामले में नियुक्ति बोर्ड का स्थान लेगी। सार्वजनिक बैंकों की वृद्धि एवं विकास के लिए उपयुक्त रणनीतियां तैयार करने के उद्देश्य से वे सभी बैंकों के निदेशक मंडलों के साथ भी लगातार संपर्क में रहेंगे।

पूंजीकरण

फिलहाल सार्वजनिक बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी है और वे बेसल 3 नियम तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के सभी नियम पूरे कर रहे हैं। किंतु भारत सरकार सभी को पर्याप्त पूंजी प्रदान करना चाहती है ताकि बेसल 3 के न्यूनतम नियमों के अतिरिक्त भी सुरक्षित पूंजी मौजूद रहे। वित्त वर्ष 2019 तक यानि अगले चार वर्षों में लगभग 1,80,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होगी। यह अनुमान इस वर्ष ऋण में 12 प्रतिशत की वृद्धि दर तथा बैंकों के आकार तथा वृद्धि की क्षमता के अनुसार अगले तीन वर्षों में 12 से 15 प्रतिशत की वृद्धि दर पर आधारित है। भारत

लेखक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत पत्र सूचना कार्यालय में महानिदेशक (मीडिया एवं संचार) हैं। वहां वे वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय तथा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के लिए मीडिया संपर्क का काम देखते हैं। ईमेलः dprfinance@gmail.com

सरकार ने कुल आवश्यक धन में से 70,000 करोड़ रुपये बजट आवंटन में से उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा है, जो चार वर्ष में निम्न प्रकार से दिए जाएंगे:

(अ) सार्वजनिक बैंकों का बोझ घटाना: पिछले दशकों में सार्वजनिक बैंकों से सबसे अधिक ऋण बुनियादी ढांचा क्षेत्र और मुख्य क्षेत्र की परियोजनाओं को ही मिला है। किंतु विभिन्न कारणों से ये परियोजनाएं ठप हो गईं अथवा फंस गईं, जिसके कारण बैंकों पर गैर निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) का बोझ बढ़ गया। हाल ही में हुई समीक्षा में बिजली, इस्पात तथा सड़क क्षेत्रों पर दबाव डालने वाली समस्याओं की पड़ताल की गई। क्षेत्र विशेष के हितधारकों के साथ चर्चा की गई। उन बैठकों के बाद की गई कुछ कार्रवाइयां इस प्रकार हैं:-

परियोजना निगरानी समूह (कैबिनेट सचिवालय) संबंधित मंत्रालय लंबित मंजूरी/परमिट की समस्या को तेजी से हल कराने में संबंधित एजेंसियों के साथ काम करेंगे। परियोजना के क्रियान्वयन/परिचालन में मदद करने के लिए संबंधित मंत्रालय/विभाग रुके हुए नीतिगत निर्णय लेंगे।

कोयला/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इन परियोजनाओं के लिए ईंधन की दीर्घकालिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नीतियां तैयार करेंगे। संबंधित बिजली वितरण कंपनियों को जल्द सुधार लागू करने में मदद की जाएगी।

इन परियोजनाओं में ऋण के बिगड़ते अनुपात को सुधारने के लिए प्रवर्तकों से अतिरिक्त इक्विटी लगाने के लिए कहा जाएगा। जहां प्रवर्तक ऐसा करने की स्थिति में नहीं होंगे, वहां बैंक वैकल्पिक व्यवस्था करने अथवा प्रबंधकीय नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए व्यावहारिक विकल्पों पर विचार करेंगे।

उपयोगकर्ता उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर शुल्क प्रणाली को बदलने की संभावना पर भी सरकार विचार करेगी। इस्पात पर आयात शुल्क बढ़ाने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है।

आरबीआई से बैंकों के उस प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया जा चुका है, जिसके अनुसार बैंकों को पहले से दिए गए ऋणों के पुनर्गठन में आवश्यकता के अनुसार और भी लचीलापन बरतने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(आ) जोखिम नियंत्रण के उपायों तथा एनपीए के खुलासों को मजबूत बनाना: एनपीए की समस्या से निपटने के लिए डीआरटी तथा सरफेसी प्रणाली के अंतर्गत होने वाले वसूली के उपायों के

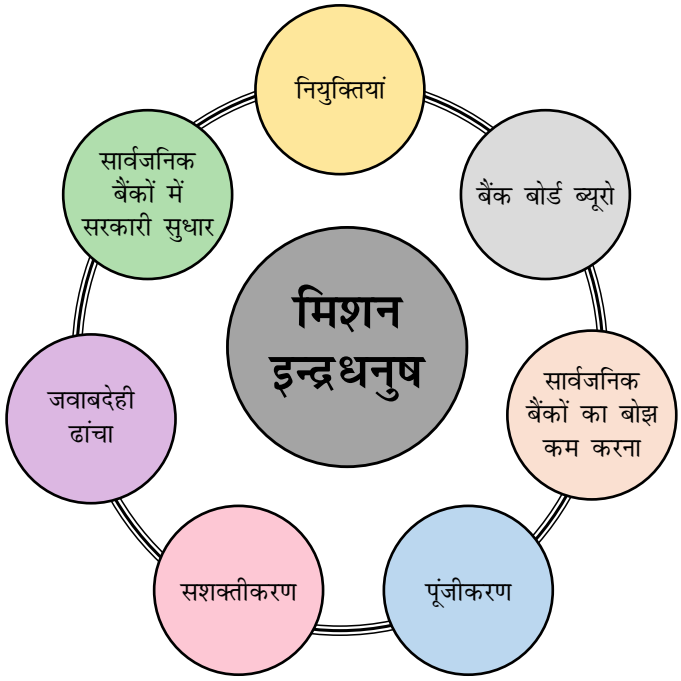

अलावा निम्न अतिरिक्त कदम उठाए गए हैं:

आरबीआई ने 2014 में 'वित्तीय दबाव की जल्द पहचान, समाधान एवं ऋणदाताओं हेतु समाधान एवं उचित वसूली के लिए त्वरित कदम: अर्थव्यवस्था में फंसी हुई संपत्तियों को पुनर्जीवन देने के लिए रूपरेखा' के दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें दबावयुक्त संपत्तियों की जल्द पहचान करने तथा उनका समाधान करने के लिए विभिन्न कदम बताए गए थे।

अब रिजर्व बैंक ने ऋण लेने वालों की एक नई श्रेणी असहयोगी (नॉन-कोऑपरेटिव बॉरोअर) बनाई है। असहयोगी करार दिए गए व्यक्ति अथवा संस्था को नया ऋण देते समय अधिक प्रावधान करना आवश्यक है।

संपत्ति पुनर्गठन कंपनियां (एआरसी)

रिजर्व बैंक ने संपत्ति पुनर्गठन कंपनियों के लिए नियम सख्त कर दिए हैं, जिनके अनुसार प्रतिभूति (सिक्योरिटी रिसीप्ट) में कम से कम 15 प्रतिशत निवेश करना होगा, जो पहले 5 प्रतिशत था। इस कदम से एआरसी को खरीदी गई संपत्तियों में अधिक नकद हिस्सेदारी करनी होगी। साथ ही अधिक नकदी हाथ में होने के कारण बैंकों को अपने बहीखाते साफ करने के लिए अधिक प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

छह नई डीआरटी की स्थापना

केंद्र सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र के बुरे कर्जों की वसूली तेज करने के लिए चंडीगढ़, बेंगलूरु, एर्नाकुलम, देहरादून, सिलिगुड़ी और हैदराबाद में छह नए ऋण वसूली पंचाट (डीआरटी) स्थापित करने का निर्णय लिया है।

सशक्तीकरण

सरकार ने यह परिपत्र जारी किया है कि सरकार की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और बैंकों को अपने वाणिज्यिक हितों का ध्यान रखते हुए स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

जवाबदेही का ढांचा

सार्वजनिक बैंकों के प्रदर्शन को मापने के लिए प्रमुख प्रदर्शन सूचकांकों का नया ढांचा होगा।

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने सार्वजनिक बैंकों को एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें धोखाधड़ी के मामलों की शिकायत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पास दर्ज कराने तथा प्रत्येक मामले की लगभग रोज निगरानी करने के लिए सख्त समयसीमा तय की गई है। कर्मचारियों की मिलीभगत समेत बड़ी धोखाधड़ी पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए सतर्कता की प्रक्रिया को सुचारू करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने मई, 2015 में दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि कर्ज संबंधी धोखाधड़ी से निपटने का ढांचा दुरुस्त किया जा सके।

प्रशासन संबंधी सुधार

प्रशासन संबंधी सुधारों की प्रक्रिया 2015 के आरंभ में पुणे में संपन्न 'ज्ञान

संगम' से आरंभ हुई, जो सार्वजनिक बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों का सम्मेलन था और जिसमें रिजर्व बैंक के गवर्नर तथा सभी सार्वजनिक बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के सीएमडी समेत सभी हितधारकों ने हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और उनकी समस्याएं समझने तथा हल करने के इरादे से सार्थक चर्चा की। प्रधानमंत्री ने बैंकिंग प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार के पूरे दृष्टिकोण से उन्हें अवगत कराया, जिसमें वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना तथा रोजमर्रा के व्यावसायिक कामकाज में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होने का भरोसा दिलाना शामिल था। किंतु उन्होंने कहा कि इसके साथ बैंकों की जवाबदेही होगी और उन्हें यह भी बताया कि उनसे किस प्रकार की अपेक्षा है। 'ज्ञान संगम' की सिफारिशों में जोखिम प्रबंधन के तरीकों को मजबूत बनाना भी शामिल था। इसमें मानव संसाधन प्रबंधन के तरीके सुधारने तथा बाधाएं हटाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है ताकि बैंक साझा संसाधनों पर साथ मिलकर काम कर सकें। बैंकों के निदेशक मंडलों को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

पिछले एक वर्ष में बैंकिंग सुधारों के अनुरूप तस्वीर बदल देने वाले प्रमुख कदम उठाए गए हैं, जैसे:

ऋणशोधन अक्षमता तथा दिवालिया संहिता

कर्ज चुकाने की कंपनियों की अक्षमता तथा सीमित जवाबदेही वाले निकायों (सीमित जवाबदेही वाली साझेदारी तथा सीमित जवाबदेही वाली अन्य संस्थाओं समेत), असीमित जवाबदेही वाली साझेदारियों तथा व्यक्तियों से संबंधित विभिन्न कानूनों को एक ही कानून में लाने के उद्देश्य से 28 मई, 2016 को ऋणशोधन अक्षमता तथा दिवालिया संहिता, 2016 लागू की गई थी। हाल ही में संहिता में कुछ संशोधन किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कर्ज चुकाने से जानबूझकर मुकरने वालों को अपनी उन फंसी हुई संपत्तियों के लिए दोबारा बोली लगाने का मौका नहीं मिले, जिन संपत्तियों ने बैंकों पर एनपीए का बोझ लाद दिया है।

सार्वजनिक बैंकों का पुनर्पूंजीकरण

सरकार ने ऋण वृद्धि तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सार्वजनिक बैंकों में पुन: पूंजी डालने का निर्णय लिया है। इसके लिए अगले दो वर्षों में लगभग 2,11,000 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाना आवश्यक है, जिसमें अधिकाधिक आवंटन इसी वर्ष करना होगा। इसके लिए 18,139 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट से होगी, 1,35,000 करोड़ रुपये के पूनर्पूंजीकरण बॉण्ड होंगे और शेष राशि बैंकों द्वारा बाजार से पूंजी (58,000 करोड़ रुपये का अनुमान) जुटाकर लाई जाएगी, जिसके लिए सरकार ऋण वृद्धि एवं रोजगार सृजन में मदद के इरादे से अपनी हिस्सेदारी कम करेगी।

वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा मंजूर किए गए प्रस्तावों पर एक रिपोर्ट प्रत्येक तीन माह में कैबिनेट के पास भेजी जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था बैंकों को एकीकरण के प्रस्तावों की पड़ताल करने का निर्देश भी दे सकती है। सैद्धांतिक मंजूरी देने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था भारतीय रिजर्व बैंक के विचार जानेगी। बैंकों के एकीकरण के प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था अपनी प्रक्रिया तैयार करेगी और राष्ट्रीयकरण कानूनों (बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं व्यवसाय हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 तथा 1980) के उद्देश्यों का पालन करेगी।

बैंकों का एकीकरण

हालांकि पिछले कुछ वर्षों से एकीकरण आरबीआई की सूची में रहा है, लेकिन भारतीय स्टेट बैंक के छह सहयोगी बैंकों तथा भारतीय महिला बैंक का विलय स्टेट बैंक के साथ होने के अलावा अधिक महत्वपूर्ण विलय नहीं हुए हैं। एकीकरण निजी क्षेत्र में कुछ विलय सौदों तथा विशेष रूप से स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों तक ही सीमित रहा है। रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल ने कहा है कि यदि सार्वजिनक क्षेत्र के कुछ बैंकों का विलय कर कम लेकिन अधिक स्वस्थ बैंक बनें तो भारतीय बैंकिंग तंत्र बेहतर हो सकता है क्योंकि इससे फंसी हुई संपत्तियों की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी।

इस बीच केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एकीकरण हेतु एक वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की है, जिसकी अध्यक्षता वित्त एवं कंपनी मामलों के मंत्री अरुण जेटली कर रहे हैं। वैकल्पिक व्यवस्था की संरचना इस प्रकार होगी:

अध्यक्ष: अरुण जेटली, वित्त एवं कंपनी मामलों के मंत्री

सदस्य: पीयूष गोयल, रेल एवं कोयला मंत्री

सदस्य: निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री

एकीकरण की योजना तैयार करने के लिए सैद्धांतिक अनुमति मांगने वाले बैंकों के प्रस्ताव उपरोक्त वैकल्पिक व्यवस्था के समक्ष रखे जाएंगे। वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा मंजूर किए गए प्रस्तावों पर एक रिपोर्ट प्रत्येक तीन माह में कैबिनेट के पास भेजी जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था बैंकों को एकीकरण के प्रस्तावों की पड़ताल करने का निर्देश भी दे सकती है। सैद्धांतिक मंजूरी देने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था भारतीय रिजर्व बैंक के विचार जानेगी। बैंकों के एकीकरण के प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था अपनी प्रक्रिया तैयार करेगी और राष्ट्रीयकरण कानूनों (बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं व्यवसाय हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 तथा 1980) के उद्देश्यों का पालन करेगी।

केंद्र सरकार की मंजूरी के उपरांत बनाई गई अंतिम योजनाओं को संसद के दोनों सदनों में रखा जाएगा। वित्तीय सेवा विभाग इस काम में वैकल्पिक व्यवस्था की मदद करेगा।

इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं के पूंजीकरण के लिए निकट भविष्य में एक व्यापक योजना 'इंद्रधनुष 2.0' भी लाना चाहती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक ऋण चुकाने के योग्य होंगे और पूंजी पर्याप्तता के वैश्विक नियम बेसल-3 का पूरी तरह पालन करने योग्य होंगे। किंतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति गुणवत्ता समीक्षा का विस्तृत विश्लेषण होने के बाद ही 'इंद्रधनुष 2.0' को अंतिम रूप दिया जाएगा। आंकड़ों पर दोबारा नजर डाली जा रही है और इंद्रधनुष 2.0 के अंतर्गत सार्वजनिक बैंकों के पुनर्पूंजीकरण का संशोधित कार्यक्रम जारी किया जाएगा। ❑

पूरे भारत में सबसे सफल शिक्षक
अमित कुमार सिंह के मार्गदर्शन में

सिविल सेवा परीक्षा 2016 में संस्थान से कुल 70 चयन

प्रथम 100 में 9 रैंक हमारे संस्थान इग्नाइटेड मांइड्स से

खुली चुनौती

पूरे भारत में हिन्दी माध्यम में किसी भी वैकल्पिक विषय और एथिक्स (GS Paper-IV) पढ़ाने वाले संस्थानों में सर्वाधिक परिणाम

हमसे ज्यादा सफल परिणाम दिखाइये, फीस में 100% छूट पाइये

2016 में दर्शनशास्त्र विषय से कुल 9 चयन

PHILOSOPHY
Best optional subject

निःशुल्क कार्यशाला
05 February
3:30 PM

परीक्षा परिणाम के आधार पर भी दर्शनशास्त्र सर्वाधिक चयन देने वाला विषय

ETHICS
G.S. IV Paper

New Batch Starts from
20 December
6:45 PM

ESSAY
New Batch Starts from
10 February
12:30 PM

दर्शनशास्त्र **(Philosophy),** एथिक्स **(GS Paper-IV)** और निबंध का सर्वश्रेष्ठ संस्थान

IGNITED MINDS
A Premier Institute for IAS/PCS

DELHI CENTER
A-2, 1st Floor, Comm. Comp. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
✆ 011-27654704, 9643760414, 8744082373

ALLAHABAD CENTER
H-1, 1st Floor, Ram Mohan Plaza, Madho Kunj, Katra
✆ 9389376518, 9793022444, 0532-2642251

Visit us: www.ignitedmindscs.com

YH-650/8/2017

बैंकिंग सुधारों की अनिवार्यता

आदित्य पी त्रिपाठी
नूपुर अग्रवाल

वर्तमान सरकार के आर्थिक सुधारों की राह में भारतीय बैंकिंग व्यवस्था विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। यद्यपि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था ने अपने कठोर नियमों एवं उसके प्रभावी अनुपालन के कारण वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनायी है, किन्तु इस पहचान को स्थायी रखने के लिए पूंजीगत सहायता के साथ ही साथ बैंकिंग नियामक एवं सरकार को ऐसे प्रभावी कदम भी उठाने होंगे जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की लगातार बढ़ रही गैर-निष्पादनीय परिसंपतियों से न सिर्फ निपटा जा सके बल्कि भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति भी न हो

वर्ष 2008 में आये वैश्विक वित्तीय संकट का भारतीय अर्थव्यस्था एवं इसके वित्तीय संस्थानों पर बहुत नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा था और इसका एक मात्र कारण भारत की प्रभावशाली, नियोजित एवं अनुशासनात्मक मौद्रिक नीति रही। अनुशासनिक वित्तीय प्रणाली तथा विनियमन का श्रेय वर्ष 1991 से शुरू किये गये वित्तीय क्षेत्र के सुधारों को जाता है। भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों में नरसिम्हन समिति 1 (वर्ष 1991) एवं 2 (वर्ष 1998) की संस्तुतियों की अपनी भूमिका रही है, जिसने भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को अधिकाधिक पारदर्शी, नियोजित और नियंत्रित बनाकर भारत बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नया मुकाम दिलाया है। वर्ष 2014 से आरम्भ तृतीय पीढ़ी के आर्थिक सुधारों की पहल ने बैंकों विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया है। इस आलोक में प्रस्तुत आलेख तीसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधारों के मध्य बैंकिंग क्षेत्र में व्याप्त चुनौतियों, अवसरों एवं वांछित सुधारों को चिह्नित करने का एक प्रयास है।

भारतीय अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक सुधार

भारत में आर्थिक सुधार का प्रारंभ वर्ष 1991 में नवीन औद्योगिक नीति के माध्यम से किया गया। उस समय जो भी संरचनात्मक सुधार लागू किये गये वे कहीं न कहीं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की शर्तों के कारण भारत द्वारा अपनाये गये और उनका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट से निकालना था। मुख्य रूप से उन सुधारों को वैश्वीकरण, निजीकरण एवं उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। इन सुधारों के लगभग 7 वर्ष बाद वर्ष 1998 में भारत एक बार फिर राजकोषीय एवं चालू खाते के भारी घाटों के साथ वैश्विक बाज़ार में अपनी कम होती साख एवं ढांचागत शिथिलता के कारण उस अवस्था में पहुंच गया जहां उसे आर्थिक सुधारों की दूसरी बड़ी खुराक की जरूरत महसूस हुई। तत्कालीन सरकार ने महत्वपूर्ण आर्थिक नीतियों एवं सुधारों को लागू किया और उसे दूसरी पीढ़ी के सुधारों का नाम दिया, जिसका निहितार्थ यह था कि 1991 में शुरू किये गये सुधार पहली पीढ़ी के आर्थिक सुधार थे। इन दोनों ही सुधारों में एक महत्वपूर्ण समानता यह थी कि वे संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को सामान्य एवं विकासशील स्थिति में लाने के प्रयास थे अर्थात संकट आने के बाद उसे दूर करने का प्रयास किया गया क्योंकि इन संकटों से बचने हेतु कोई उपाय नहीं किये गये थे।

संकट-जनित सुधारों के स्थान पर विकास-प्रेरित सुधार

वर्ष 2014 में निर्वाचित वर्तमान सरकार, जो एक नये भारत की ओर अग्रसर होने के साथ इसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी एवं नवाचार-अभिमुखी अर्थव्यवस्था के रूप में संपूर्ण विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु संकल्पित है, ने तीसरी पीढ़ी के सुधारों की बात की।

इस बार जो लगभग सभी क्षेत्रों एवं उद्योगों को प्रभावित करने वाले 6 व्यापक ढांचागत परिवर्तन की पेशकश किसी संकट से निपटने हेतु नहीं बल्कि भारत को विश्व बाज़ार में एक अलग पहचान और मुकाम दिलाने के मकसद से की गयी।

आदित्य पी त्रिपाठी दिल्ली विश्वविद्यालय के श्याम लाल कॉलेज (संध्या) के वाणिज्य विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। ईमेल: lkaditya1982@gmail.com
नुपूर त्रिपाठी दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह कॉलेज के वाणिज्य विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। ईमेल: noopurwaves@gmail.com

ये सुधार हैं :

1. लोक वित्त के आवंटन में विवेकाधिकार का समापन।
2. अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप से औपचारिक बनाना।
3. भारतीय राजकोषीय नीति में आमूलचूल परिवर्तन।
4. मौद्रिक नीति के निर्धारण हेतु बिलकुल नयी विधि का प्रयोग जिससे वे पूर्वानुमेय में भी अनुमान लगाया जा सके।
5. वित्तीयन प्रक्रिया में बैंक- अभिमुखी दृष्टिकोण से अधिकाधिक इक्विटी अभिमुखी दृष्टिकोण की ओर पलायन।
6. क्रांतिकारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का आरम्भ।

यदि इन समस्त सुधारों के मूल में जाएं, तो इनका उद्देश्य एक पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना करना है, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर एक मजबूत प्रतिस्पर्धी के रूप में स्थापित हो सके। प्रमुख सुधारों में जन-धन, आधार, मोबाइल त्रिकोण (jam trinity) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में क्रांतिकारी भूमिका अदा कर रहा है। समस्त सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जैसे *उज्ज्वला योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन, मातृत्व लाभ, जीवन और स्वास्थ्य बीमा* आदि का लाभ वास्तविक लाभार्थी तक पहुंचाने का श्रेय *प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना* को जाता है, और इस कार्य में बैंकों की भूमिका और उत्तरदायित्व दोनों ही महत्त्वपूर्ण हैं। उपरोक्त सुधार निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ तीव्र विकास को सुनिश्चित करेंगे और यह सब कुछ एक मजबूत बैंकिंग प्रणाली के बिना संभव नहीं होगा।

इस पृष्ठभूमि में इस बात का मूल्यांकन करना आवश्यक है कि तीसरी पीढ़ी के इन सुधारों के मार्ग में कौन सी चुनौतियां हैं और उनके समाधान क्या हैं। यहां हम मुख्य रूप से बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों का अवलोकन एवं मूल्यांकन करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि जो बैंकिंग सुधार अभी तक किये गये हैं अथवा जो सुधार प्रक्रिया में हैं क्या वे विकास के वर्तमान लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु समुचित एवं पर्याप्त हैं अथवा नहीं।

प्रथम एवं द्वितीय पीढ़ी के आर्थिक सुधारों के मध्य बैंकिंग सुधार

पहली पीढ़ी के आर्थिक सुधार मूलत: संकट से निपटने के लिए आरम्भ किये गये थे। इन सुधारों की चर्चा से पहले तत्कालीन संकटों को जानना आवश्यक है: भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा की बात करें तो वर्ष 1991 में मुद्रास्फीति की दर 6.7 प्रतिशत से बढ़कर 16.7 प्रतिशत तक पहुंच गयी, गैर-विकास खर्चों के लगातार बढ़ते रहने से राजकोषीय घाटा इतना बढ़ गया कि वर्ष 1991 में भारत का ब्याज दायित्व कुल सरकारी खर्च के 36.4 प्रतिशत तक पहुंच गया; प्रतिकूल भुगतान संतुलन की ओर देखें तो वर्ष 1980-81 में इसका घाटा 2214 करोड़ रुपये था जो वर्ष 1990-91 में बढ़कर 17367 करोड़ हो गया और इस प्रतिकूलता को कम करने लिए भारत को विदेशी ऋण का सहारा लेना पड़ा जिससे पुन: ऋण और ब्याज का बोझ बढ़ता गया। उधर इराक़ युद्ध के कारण पेट्रोल की कीमतें बढ़ीं और खाड़ी देशों से विदेशी मुद्रा का प्रवाह बंद हो गया जिसने समस्या को बद से बद्तर कर दिया; विदेशी मुद्रा कोष जो 1986-87 में 8151 करोड़ रुपये था, 1989-90 में घटकर 6252 करोड़ हो गया और 1990-91 में यह दो सप्ताह के आयात बिल का भुगतान करने हेतु भी अपर्याप्त था।

इन समस्याओं से निपटने हेतु क्रमिक रूप से दो बार भारतीय रुपये का 18 प्रतिशत तक अवमूल्यन किया गया, भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाज़ार के अनुरूप बनाने तथा कोटा-लाइसेंस राज को ख़त्म करने हेतु उदारीकरण की नीति अपनायी गयी, लगातार नुकसान का बोझ झेल रहे लोक उपक्रमों के सुधार एवं उनके निजीकरण की नीति अपनायी गयी और भारतीय बाज़ार को वैश्विक बाज़ारों के लिए खोलने हेतु वैश्वीकरण की नीति को अपनाया गया।

प्रमुख सुधारों में जन-धन, आधार, मोबाइल त्रिकोण (jam trinity) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में क्रांतिकारी भूमिका अदा कर रहा है। समस्त सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जैसे उज्ज्वला योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन, मातृत्व लाभ, जीवन और स्वास्थ्य बीमा आदि का लाभ वास्तविक लाभार्थी तक पहुंचाने का श्रेय प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना को जाता है, और इस कार्य में बैंकों की भूमिका और उत्तरदायित्व दोनों ही महत्त्वपूर्ण हैं।

वित्तीय सुधारों जिसमें नरसिंघम समिति का गठन प्रमुख रहा। इस समिति ने अन्य सुधारों के साथ मुख्य रूप से बैंकों की ख़राब लाभदायकता के कारण के रूप में निर्देशित विनियोग कार्यक्रमों को जिम्मेदार ठहराया और एसएलआर (सांविधिक तरलता अनुपात) की दर को तत्कालीन 38.5 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत तक करने और सीआरआर (नकद संचय अनुपात) को 15 प्रतिशत से घटाकर 3-5 प्रतिशत के बीच लाने की सिफारिश की ताकि बैंकों के 53.5 प्रतिशत अप्रयुक्त संसाधनों को प्रयोग में लाया जा सके। इसके साथ ही निर्देशित ऋण कार्यक्रमों (मुख्यत: प्राथमिकता क्षेत्र वाले ऋण जिनमें कृषि और लघु उद्योगों को ऋण शामिल हैं) के बोझ को कम करने, ब्याज दर को बाजार शक्तियों-मांग और आपूर्ति पर छोड़ने, बढ़ते हुए गैर निष्पादनीय संपत्तियों से निपटने के लिए संपत्ति पुनर्निर्माण कोष की स्थापना करने, बैंकों पर रिजर्व बैंक और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय-बैंकिंग प्रकोष्ठ के दोहरे नियंत्रण के स्थान पर उन्हें सिर्फ रिज़र्व बैंक के नियंत्रण में सौंपने और बैंकों को स्वायत्तता प्रदान करने की सिफारिश की।

1991 में आरंभ किये आर्थिक सुधारों को वर्ष 2001 तक पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सका, जिसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि 1991 की नवीन औद्योगिक नीति को तब भी नवीन औद्योगिक नीति के रूप में ही माना गया। यद्यपि दूसरी पीढ़ी के सुधारों के समय यह कहा गया था कि ये संकट-ग्रसित न होकर विकास प्रेरित हैं किन्तु विकास के आंकड़े इस बात की ओर संकेत कर रहे थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था संकट से पूर्ण रूप से निकल नहीं पायी थी। दूसरी पीढ़ी के सुधारों में राजकोषीय सुधार (आय एवं कर आधार को वृहद् बनाने, सीमा एवं उत्पाद शुल्कों को तर्कसंगत करने), वित्तीय सुधार (मुख्यत: विदेशी बीमा कंपनियों को भारतीय बीमा क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति देने,

विदेशी बैंकों को भारत में अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति देने), श्रम कानून सुधार, और कृषि सुधार लाने की बात कही गयी ताकि पहली पीढ़ी के सुधारों को और गति दी जा सके।

नरसिंघम समिति द्वय की बात करें तो इसका गठन वर्ष 1991 में शुरू किये गये बैंकिंग सुधारों की समीक्षा करने और एक ऐसे कार्यक्रम की रचना के उद्देश्य से किया गया था जिससे भारतीय वित्तीय प्रणाली को और मजबूती दी जा सके। इस समिति का मुख्य ध्यान पूंजी पर्याप्तता, बैंक विलय और बैंकिंग कानूनों की समीक्षा पर था। मुख्य सुधारों के रूप में इस समिति ने चालू खाते की परिवर्तनीयता के संदर्भ में भारतीय बैंकों को सशक्त बनाने के लिए शक्तिशाली बैंकों के विलय की बात कही। गैर-निष्पादनीय संपत्तियों की समस्या को दूर करने के लिए नैरो बैंकिंग की नीति अपनाने की सिफारिश की जिसमें कमजोर बैंकों को यह अनुमति होगी कि वे अपने कोषों को सिर्फ अल्पकालीन एवं जोखिमरहित संपत्तियों में निवेश कर सकें। बैंकों की कार्यशैली में सुधार लाने के लिए इनके प्रबंधन में प्रोफेशनल कारपोरेट रणनीति को लागू करने और प्रमुख बैंकिंग कानूनों यथा रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया अधिनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम और राष्ट्रीयकरण अधिनियमों में संशोधनों की सिफारिश की ताकि बैंकों की कार्यक्षमता एवं लाभदायकता में सुधार लाने के साथ ही उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।

बैंकिंग सुधार समग्र रूप में

यदि वर्ष 1991 से आज तक बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों की संरचना को देखें तो तीन महत्वपूर्ण पॉलिसी दस्तावेज सामने आते हैं जो क्रमशः नरसिंघम समिति प्रथम (1991), द्वितीय (2008) एवं रघुराम राजन समिति (2009) हैं। यद्यपि इन समितियों के समस्त सुझावों एवं विचारों को अक्षरशः नहीं लागू किया गया किन्तु इन तीनों ने भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के ढांचागत सुधार में अपनी महती भूमिका अदा की है।

भारतीय मुद्रा बाज़ार में जब भी बैंकिंग सुधारों की बात आती है तो उसके पर्यायवाची के तौर पर बासेल 1, 2 एवं 3 नियमों और नरसिंघम कमिटी की संस्तुतियों की चर्चा अवश्य होती है। वर्तमान में वांछित बैंकिंग सुधारों से पहले एक दृष्टि डालते हैं भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में अब तक हुए सुधारों पर।

जोखिम और प्रत्याय किसी भी वित्तीय प्रणाली और बैंकिंग उद्योग की रीढ़ के समान होते हैं। चूंकि बैंकों का मुख्य कार्य जमा स्वीकार करना और ऋण देना है जिसमें क्रेडिट जोखिम का होना अवश्यम्भावी है। मुख्यतः बैंकिंग में इस प्रकार के जोखिम से निपटने के लिए 1988 में बीसीबीएस (बैसेल कमिटि ऑन बैंकिंग सुरविजन) ने पहले अंतरराष्ट्रीय मानक बासेल 1 का निर्माण किया जिसमें मानकीकृत पूंजी पर्याप्तता अनुपात मुख्य अस्त्र के रूप में सामने आया। पूंजी पर्याप्तता अनुपात के द्वारा जोखिम भरे आस्तियों (ऋणों) से जमाकर्ताओं के धन की सुरक्षा करने की बात कही गयी। किन्तु जल्दी ही बढ़ते हुए कपटपूर्ण कृत्यों एवं व्यवस्थागत विफलताओं से यह सिद्ध हुआ कि क्रेडिट एवं बाज़ार जोखिम के साथ परिचालनात्मक जोखिम भी बैंक के जोखिमों का एक महत्वपूर्ण घटक है। उक्त समस्या

तालिका 1: बासेल 1, 2 एवं 3 एक दृष्टि में

बासेल 1	बासेल 2	बासेल 3
• बैंक ऑफ़ इंटरनेशनल सेटलमेंट द्वारा वर्ष 1988 में दिया गया।	• बैंक ऑफ़ इंटरनेशनल सेटलमेंट द्वारा वर्ष 2004 में दिया गया।	• बैंक ऑफ़ इंटरनेशनल सेटलमेंट द्वारा सर्वप्रथम वर्ष 2010 में दिया गया, किन्तु संशोधन के पश्चात वर्ष 2011 में लाया गया।
• सिर्फ क्रेडिट एवं बाज़ार रिस्क पर केन्द्रित जोखिम प्रबंध के अस्त्र के रूप में सीआरएआर (कैपिटल टूरिस्क वेटेड एसेट्स रेश्यो)।	• क्रेडिट, बाज़ार एवं परिचालनात्मक जोखिमों का समावेश।	• क्रेडिट, बाज़ार, परिचालनात्मक एवं तरलता जोखिमों के साथ काउंटर साइकिल जोखिम का भी समावेश।
• न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात जोखिम भारित संपत्तियों के 8 प्रतिशत के बराबर रखने की अनिवार्यता बीसीबीएस द्वारा निर्धारित)।	• न्यूनतम पूंजी, पर्यवेक्षक समीक्षा एवं बाजार अनुशासन के तीन महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित।	• जोखिम प्रबंध के अस्त्र के रूप में न्यूनतम पूंजी, पर्यवेक्षक समीक्षा, बाजार अनुशासन, लिक्विडिटी कवरेज रेश्यो, काउंटर साइकिल बफर, कैपिटल कंजरवेशन बफर एवं लिवरेज रेश्यो का समावेश।
• आर.बी.आई. द्वारा निर्धारित न्यूनतम ब्याज दर 9 प्रतिशत।	• बीसीबीएस द्वारा निर्धारितः न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात जोखिम भारित संपत्तियों के 8 प्रतिशत के बराबर रखने की अनिवार्यता (दर में कोई परिवर्तन नहीं।	• बीसीबीएस द्वारा निर्धारित।
• भारत ने इसे वर्ष 1999 में लागू किया।	• टियर 1 = 4 प्रतिशत।	• न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात जोखिम भारित संपत्तियों के 10 प्रतिशत - 13 प्रतिशत के बीच रखने की अनिवार्यता
• बैंकिंग जोखिमों से निपटने हेतु पहला अंतरराष्ट्रीय उपाय।	• आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीआरएआर दर 9 प्रतिशत।	• टियर 1 = 6 प्रतिशत
	• टियर 1 = 6 प्रतिशत।	• कामन समता = 4.5 प्रतिशत
	• भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों हेतु संस्तुत दर सीआरएआर 12 प्रतिशत।	• RBI द्वारा निर्धारित न्यूनतम CRAR दर 11.5 प्रतिशत
	• भारत ने इसे वर्ष 2009 में लागू किया।	• टियर 1 = 7 प्रतिशत
		• कामन समता = 5.6 प्रतिशत
		• भारतीय रिज़र्व बैंक ने बासेल 3 को पूर्ण रूप से 31 मार्च 2019 तक लागू करने का लक्ष्य रखा है।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात = टियर 1 पूंजी टियर 2 पूंजी।
जोखिम भारित संपत्तियां

टियर 1 पूंजी = बैंक की मुख्य पूंजी जिसमें समता पूंजी और उल्लेख्य संचय शामिल होते हैं।

टियर 2 पूंजी का प्रयोग समापन की दशा में हानियों की पूर्ति के लिए किया जाता है।

(स्रोतः BCBS (Basel Committee on Banking Supervision)] www.bis.org

वर्तमान में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के समक्ष निम्न प्रमुख चुनौतियां हैं जिनके लिए समुचित सुधारात्मक कदम भी दिए गये हैं

मुख्य चुनौती	वांछित सुधारात्मक उपाय
अरसे से लंबित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को स्वायत्तता प्रदान करना जिससे बैंकिंग क्षेत्र में संरक्षण की नीति से बाहर निकलकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा सकें।	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को स्वायत्तता देना।
तनावग्रस्त आस्तियों का बढ़ता हुआ बोझ विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में : 1. आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जून 2017 के अनुसार बैंकिंग व्यवस्था में ग्रॉस बैड कर्ज रेश्यो मार्च 2017 के 9.6 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2018 में कुल ऋण का 10.2 प्रतिशत हो जाएगा और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह दर 14.2 प्रतिशत (मार्च 2017 के 11.4 प्रतिशत से बढ़कर) होगी जो कि चिंताजनक है) 2. मार्च 2012 में सिर्फ 6 सार्वजानिक बैंकों का सकल एनपीएदर 3 प्रतिशत से अधिक था। 3. मार्च 2017 में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (सिर्फ 5 बैंकों को छोड़कर) में यह दर दो अंकों में पहुंच गयी। 4. दो ऐसे बैंक भी पाये गये हैं जिनके एनपीए की दर 20 प्रतिशत से भी ज्यादा हो गयी। निजी क्षेत्र के बैंकों में एनपीए की यह दर एक अंक में ही पायी गयी है, जो इस बात को सिद्ध करता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुदृढ़ करने हेतु एक बड़े कदम की आवश्यकता है।	बढ़ते हुए एनपीए के बोझ को कम करने हेतु प्रभावी कदम उठाना साथ ऋण वसूली व्यवस्था को और प्रभावी बनाना होगा।
बैंकों के पूंजी पर्याप्तता अनुपात में लगभग 2 प्रतिशत की गिरावट (मार्च 2017 के 13.3 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2018 में 11.2 प्रतिशत होने की सम्भावना। (आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जून 2017)	पूंजी पर्याप्तता अनुपात को बढ़ाना ताकि बैंकों को विभिन्न प्रकार के जोखिमों से बचाना।
सार्वजानिक बैंकों के घाटों का बजट पर बढ़ता दबाव। (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एनपीए मार्च 2015 के 2.78 लाख करोड़ से बढ़कर जून 2017 में 7.33 लाख करोड़ हो गया) पिछले तीन वर्षों में सरकार द्वारा इस क्षेत्र को 51000 करोड़ की सहायता दी जा चुकी है हाल ही में सरकार द्वारा एनपीए की मार झेल रहे सार्वजानिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूती प्रदान करने के लिए दो वर्ष की समयावधि में 2.11 लाख करोड़ की सहायता जिसमें पुन: पूंजीकरण बांड्स, बजटीय सहायता और इक्विटी DILUSION शामिल है (पीटीआई, नवंबर 12, 2017)	सार्वजानिक क्षेत्र के बैंकों में सरकारी निवेश को 51 प्रतिशत से कम करना और साथ ही रणनीतिक निवेश को आकर्षित करना ताकि इन बैंकों की कार्य क्षमता में सुधार हो।

से निपटने हेतु बासेल 2 की संरचना वर्ष 2004 में की गयी जिसमें क्रेडिट, बाज़ार एवं परिचालन की जोखिमों के साथ लोचशीलता को भी शामिल किया गया। बासेल 2 में छोटे से लेकर उच्च स्तर तक के मानकीकृत उपायों एवं सुरक्षाओं की व्यवस्था की गयी ताकि बैंकों के विभिन्न जोखिम स्तरों के अनुरूप उन्हें अपनाया जा सके।

यदि भारतीय बैंकिंग की बात करें तो रिज़र्व बैंक ने इस मामले में स्वयं को अत्यधिक रुढ़िवादी सिद्ध करते हुए बासेल नियमों द्वारा निर्धारित मानकों से भी कठोर मानकों को अपनाया। यदि अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो बासेल 2 भी सबप्राइम संकट को नहीं रोक पाया और लेहमन ब्रदर्स जैसी वित्तीय संस्थाएं भी उस संकट का शिकार हो गयीं, जिनकी वैश्विक स्तर पर अच्छी साख थी। इस संकट के पीछे जो मुख्य समस्याएं उच्च लिवरेज, असंतुलित संपत्ति-दायित्व और तरलता की थी, जिससे निपटने के लिए वर्ष 2010 में बासेल 3 नियमों को लाया गया जिसमें लिक्विडिटी कवरेज रेश्यो, काउंटर साइकिल बफर, कैपिटल कोन्सेर्वतिओन बफर और लिवरेज अनुपात जैसे मानकों को लाया गया। बासेल मानकों एवं उनमें निहित परिनियमों को निम्नलिखित से समझा जा सकता है:

भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को उपरोक्त सुधारों एवं उनके प्रभावी निष्पादन की वजह से ही वर्ष 2008 के दौरान आयी वैश्विक मंदी में संपूर्ण विश्व ने सराहा और इस संकट से भारतीय बैंकिंग क्षेत्र पर बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े। अपनी इस स्वस्थ परम्परा को बरक़रार रखने के लिए आज फिर से वह समय आ गया है कि 21वीं सदी की चुनौतियों के अनुरूप भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में वांछित सुधार के कदम उठाये जाएं।

बासेल 3 : बैंकिंग सुधारों की दिशा में नया अध्याय

बासेल 3 मूलत: बैंकिंग नियामकों द्वारा बैंकिंग प्रणाली के उन पक्षों को परिमार्जित करने का प्रयास है जिनके कारण सपूर्ण विश्व को वैश्विक आर्थिक संकट या मंदी का सामना करना पड़ा। चूंकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं को वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा एवं उसे बचाने हेतु एक बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ी है। अत: ये देश नहीं चाहते कि भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति हो। परिणामस्वरूप बैंकिंग व्यवस्था को कुछ इस प्रकार से नियंत्रित करना होगा जिससे कि न सिर्फ आस्तियों में गुणात्मक सुधार हो बल्कि बैंकों की हानि सहन करने की क्षमता में भी यथोचित वृद्धि हो। बासेल 3 के अंतर्गत इस प्रकार के प्रावधान किये गये हैं कि पूंजी पर्याप्तता

अनुपात की गणना में सभी प्रकार के जोखिमों यथा क्रेडिट ,बाज़ार और परिचालनात्मक का समावेश हो।

बासेल 3 जिन प्रमुख उद्देश्यों के साथ लागू किया जाना है, वे हैं:

1. बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता में इस प्रकार अभिवृद्धि करना जिससे कि यह वित्तीय एवं आर्थिक तनावों से उत्पन्न झटकों को सहन कर सके।
2. जोखिम प्रबंधन एवं शासन में सुधार।
3. बैंकों की पारदर्शिता एवं प्रकटीकरण और मजबूत बनाना।

बासेल 3 नियमन, बासेल 2 की तुलना में निम्न रूप से बेहतर है:

1. यह पूंजी के स्तर एवं गुणवत्ता में अभिवृद्धि करेगा।
2. तरलता मानकों का आरम्भ।
3. प्रावधान सम्बन्धी नियमों में संशोधन।
4. पहले से बेहतर और व्यापक प्रकटीकरण।

भारत में पूंजी नियमन 1 अप्रैल 2013 से क्रमिक रूप में लागू किया जा चुका है और यह 31 मार्च 2019 को पूरी तरह से लागू हो जाएगा। इसी क्रम में भारत ने बासेल 3 के तरलता कवरेज अनुपात (लिक्विडिटी कवरेज रेश्यो) को अपनाने के साथ ही शुद्ध स्थायी वित्तीयन अनुपात (नेट स्टेबल फंडिंग रेश्यो) को भी लागू करने की दिशा में सराहनीय कदम उठाये हैं।

बासेल 3 को लागू करने में भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के समक्ष जो प्रमुख चुनौतियां सामने आयी हैं वे हैं गैर निष्पादनीय आस्तियां, पूंजी की गुणवत्ता की समीक्षा, बैंकों के प्रबंधन एवं प्रशासन में सुधार एवं तरलता की समस्या।

अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (अक्टूबर 2017) के अनुसार भारत को अपनी विकास दर को बढ़ाने हेतु प्राथमिकता के क्रम में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में संरचनात्मक सुधार करना होगा। इसी के साथ श्रम एवं उत्पाद बाजारों की दक्षता में अभिवृद्धि और कृषि क्षेत्र को आधुनिकीकृत करना होगा। प्राथमिकता के इस क्रम में आईएमएफ द्वारा बैंकिंग सुधारों को प्रथम स्थान देना इस बात की ओर इंगित करता है कि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों की जरुरत है।

उपरोक्त तथ्यों एवं उनके विश्लेषण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि वर्तमान सरकार के महत्वाकांक्षी तीसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधारों की राह में भारतीय बैंकिंग व्यवस्था विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। यद्यपि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था ने अपने कठोर नियमों एवं उसके प्रभावी अनुपालन के कारण वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनायी है, किन्तु इस पहचान को स्थायी रखने के लिए पूंजीगत सहायता के साथ ही साथ बैंकिंग नियामक एवं सरकार को ऐसे प्रभावी कदम भी उठाने होंगे जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की लगातार बढ़ रही गैर-निष्पादनीय परिसंपतियों से न सिर्फ निपटा जा सके बल्कि भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति न हो, ऐसा सुनिश्चित किया जा सके। ❑

सन्दर्भ

- Basel III in International and Indian Context_Ten Questions we should know the Answers for, % Duvuri Subbarao] RBI Bulletin] October 2012
- Financial Stability Report, June 2017 released on June 30th, 2017, Reserve Bank of India (www.rbi.org)

www.afeias.com

IAS की Free तैयारी

IAS की परीक्षा के नि:शुल्क मार्गदर्शन के लिए डॉ. विजय अग्रवाल की वेबसाइट

इस पर आपको मिलेगा -

- प्रतिदिन ऑडियो लेक्चर
- अखबारों पर समीक्षात्मक चर्चा
- परीक्षा सम्बन्धी लेख
- आकाशवाणी के समाचार
- वीडिओ
- नॉलेज सेंटर
- अखबारों की महत्वपूर्ण कतरनें
- फ्री मॉक-टेस्ट।

सुनिए डॉ. विजय अग्रवाल का लेक्चर रोज़ाना

लॉग ऑन करें- www.afeias.com

डॉ. विजय अग्रवाल की पुस्तक

'आप IAS कैसे बनेंगे'

यह किताब IAS की तैयारी करने वालों के लिए एक 'चलता-फिरता कोचिंग संस्थान' है।

सभी प्रमुख पुस्तक-विक्रेताओं के यहाँ उपलब्ध

YH-655/8/2017

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

LIVE / ONLINE Classes also available

सामान्य अध्ययन

फाउंडेशन कोर्स 2019

- प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए — 17th April
- प्रारंभिक परीक्षा के लिए
- मुख्य परीक्षा के लिए

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम के घटक

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- निबंध लेखन शैली की कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल
- MAINS 365 कक्षाएं
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

PT 365 — ENGLISH MEDIUM | हिन्दी माध्यम

- One Year Current Affairs for Prelims

MAINS 365 — ENGLISH MEDIUM | हिन्दी माध्यम

- One Year Current Affairs for Mains

ALL INDIA TEST SERIES

Get the Benefit of Innovative Assessment System from the leader in the Test Series Program

PRELIMS
- ✓ General Studies (हिन्दी माध्यम में भी)
- ✓ CSAT (हिन्दी माध्यम में भी)

MAINS
- ✓ General Studies (हिन्दी माध्यम में भी)
- ✓ Essay (हिन्दी माध्यम में भी)
- ✓ Philosophy ✓ Sociology
- ✓ Geography

PHILOSOPHY

हिन्दी माध्यम में भी उपलब्ध

by Anoop Kumar Singh

@ JAIPUR | PUNE

- Includes comprehensive and updated study material
- Answer Writing Program for Philosophy (QIP)

500+ Selections in CSE 2015

15 in top 20
70+ Selections in Top 100 in CSE 2016

TINA DABI — AIR-1

ANMOL SHER SINGH BEDI — AIR-2

SAUMYA PANDEY — AIR-4

ABHILASH MISHRA — AIR-5

/visionias.upsc | /Vision_IAS | /c/VisionIASdelhi

www.visionias.in

DELHI	JAIPUR	PUNE	HYDERABAD
8468022022	9001949244	8007500096	9000104133
9650617807	9799974032	020-40040015	9494374078

DELHI: 2nd Floor, Apsara Arcade, Near Metro Gate 6, 1/8 B, Pusa Road, Karol Bagh
635, Opp. Signature View Apartments, Banda Bahadur Marg, Mukherjee Nagar

YH-737/9/2017

भारतमाला परियोजना: राजमार्ग विकास का नया आयाम

युद्धवीर सिंह मलिक

एक सुसंगत कॉरिडोर एप्रोच को अपनाते हुए पूरे देश में सड़कों पर यातायात की क्षमता में सुधार किया गया है। इस नेटवर्क से देश के विभिन्न जिलों में लगभग 80 प्रतिशत माल ढुलाई होने की संभावना है। इससे देश में वाहनों की औसत रफ्तार 20 से 25 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। आर्थिक गलियारों और संबंधित अंतर-गलियारे और फीडर मार्गों के विकास के परिणामस्वरूप सड़कों के ढांचे में सुधार होगा, बाईपास, रिंग रोड्स के माध्यम से भीड़भाड़ समाप्त होगी। कॉरिडोर में प्रवेश व निकासी आधारित टोलिंग के साथ नियंत्रित प्रवेश वाले एक्सप्रेसवे जैसी पहल से राजमार्गों की औसत रफ्तार में अधिक सुधार होगा

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 24 अक्टूबर, 2017 को आयोजित एक बैठक में भारतमाला परियोजना के चरण -1 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारतमाला देश का एक व्यापक राजमार्ग विकास कार्यक्रम है। मौजूदा कमियों और परिवहन की बढ़ती जरूरतों के कारण भारत राजमार्ग क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा तैयार कर रहा है। भारतमाला राजमार्गों के बुनियादी ढांचे के लिए एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) 1998 में एनडीए सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया देश का पहला प्रमुख राजमार्ग विकास कार्यक्रम था। योजना और निष्पादन के कॉरिडोर एप्रोच के आधार पर देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, संचालन और अनुरक्षण के लिहाज से सड़क विकास में एक ऊंची छलांग लगाने की भारतमाला की परिकल्पना है। भारतमाला का उद्देश्य उपयुक्त पहल के जरिए पूरे देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर माल ढुलाई और यात्रियों, दोनों स्तर पर लॉजिस्टिक संबंधी दक्षता में सुधार करना है।

भारतमाला को डिजाइन करने का दृष्टिकोण

उच्च घनत्व वाले मूल-गंतव्य स्थान, दोनों के बीच वैज्ञानिक स्तर पर माल की आवाजाही का एक व्यापक अध्ययन किया गया। इसके बाद नये आर्थिक गलियारों को पहचानने और विकसित करने के लिए एक नयी रणनीति तैयार की गयी ताकि आर्थिक क्षेत्र की लॉजिस्टिक संबंधी दक्षता को अधिकतम किया जा सके। इसके बदले में अर्थव्यवस्था पर बहुस्तरीय प्रभाव पड़ने की संभावना है। इस मूल गंतव्य स्थान अध्ययन ने एनएचडीपी के तहत संचालित परियोजनाओं के साथ आर्थिक गलियारों के एकीकरण को ध्यान में रखा।

इस अध्ययन में यह भी पता चला है कि देश के अधिकांश आर्थिक गलियारों में बुनियादी ढांचे में भिन्नताएं हैं। उदाहरण के लिए मुंबई-कोलकाता गलियारे में ओडिशा राज्य में एक बड़ा खंड दो लेन वाला है और वहां भी अक्सर लेन परिवर्तन होते हैं। अगर यह पूरा खंड कम-से-कम एक समान 4-लेन में नहीं बदला गया तो यातायात पर तो असर होगा ही, माल भाड़ा भी बढ़ेगा और इसका असर अंत उत्पाद, स्टील और ऊर्जा पर पड़ेगा। इसी प्रकार देश भर के राजमार्गों में मौजूदा असमानताओं को कम करने की तत्काल जरूरत थी।

नये गलियारों और फीडर मार्गों के विकास के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) के तहत पहले से विकसित सड़क विस्तारों (स्ट्रेचेज) की क्षमता में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। खासकर माल ढुलाई को समूहबद्ध और अलग-अलग करने और मोडल शिफ्ट को सहज बनाने के लिए बाइपास, रिंग रोड्स तथा मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्कों के विकास के जरिए।

भारत के निर्यात-आयात व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सीमाओं और तटीय क्षेत्रों के साथ बुनियादी सुविधाओं का विकास महत्वपूर्ण है। भारत के पड़ोसी देशों, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के साथ व्यापार संबंधी कनेक्टिविटी में सुधार के साथ रणनीतिक महत्व के आधार पर सीमा स्थित सड़कों को चिह्नित किया गया है। नौवहन मंत्रालय के सागरमाला कार्यक्रम के साथ तटीय सड़क विकास और बंदरगाह कनेक्टिविटी सड़कों के

लेखक भारत सरकार में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विकास विभाग के सचिव हैं। ईमेल: secy-road@nic.in

उन्नयन को सहयोग दिया गया है।

परियोजना आधारित सड़क विकास के स्थान पर कोरिडोर आधारित दृष्टिकोण को महत्व देने तथा कमियों को दूर करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 'भारतमाला परियोजना' को तैयार किया है।

भारतमाला के छह घटक

आर्थिक गलियारा

चिह्नित किए गए आर्थिक महत्व के गलियारों से आने वाले वर्षों में 25 प्रतिशत माल ढुलाई की संभावना है। एक बार निर्मित होने के बाद राष्ट्रीय और आर्थिक गलियारों, अपने अंतर-गलियारों और फीडर मार्गों के साथ, द्वारा माल ढुलाई के 80 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है। लगभग 26,200 किलोमीटर लंबे खंडों को आर्थिक गलियारे के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें से चरण -1 में 9,000 किलोमीटर पर काम किया जाएगा।

अंतर-गलियारा और फीडर मार्ग

लगभग 8,000 किलोमीटर अंतर-गलियारों और लगभग 7,500 किलोमीटर फीडर मार्गों को चिह्नित किया गया है जिनमें चरण-1 में 6,000 किलोमीटर पर काम किया जाएगा।

राष्ट्रीय गलियारा दक्षता सुधार

स्वर्ण-चतुर्भुज और उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम गलियारे भारत की 35 प्रतिशत माल ढुलाई करते हैं और उन्हें राष्ट्रीय गलियारा घोषित किये जाने का प्रस्ताव है। 6 राष्ट्रीय गलियारों में औसत यातायात 30,000 से अधिक पीसीयूज़ (पैसेंजर कार यूनिट) है। जैसी जरूरत हो, इन गलियारों की 6/8 लेनिंग की जाएगी। समय के साथ राष्ट्रीय गलियारों में चेक प्वाइंट्स बन गए हैं जो उनकी क्षमता को प्रभावित कर रहे हैं। इन गलियारों में भीड़ को कम करने के लिए रिंग रोड्स और बायपास व एलिवेटेड कॉरिडोर्स को बनाया जाना चाहिए। साथ ही सड़कों को विस्तार भी दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मोडल ट्रांसफर और माल ढुलाई को समूहबद्ध एवं अलग-अलग करने के लिए रणनीतिक स्थानों पर लॉजिस्टिक्स पार्कों को विकसित करने की भी योजना बनायी गयी है। चरण -1 में इस श्रेणी के अंतर्गत लगभग 5000 किलोमीटर पर काम किया जा रहा है।

सीमा और अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी सड़क

लगभग 3,300 किलोमीटर लंबी सीमा सड़कों को चिह्नित किया गया है जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर उनके रणनीतिक महत्व के कारण विकसित की जाएंगी। भारत के प्रमुख राजमार्ग गलियारे को अंतरराष्ट्रीय व्यापार बिंदुओं से जोड़ने के लिए लगभग 2,000 किलोमीटर लंबी सड़कों की जरूरत है ताकि पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ निर्यात-आयात को सुविधाजनक बनाया जा सके। चरण-1 में लगभग 2,000 किलोमीटर लंबी सड़कों पर काम किया जा रहा है।

लगभग 3,300 किलोमीटर लंबी सीमा सड़कों को चिह्नित किया गया है जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर उनके रणनीतिक महत्व के कारण विकसित की जाएंगी। भारत के प्रमुख राजमार्ग गलियारे को अंतरराष्ट्रीय व्यापार बिंदुओं से जोड़ने के लिए लगभग 2,000 किलोमीटर लंबी सड़कों की जरूरत है ताकि पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ निर्यात-आयात को सुविधाजनक बनाया जा सके।

तटीय और बंदरगाह कनेक्टिविटी सड़क

भारत के तटीय किनारों पर लगभग 2,100 किलोमीटर की तटीय सड़कों को चिह्नित किया गया है। इन सड़कों द्वारा तटीय क्षेत्रों में पर्यटन और औद्योगिक विकास के बढ़ने की संभावना है। गैर-प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए लगभग 2,000 किलोमीटर की बंदरगाह कनेक्टिविटी सड़कों को चिह्नित किया गया है ताकि निर्यात-आयात को सहज किया जा सके। चिह्नित सड़कों को नौवहन मंत्रालय के सागरमाला कार्यक्रम के साथ सहयोग दिया गया है। चरण -1 में इस श्रेणी में करीब 2,000 किलोमीटर लंबी सड़कों पर काम किया जा रहा है।

ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे

राष्ट्रीय और आर्थिक गलियारों के कुछ हिस्सों में ट्रैफिक 50,000 पीसीयू से अधिक है और कई चोक प्वाइंट्स भी बन गए हैं। इनके 1,900 किलोमीटर हिस्से को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के विकास के लिए चिह्नित किया गया है जिसके चरण-1 में लगभग 800 किलोमीटर पर काम किया जा रहा है।

भरतमाला चरण-1 - घटक और संभावित निवेश

भारतमाला चरण-1 में लगभग 24,800 किलोमीटर लंबी सड़कें विकसित करने की योजना है। इसके अतिरिक्त चरण-1 में एनएचडीपी के तहत लगभग 10,000 किलोमीटर का शेष सड़क निर्माण कार्य भी शामिल है। चरण-1 के लिए पांच वर्षों में 5,35,000 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमानित है।

24,800 किलोमीटर से अधिक की सड़कों को चिह्नित करने के मामले में पर्याप्त लचीलापन है क्योंकि जैसा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री इस कुल लंबाई के 15 प्रतिशत हिस्से को दूसरी उपयुक्त परियोजनाओं में शामिल करने के लिए अधिकृत हैं। अगर किसी स्थिति में भूमि अधिग्रहण या अन्य अनपेक्षित कारणों से कुछ निश्चित हिस्सों को विकसित न किया जा सके।

परियोजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन

इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषता है एकल परियोजना का प्रभावी मूल्यांकन व अनुमोदन करना। इससे चिह्नित परियोजनाओं को समय पर लागू करना आसान होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को परियोजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन करने का अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास भी किया जा रहा है कि मूल्यांकन व अनुमोदन की प्रक्रिया में गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए। सभी परियोजनाओं का मूल्यांकन कुशल प्रॉजेक्ट एप्रेजल एंड टेक्निकल स्क्रूटनी कमिटियों द्वारा तकनीकी और आर्थिक स्तर पर किया जाए। इन कमिटियों को गठन प्राधिकरण और मंत्रालय में किया जाए और इनमें नीति आयोग के विशेषज्ञ शामिल हों। ठेका देने की कार्रवाई में तेजी लाने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा परियोजना संबंधी गतिविधियों को पहले ही शुरू किया गया है। नीति आयोग के सीईओ को एनएचएआई बोर्ड (प्राधिकरण) में अंशकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

बड़ी चुनौती की व्यवस्था

बड़ी चुनौती के माध्यम से विकास प्रक्रिया में भाग लेने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करना इस कार्यक्रम की एक और विशेषता है। इसके अंतर्गत, परियोजनाओं, जिसमें संबंधित राज्य सरकारों को एक सक्रिय भूमिका निभानी होती है, विशेष रूप से परियोजना के लिए जमीन उपलब्ध कराने के मामले में, को कार्यान्वयन के लिए चिह्नित करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

संस्थागत क्षमता में वृद्धि

कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा उसकी कार्यान्वयन एजेंसियों की आंतरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए जागरूक प्रयास किये जा रहे हैं। "सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा उसकी कार्यान्वयन एजेंसियों का संगठन और प्रक्रियागत परिवर्तन" पर एक अध्ययन किया गया है और अध्ययन की कुछ सिफारिशें लागू की जा चुकी हैं जैसे भूमि अधिग्रहण से संबंधित सुधार, परियोजना डीपीआर की गुणवत्ता बढ़ाने से संबंधित सुधार, ऑनलाइन प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) और अन्य का विकास और कार्यान्वयन।

चरण 1 के अनुमोदित घटकों और परिव्यय का सारांश इस प्रकार है

घटक	लंबाई-कि.मी. में	परिव्यय-करोड़ रु. में
आर्थिक गलियारे का विकास	9,000	1,20,000
अंतर-गलियारा और फीडर मार्ग	6,000	80,000
राष्ट्रीय गलियारा दक्षता सुधार	5,000	100,000
सीमा और अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी सड़क	2,000	25,000
तटीय और बंदरगाह कनेक्टिविटी सड़क	2,000	20,000
एक्सप्रेसवे	800	40,000
कुल:	24,800	385,000
एनएचडीपी के तहत शेष सड़क कार्य	10,000	1,50,000
कुल		**5,35,000**

भारतमाला का प्रभाव

एक सुसंगत कॉरिडोर एप्रोच को अपनाते हुए पूरे देश में सड़कों पर यातायात की क्षमता में सुधार किया गया है। इस नेटवर्क से देश के विभिन्न जिलों में लगभग 80 प्रतिशत माल ढुलाई होने की संभावना है। इससे देश में वाहनों की औसत रफ्तार 20 से 25 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी।

आर्थिक गलियारों और संबंधित अंतर-गलियारे और फीडर मार्गों के विकास के परिणामस्वरूप सड़कों के ढांचे में सुधार होगा, बाईपास, रिंग रोड्स के माध्यम से भीड़भाड़ समाप्त होगी। कॉरिडोर में प्रवेश व निकासी आधारित टोलिंग के साथ नियंत्रित प्रवेश वाले एक्सप्रेसवे जैसी पहल से राजमार्गों की औसत रफ्तार में अधिक सुधार होगा। माल ढुलाई वाले वाहनों की औसत रफ्तार में सुधार करने से तीन मुख्य लाभ होंगे (क) वाहन उपयोग में सुधार होने से तेजी से ब्रेकइवन (जब लागत-आय समान होती है) होगा और माल ढुलाई की लागत प्रति टन प्रति किलोमीटर कम होगी, (ख) फालतू समय न लगने के कारण वाहनों की ईंधन क्षमता में सुधार होगा और माल ढुलाई की लागत कम होगी और (ग) तीव्र और विश्वसनीय माल पारगमन से माल ढुलाई के दौरान औसत इन्वेंटरी की खपत भी कम होगी। एक बार विकसित होने के बाद नेटवर्क की मदद से आपूर्ति श्रृंखला की लागत में कम होगी। यह लगभग 5-6 प्रतिशत कम हो जाएगी। देश के लॉजिस्टिक्स कुशलता सूचकांक (एलपीआई) पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

देश के 550 जिलों को एनएच लिंकेज से जोड़ा जा रहा है। वर्तमान में लगभग 300 जिलों में एनएच लिंक हैं।

राजमार्गों और संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास, संचालन और रखरखाव से निवेश और निर्माण गतिविधियों का रास्ता खुलेगा।

भारतमाला क चरण-1 में 24,800 किलोमीटर के कॉरिडोर नेटवर्क के उन्नयन से निर्माण के चरण में लगभग 34 करोड़ श्रम दिवस उत्पन्न होंगे और आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने के साथ लगभग 220 लाख स्थायी नौकरियों का सृजन होने की संभावना है। ❑

"सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा उसकी कार्यान्वयन एजेंसियों का संगठन और प्रक्रियागत परिवर्तन" पर एक अध्ययन किया गया है और अध्ययन की कुछ सिफारिशें लागू की जा चुकी हैं जैसे भूमि अधिग्रहण से संबंधित सुधार, परियोजना डीपीआर की गुणवत्ता बढ़ाने से संबंधित सुधार, ऑनलाइन प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) और अन्य का विकास और कार्यान्वयन।

LUKMAAN IAS

GS फाउण्डेशन

CSE 2018 - 19

बैच प्रारम्भ 29 जनवरी से, अवधि – 10 महीने

GS टेस्ट सीरीज 2018

प्रारम्भिक परीक्षा 06 जनवरी से

मुख्य परीक्षा 07 जनवरी से

मुख्य परीक्षा सीरीज
समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, भूगोल
बैच प्रारम्भ 06 जनवरी से

नीति शास्त्र टेस्ट सीरीज
नीति शास्त्र प्रश्नपत्र में 120 से अधिक अंक प्राप्त करने के अपने प्रयासों को साकार करें।

कुल टेस्ट 7 (मूल्यांकन और मॉडल उत्तर फेकल्टी द्वारा)

05 जनवरी से प्रारंभ

निबन्ध टेस्ट सीरीज
• 8 टेस्ट • मॉडल उत्तर • विस्तृत परिचर्चा
(05 जनवरी से प्रारम्भ)

समसामयिकी
बैच प्रारम्भ – 22 जनवरी
अवधि – 60 दिन

प्री. स्पेशल क्रैस कोर्स
15 जनवरी से प्रारंभ

वैकल्पिक विषय
• इतिहास • भूगोल • लोक प्रशासन
22 जनवरी से बैच प्रारम्भ
अवधि – 04 महीने

OLD RAJINDER NAGAR :-60/19, BEHIND ANDHRA BANK, DELHI-60
CONTACTS: 011-45696019, 8506099919 & 9654034293
MUKHERJEE NAGAR :- 871, FIRST FLOOR, MAIN ROAD,
CONTACTS: 011-41415591 & 7836816247

YH-651/2017

बैंकिंग सुधार से कृषि का उद्धार

सन्नी कुमार

बैंकिंग प्रणाली सांस्थानिक वित्तीय प्रवाह का सबसे महत्वपूर्ण चैनल है। वित्त के प्रवाह के किसी भी प्रकार के दुष्चक्र को तोड़ने में इसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। राहत की बात यह है कि वर्तमान सरकार एक तरफ जहां 2022 तक कृषकों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य लेकर चल रही है तथा इसके लिये तमाम योजनाएं चला रही है तो साथ ही बैंकों के पुनर्पूंजीकरण तथा बैंकों के विलय जैसे तमाम प्रयासों के माध्यम से बैंकिंग सुधार को प्रोत्साहन दे रही है

भारत एक 'कृषि प्रधान' देश है, यह जुमला सिर्फ इसलिये प्रचलित नहीं है कि भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आश्रित है, बल्कि सही अर्थों में यह उस पर्यावरणीय अनुकूलता को दर्शाता है जो भारतीय संदर्भ में कृषि को प्राप्त है।

भारत में जहां उष्णकटिबंधीय फसल गन्ना पर्याप्त मात्रा में उपजाया जाता है वहीं ठंडे प्रदेशों में होने वाले सेब जैसे फल भी बहुतायत में होते हैं। इसी प्रकार पहाड़ी भूमि पर की जाने वाली चाय की खेती में भारत वैश्विक स्थान रखता है तो गेहूं, धान जैसे समतल भूमि की फसलों के लिये भी अनुकूल दशा उपलब्ध है। इतना ही नहीं रबड़, कपास, जूट जैसे नकदी फसलों की जलवायु दशाएं भी मौजूद हैं। सबसे बढ़कर मानसूनी जलवायु के कारण कृषि की एक स्वाभाविक दशा निर्मित हो जाती है, साथ ही कृत्रिम सिंचाई साधनों की उपयोगिता काफी हद तक सीमित हो जाती है। नदियों का उर्वर मैदान एक विस्तृत उपजाऊ कृषि क्षेत्र का निर्माण करता है तो काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पीट मृदा जैसी मिट्टियों की उपस्थिति फसल उत्पादन को व्यापक विविधता प्रदान करती हैं। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल का बड़ा हिस्सा कृषि योग्य है जबकि चीन जैसे देशों का लगभग 90 प्रतिशत भू-भाग कृषि योग्य है ही नहीं। कुल मिलाकर कहें तो भारत प्राकृतिक रूप से एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र के रूप में उभरता है जहां कृषि के फलने-फूलने की संभावना किसी भी अन्य भौगोलिक इकाई से कहीं अधिक है। लेकिन अगर इस संभावना के बरक्स यथार्थ के धरातल पर देखें तो भारतीय कृषि 'घाटे का सौदा' साबित हो रही है।

भारत में जहां औसत गेहूं उत्पादन 27 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, वहीं फ्रांस में यह 71.2 तथा ब्रिटेन में 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसी प्रकार भारत में जहां एक कृषक श्रमिक की औसत वार्षिक उत्पादकता मात्र 162 डॉलर है वहीं नार्वे में यह 973 डॉलर जबकि यूएसए में यह 2408 डॉलर है। एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि भारत के कुल जोत भूमि के लगभग 75 प्रतिशत पर खाद्य फसलें उपजायी जाती हैं जबकि मात्र 25 प्रतिशत भूमि पर ही वाणिज्यिक फसलें उगायी जाती हैं। कुल भारतीय जनसंख्या के आधे से अधिक लोग कृषि से जुड़े हैं किंतु जीडीपी में इसका योगदान 15 प्रतिशत से भी कम है। सवाल यह है कि प्राकृतिक रूप से इतनी अनुकूलता के बावजूद भारतीय कृषि की दशा इतनी दयनीय क्यों है?

इसके तमाम कारण गिनाए जा सकते हैं, मसलन-एक विशाल जनसंख्या का होना, औपनिवेशिक शासन में कृषि का उपेक्षित होना, उन्नत प्रौद्योगिकी का अभाव, सिंचाई-उर्वरक जैसी मूलभूत कृषि आवश्यकताओं की कमी इत्यादि। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण वजह है भारतीय कृषि में 'पूंजी का अभाव'। हम आज पूंजी प्रधान युग में जी रहे हैं और जिस पेशे में पूंजी का प्रवाह सुचारू नहीं है उसका घाटे का सौदा होना तय है। कृषि भी इस नियम का अपवाद नहीं है। बहुत सीधी सी बात है कि कृषि का विकास जिन आधारभूत तत्वों- उन्नत बीज, विकसित प्रौद्योगिकी, सिंचाई के साधनों की उपलब्धता, उर्वरक इत्यादि पर निर्भर है वो सब पूंजी के बिना

बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी से स्नातक, सम्प्रति 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' के संपादक मंडल में शामिल। स्वतंत्र लेखक के रूप में विभिन्न अखबारों, पत्रिकाओं तथा ऑनलाइन वेबसाइट्स में नियमित रूप से लेखों का प्रकाशन। ईमेल: sunnyand65@gmail.com

बैंकिंग जैसी सांस्थानिक व्यवस्था की बजाय स्थानीय साहूकार कृषकों तक वित्त उपलब्ध करा रहे हैं। एक तो यह अधिक महंगा है दूसरे इससे निर्वाहमूलक कृषि तक के लिये ही कर्ज मिल सकता है। इस प्रकार पूंजी प्रवाह का जो दुष्चक्र निर्मित होता है उससे कृषि की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। ऐसे में व्यापक बैंकिंग सुधार के माध्यम से ही कृषि में सुधार किया जा सकता है।

संभव नहीं है। पूंजी के अभाव में भारत का अधिकांश कृषि निर्वाहमूलक है क्योंकि उच्च लागत वाली और उच्च जोखिम किंतु उच्च प्रतिदान वाली नकदी फसलों के उत्पादन के लिये पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं है।

अव्वल तो यह कि जो पूंजी भारतीय कृषि तक पहुंच रही है उसका एक बड़ा हिस्सा गैर-सांस्थानिक निवेश है। अर्थात बैंकिंग जैसी सांस्थानिक व्यवस्था की बजाय स्थानीय साहूकार कृषकों तक वित्त उपलब्ध करा रहे हैं। एक तो यह अधिक महंगा है दूसरे इससे निर्वाहमूलक कृषि तक के लिये ही कर्ज मिल सकता है। इस प्रकार पूंजी प्रवाह का जो दुष्चक्र निर्मित होता है उससे कृषि की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। ऐसे में व्यापक बैंकिंग सुधार के माध्यम से ही कृषि में सुधार किया जा सकता है।

बैंकिंग प्रणाली सांस्थानिक वित्तीय प्रवाह का सबसे महत्वपूर्ण चैनल है। वित्त के प्रवाह के किसी भी प्रकार के दुष्चक्र को तोड़ने में इसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। राहत की बात यह है कि वर्तमान सरकार एक तरफ जहां 2022 तक कृषकों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य लेकर चल रही है तथा इसके लिये तमाम योजनाएं चला रही है तो साथ ही बैंकों के पुनर्पूंजीकरण तथा बैंकों के विलय जैसे तमाम प्रयासों के माध्यम से बैंकिंग सुधार को प्रोत्साहन दे रही है। सुधार एक विस्तृत अर्थवत्ता वाला शब्द है जिसका सिरा उस संदर्भ तक जाता है जहां अधिकतम लोगों का लाभ निहित है। ऐसे में बैंकिंग सुधार सही रूप में तभी स्थापित हो सकता है जब इसके मूल में कृषि सुधार हो। कृषि को लाभकारी बनाए बिना बैंकिंग सुधार दीर्घकालिक व स्थायी नहीं रह सकता क्योंकि सिर्फ विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों की उन्नति से समावेशी विकास संभव नहीं है।

बैंकिंग और कृषि क्षेत्र के संबंध का इतिहास

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार क्षेत्र है। स्वतंत्रता के बाद की भारत की जो तस्वीर थी उसमें शहरीकरण और औद्योगिक गतिविधियों की दर निम्न थी। ग्रामीण क्षेत्र प्रधान देश में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र की गतिविधियां ही अर्थव्यवस्था के केंद्र में थीं। साठ के दशक में ग्रामीण अंचल में ऋण या साख की उपलब्धता का सर्वेक्षण किया गया इसे 'ग्रामीण साख सर्वेक्षण' कहा गया। सर्वेक्षण की 1964 में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में संगठित क्षेत्रों की कमी थी जिस कारण महाजनों द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर निर्भरता थी जिसकी ब्याज दर ऊंची थी। इसलिए यहां निवेश का स्तर कम था निवेश कम रहने के कारण संवृद्धि दर प्रभावित होकर कम रह जाती थी। इसी सर्वेक्षण के आधार पर 1967 में रिजर्व बैंक के गवर्नर 'एलके झा' ने 'सामाजिक बैंकिंग' अपनाने की अवधारणा का सुझाव दिया। अर्थात किसी बैंक का इस प्रकार से प्रबंधन कि इस के कारोबारी हित एवं व्यापक सामाजिक हित के उद्देश्य में समन्वय स्थापित हो।

राष्ट्रीयकरण से पूर्व कृषि सहित अर्थव्यवस्था के कोर क्षेत्र में संस्थागत ऋण उपलब्धता बहुत कम थी। उस अवधि में औद्योगिक क्षेत्र जो कि राष्ट्रीय उत्पादन में केवल 15 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता था, को बैंकों का दो तिहाई ऋण प्राप्त होता था जबकि कृषि जिसकी राष्ट्रीय उत्पादन में आधी हिस्सेदारी थी को बैंकों द्वारा लगभग नजरअंदाज किया जाता था। इन कमियों को ध्यान में रखते हुए फरवरी 1968 में सरकार ने सामाजिक बैंकिंग की अवधारणा अपनायी। 1969 में 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया एवं अर्ध शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में बैंकों की शाखा प्रसार की प्रक्रिया शुरू की गयी। 1970 में राष्ट्रीयकृत किये गये बैंकों को यह निर्देश दिया गया कि वे ऋण योग्य निधि का एक निश्चित प्रतिशत अंश उत्पादन के उन क्षेत्रों, उन भौगोलिक अंचलों एवं समाज के उन समूहों को आवंटित करें जिन्हें सरकार ने 'प्राथमिकता क्षेत्र' के रूप में मान्यता दी। कृषि को मुख्य रूप से चिह्नित किया गया था। इसी कार्यक्रम को 'प्राथमिकता क्षेत्र ऋण' कार्यक्रम कहा जाता है।

1980 के दशक में बैंकों के सम्मुख अलग तरह के संकट आये। बैंक कम लाभ अर्जन, निम्न पूंजी दर और अपारदर्शिता के संकट से ग्रस्त थे। 1991 में जब देश में आर्थिक सुधारों का दौर आरंभ हुआ तो वित्तीय क्षेत्र खासकर बैंकिंग व्यवस्था में व्यापक स्तर पर सुधार हेतु *नरसिम्हम समिति* का गठन किया गया। इस समिति ने वित्तीय क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक दक्षता लाने, वित्तीय क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप कम करके स्वायत्तता लाने और ब्याज दरों का नियमन समाप्त करने जैसे कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस समिति के सुझावों के आधार पर बैंकिंग व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किया गया। बैंकों को अधिक स्वायत्तता दी गयी, सरकारी हस्तक्षेप कम किया गया और व्यवस्था को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया।

बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों की शुरुआत के बाद, वर्ष 1996 में भारत सरकार ने एक नयी 'कृषि विकास रणनीति' अपनाई और इसे लागू करने की मंशा से कृषि साख पर 'आरवी गुप्ता समिति' का गठन किया, जिसे आरवी गुप्ता कमेटी ऑन फार्म क्रेडिट नाम दिया गया। इस समिति ने 1997 में एक प्रतिवेदन पेश किया और सिफारिश की कि कृषि ऋण के प्रवाह में वृद्धि हेतु एक नये प्रकार के कार्यक्रम शुरू किये जाएं। इसे ध्यान में रखते हुए 'किसान क्रेडिट कार्ड' (केसीसी) बनाया गया। इसे 1998 में लागू कर दिया गया। इस

1991 में जब देश में आर्थिक सुधारों का दौर आरंभ हुआ तो वित्तीय क्षेत्र खासकर बैंकिंग व्यवस्था में व्यापक स्तर पर सुधार हेतु नरसिम्हम समिति का गठन किया गया। इस समिति ने वित्तीय क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक दक्षता लाने, वित्तीय क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप कम करके स्वायत्तता लाने और ब्याज दरों का नियमन समाप्त करने जैसे कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस समिति के सुझावों के आधार पर बैंकिंग व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किया गया।

बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों की शुरुआत के बाद, सन 1996 में भारत सरकार ने एक नई 'कृषि विकास रणनीति' अपनाई और इसे लागू करने की मंशा से कृषि साख पर 'आर वी गुप्ता समिति' का गठन किया, जिसे आर वी गुप्ता कमेटी ऑन फार्म क्रेडिट नाम दिया गया। इस समिति ने 1997 में एक प्रतिवेदन पेश किया और सिफारिश की कि कृषि ऋण के प्रवाह में वृद्धि हेतु एक नए प्रकार के कार्यक्रम शुरू किये जाएं।

कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में तीन संस्थाओं, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक को शामिल किया गया। इस योजना का उद्देश्य है कि किसानों को कृषि कार्यों हेतु आधुनिक तकनीकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, खाद्य उत्पादन हेतु प्रोत्साहित किया जाए और आपदा वाले समय में भी एक निश्चित कृषि आय सुनिश्चित की जाए।

केसीसी कार्ड किसानों को उनकी भूमि जोत के आधार पर जारी किये जाते हैं, जिस कारण सीमा का निर्धारण बैंकों के विवेकाधीन है सामान्यत: कार्ड तीन वर्ष के लिए जारी किये जाते हैं और कार्ड से निकाली गयी धनराशि का भुगतान एक वर्ष में करना होता है। यदि कृषक धन राशि का भुगतान एक वर्ष के अंदर कर देते हैं तो सरकार उन्हें ब्याज सब्सिडी भी प्रदान करती है।

भू-धारिता के आधार पर नाबार्ड ने 40 प्रतिशत किसानों को इसका पात्र पाया। इस योजना से फायदा हुआ कि कृषि में निवेश बढ़ गया जिससे कृषि क्षेत्र में समृद्धि भी बढ़ी। हालांकि समृद्धि गैर समावेशी रही है। जुलाई 2004 में एक नयी कृषि साख नीति की घोषणा की गयी और लक्ष्य रखा गया कि अगले तीन वर्षों में कृषि साख की मात्रा को कम से कम दोगुना कर दिया जाएगा। फिर भी वर्ष 2006 की मध्यावधि समीक्षा में ऐसा पाया गया कि कृषि ऋण में वृद्धि के लाभ से कई प्रकार के किसान वंचित रह गये। दरअसल, भूमि के स्वामित्व प्रमाण पत्र का अनुमोदन होता था लेकिन हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि ज्यादातर भूमि पुरुषों के नाम से पंजीकृत है। इसलिए केसीसी के लाभ से महिला किसान वंचित रह गयी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कब्जा के आधार पर महिलाओं को भी कार्ड उपलब्ध कराने का प्रयास किया और आरबीआई ने 2006 में निर्देश दिया स्वामित्व के बजाए स्वामित्व कब्जे के आधार पर कर्ज का अनुमोदन किया जाए। इस प्रकार केसीसी का सामाजिक आधार व्यापक हुआ कृषि में निवेश बढ़ा और समग्र उत्पादन में वृद्धि हुई जिसे समावेशी प्रकार का विकास कहा जा सकता है। हालांकि ऐसा देखा गया कि कुछ ग्रामीण किसान खास तौर पर जो सूखा प्रभावित अंचलों में निवास करते हैं वक्त पर कर्ज नहीं चुका पाते जिससे बैंकों का बकाया बढ़ रहा है। इसको ध्यान में रखकर सरकार ने 2008 में कृषि ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम शुरू किया जिससे ऋण माफी कार्यक्रम भी कहते हैं। किसानों के लिए यह कार्यक्रम बेहद लाभकारी साबित हुआ लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा इस कार्यक्रम की यह आलोचना भी हुई कि इससे सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ेगा।

मौजूदा सरकार भी केसीसी कार्यक्रम को और व्यापक एवं सर्वसुलभ बनाने हेतु प्रयासरत है। साथ ही सरकार यह प्रयास भी कर रही है कि कृषकों को मिलने वाले विभिन्न तरह के सरकारी लाभों को बैंक खातों के माध्यम से कृषकों को सीधा पहुंचाया जाए। इसी उद्देश्य के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना पर सरकार का फोकस ज्यादा है।

वर्तमान समय में बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दिए जा रहे कर्ज की बात करें तो उन्हें प्राथमिकता क्षेत्र ऋण दान कार्यक्रम को ध्यान में रखकर करना होगा। फिलहाल देसी बैंकों के लिए ऋण योग्य निधि का 40 प्रतिशत एवं विदेशी बैंकों के लिए ऋण योग्य निधि का 32 प्रतिशत (20 प्रतिशत से अधिक शाखा होने पर 40 प्रतिशत) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को देना अनिवार्य है। साथ ही ब्याज की अधिकतम सीमा 11 प्रतिशत तय कर दी गई है।

प्राथमिकता क्षेत्र को प्राप्त कुल 40 प्रतिशत ऋण के 18 प्रतिशत भाग को कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण हेतु आवंटित करना सरकार ने बैंकों के लिए अनिवार्य कर दिया है। साथ ही वर्ष 2017-18 के बजट में कृषि ऋण हेतु 10 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर निर्धारित किया गया है। बजट के द्वारा नाबार्ड में एक समिति सूक्ष्म सिंचाई कोश भी स्थापित करने की घोषणा की गयी जिसकी आरंभिक निधि 5000 करोड़ होगी इस सुनिश्चित करने हेतु 2000 की निधि से नाबार्ड में दुग्ध प्रसंस्करण एवं अवसंरचना निधि स्थापित की जाएगी।

बैंकिंग सुधार की जरूरत

इन उपायों के बावजूद कुछ अंतर्निहित कमियां हैं जिससे कृषि क्षेत्र बैंकिंग व्यवस्था से समग्रता से नहीं जुड़ पाया है।

पहली समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं का सीमित विस्तार। आरबीआई द्वारा वित्तीय समावेशन पर गठित की गई 'नचिकेत मोर समिति' ने अपने सिफारिशों में कहा था कि देश के हर वयस्क आदमी के निकट में बैंक शाखा होना चाहिए जिससे वह अपनी आवश्यकता के सभी बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त कर सके। साथ ही समिति ने सिफारिश की थी कि देश के किसी भी कोने में खाता धारक को बैंकिंग सुविधा तक पहुंचने के लिए 15 मिनट से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। नए बैंकों को लाइसेंस आवंटित करने पर गठित 'विमल जालान समिति' ने इसी को ध्यान में रखते हुए नए बैंकों को लाइसेंस देने में 25 प्रतिशत शाखाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाने का अधिकारी उपाय आया है। बैंकिंग सुधार को अनिवार्यत: इस पक्ष को शामिल करना होगा।

दूसरा, ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें यह देखा गया है कि बैंक अधिकारियों द्वारा कृषि ऋण अनुमोदन के बदले कमीशन

1996 में भारत सरकार ने एक नयी 'कृषि विकास रणनीति' अपनाई और इसे लागू करने की मंशा से कृषि साख पर 'आरवी गुप्ता समिति' का गठन किया, जिसे आरवी गुप्ता कमेटी ऑन फार्म क्रेडिट नाम दिया गया। इस समिति ने 1997 में एक प्रतिवेदन पेश किया और सिफारिश की कि कृषि ऋण के प्रवाह में वृद्धि हेतु एक नये प्रकार के कार्यक्रम शुरू किये जाएं। इसे ध्यान में रखते हुए 'किसान क्रेडिट कार्ड' (केसीसी) बनाया गया। इसे 1998 में लागू कर दिया गया।

मांगा जाता है। इस भ्रष्टाचार को दूर करना होगा। इस भ्रष्टाचार के कारण सब्सिडी युक्त ऋण भी बाजार दर के ऋण के बराबर ही हो जाता है। इससे किसानों को प्रभावी लाभ नहीं मिल पाता है।

तीसरा, बैंक आरबीआई द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कार्यक्रम के तहत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में हीलाहवाली कर रहे हैं। बैंक ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कृषकों के संबंध में एक नकारात्मक अवधारणा का विकास कर दिया गया है कि वह कृषि ऋण का निवेश विवेकपूर्ण तरीके से नहीं करते। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा चुनावों के समय किसानों के लिए ऋण माफी की घोषणा अवधारणा को और भी पुष्ट कर देता है। ऐसे में सबसे पहले यह जरूरत है कि कृषि ऋण वितरण की प्रक्रिया पूर्ण रूप से पारदर्शी बनायी जाए। इस संबंध में बैंकिंग लोकपाल की प्रक्रिया को सरल एवं स्पष्ट बनाये जाने पर विशेष बल दिया जाए। साथ ही शिकायत निवारण प्रणाली को त्वरित प्रतिक्रिया देने वाली और प्रभावपूर्ण बनाया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि सस्ते कृषि ऋण का उपयोग कृषि कार्य में ही हो अन्यत्र नहीं।

कृषि को लाभकारी बनाने के लिए जिस कॉरपोरेट फार्मिंग की बात की जा रही है उसका सीधा सा अर्थ कृषि में निवेश करने का है। यदि बैंक सीधे किसानों तक वित्त की पहुंच सुनिश्चित कर दे तो सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। बैंकिंग सुधार में इस पक्ष का अनिवार्य समावेशन होना चाहिए। अभी तक पूंजी के अभाव में अधिकांशत: निर्वाहमूलक कृषि की जाती है जिससे लाभ नहीं होता। पूंजी प्रवाह के वृद्धि से नकदी फसलों की खेती को बढ़ावा मिलेगा जो लाभदायी होगा।

चौथा, कृषि को लाभकारी बनाने के लिए जिस कॉरपोरेट फार्मिंग की बात की जा रही है उसका सीधा सा अर्थ कृषि में निवेश करने का है। यदि बैंक सीधे किसानों तक वित्त की पहुंच सुनिश्चित कर दे तो सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। बैंकिंग सुधार में इस पक्ष का अनिवार्य समावेशन होना चाहिए। अभी तक पूंजी के अभाव में अधिकांशत: निर्वाहमूलक कृषि की जाती है जिससे लाभ नहीं होता। पूंजी प्रवाह के वृद्धि से नकदी फसलों की खेती को बढ़ावा मिलेगा जो लाभदायी होगा।

पांचवां और अंत में यह कि कृषि से संबंधित शब्दावली और पूर्वाग्रही धारणा को बदलना होगा। उदाहरण के लिए उद्योग जगत की ऋण पूर्ति को 'बेल आउट पैकेज' और कृषि क्षेत्र में इसी प्रक्रिया को 'कर्ज माफी' कहा जाता है। इसका पहला अर्थ यह निकलता है कृषि अनिवार्यत: नुकसान का पेशा है। यह गलत है। बैंकिंग सुधार के माध्यम से इस धारणा को बदला जाना चाहिए। यह बात ठीक है कि घाटे में चल रही खेती के लिए कर्ज माफी की जानी चाहिए। किंतु इसे एक निवेश के रूप में देखा जाए न कि खर्च के रूप में। कृषि सुधार के बिना कोई भी बैंकिंग सुधार स्थायी नहीं हो सकता। इसलिए बैंकिंग सुधार में कृषि का स्थान सर्वप्रमुख होना चाहिए। ❑

YH-739/2017

उद्देश्यपरक बैंकिंग अवधारणा और विकास

गौरव कुमार

बैंकों को अपने उत्पादों और सेवाओं को ग्राहकों के अनुरूप बदलने की जरूरत है। ग्राहकों का समूह अब ऐसे उत्पादों से संतुष्ट नहीं होता जो बैंक दे रहे हैं बल्कि उन्हें उनकी प्रत्येक आवश्यकता के अनुसार विशिष्ट उत्पाद चाहिए। लोगों की प्रोफाइल बदल रही हैं, सामाजिक आदतें परिवर्तित हो रही हैं और भावी पीढी के ग्राहकों की जरूरतें भी भिन्न होती जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बैंकों को वृद्ध आबादी का भी ध्यान रखने की जरूरत आई है। अगले 15 वर्षों में लगभग 70 मिलियन लोग और 60 वर्ष की आयु पार कर लेंगे। ऐसी स्थिति में वृद्ध लोगों की बैंकिंग जरूरतें भिन्न होंती जायेंगी जिन्हें उपयुक्त डिलीवरी चैनलों के माध्यम से दिया जाना होगा। इसी प्रकार आने वाले वर्षों में शहरीकरण की गति भी बहुत तीव्र हो जायेगी और बैंकों को इस प्रकार से प्रवासी आबादी की जरूरतों के लिए तैयार रहना होगा

भारत सहित विश्व के तमाम देशों में आज बैंकिंग की अवधारणा में बड़ी तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। भारत के संबंध में ही यदि देखा जाय तो यहां बैंकिंग का इतिहास बड़ा लंबा और रोचक रहा है। भारत में बैंकिंग को हमेशा एक व्यवहारिक नजरिए से देखा जाता रहा है। देश में ऐसी कई नीतियां और कानून बने जिसने लक्ष्य आधारित बैंकिंग को प्रोत्साहित किया। सिडबी, आईडीबीआई, एचडीएफसी, नाबार्ड, ग्रामीण बैंक, महिला बैंक आदि तमाम ऐसे बैंको के उदाहरण हैं जिनकी स्थापना कुछ सीमित उद्देश्यों और लक्षित समूहों को ध्यान में रख कर किया गया था। किन्तु आज ये सभी बैंक अपने आरंभिक स्वरूप से बिलकुल भिन्न नजर आते हैं। ऐसी स्थिति में सतही तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय बैंकिंग भटकाव की ओर तो नही है?

इसे समझने के लिए हमें बैंकिंग क्षेत्र में आ रहे लगातार बदलाव को समझना होगा। एक ऐसे देश में जो 7 प्रतिशत की विकास दर से बढ़ रहा है, जिसमें उद्यमिता की भावना हो, जिसकी आबादी युवा हो और जो मोबाइल प्रौद्योगिकी के साथ पली-बढ़ी हो, उस देश के बारे में कोई भी यह नजरिया रखेगा कि वहां का बैंकिंग क्षेत्र अत्यधिक तीव्रगामी है, साथ ही अत्यधिक बदलावकारी भी है।

बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव

इन बदलाओं के नजरिए से देखा जाय तो वास्तव में बैंकिंग की परिभाषा ही आज बदल चुकी है। समय और स्थान सापेक्ष तरीके से आज बैंकिंग प्रक्रिया में निरंतर बदलाव आ रहे हैं। वैश्विक स्तर पर बैंकिंग की शुरुआत की स्थिति को देखा जाय तो जिस समय से मुद्रा की संकल्पना को समझा जाने लगा था उसी समय से उधार देना और लेना शुरू हुआ। लेकिन बैंकिंग की अवधारणा उस समय नहीं थी। संगठित रूप से उधार लेनदेन का कार्य करीब 700 वर्ष पहले प्रारम्भ हुआ था जब आधुनिक प्रकार के नए बैंकों की स्थापना हुई थी। यहीं से बैंकिंग की नींव पड़ी। बैंकिंग की परिभाषा को यदि बैंककारी विनियमन अधिनियम के अनुसार देखें तो बैंकिंग वह गतिविधि है जिसे बैंक अंजाम देता है अथवा बैंक वे कहलाते हैं जो बैंकिंग का कार्य करते हैं। किन्तु आज बैंकिंग वह नहीं रहा जो बैंक कर रहे हैं। अब वे गतिविधियां भी बैंकिंग की परिभाषा में शामिल हैं जो गैर बैंक भी कर रहे हैं। बैंक अब वे संस्थाएं नहीं रहे जो विशेष रूप से बैंकिंग का कार्य कर रहे थे। अब अन्य गैर बैंक भी बैंकिंग का कार्य कर रहे हैं। आज बैंकिंग के मानदंड बादल गए हैं। अब नया मानदंड है ढेर सारी बैंकिंग गतिविधियां करना और इन ढेर सारी गतिविधियों में से प्रत्येक समूह की गतिविधि को करने के लिए कुछ ख़ास प्रकार की संस्थाएं भी हैं जो केवल उन्हीं गतिविधियों का निष्पादन करती हैं।

उद्देश्यपरक बैंकिंग व्यवस्था से भटकाव

भारत में सुधार काल में और उसके पूर्व भी बैंकिंग व्यवस्था की उस समय सबसे बेहतर व्यवस्था के तौर पर बैंकिंग को उद्देश्यपरक बनाने की कोशिश की गई।

लेखक नीतिगत मामलों की एक प्रतिष्ठित शोध संस्था से जुड़े हैं। सामाजिक-आर्थिक विषयों पर विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में नियमित लेखन। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से 2010 में यंग स्कॉलर अवार्ड से सम्मानित। ईमेल: gauravkumarsssi@gmail.com

इस दौरान विभिन्न अध्ययन समूहों, समितियों और विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि बैंकिंग क्षेत्र में क्रान्ति का दौर है और इसके अनुकूल व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। इसी का नतीजा है कि सरकारी और निजी क्षेत्रों में बैंकिंग को अधिक ग्राहक और लक्ष्य केन्द्रित बनाया गया। इस क्रम में कई सारे बैंक स्थापित भी किये गए। किन्तु कालान्तर में बैंकिंग की बदलती परिभाषा और बैंकिंग संव्यवहार ने इन बैंकों को अपने उद्देश्य से अधिक दायरे में विस्तृत किया है। ऐसे कुछ उदाहरण आज हमारे सामने मौजूद हैं।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई)

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) की स्थापना भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के तहत एक वित्तीय संस्था के रूप में हुई थी। 22 जून 1964 को जारी भारत सरकार की एक अधिसूचना के द्वारा 01 जुलाई, 1964 से यह अस्तित्व में आया। इसे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4 ए के प्रावधानों के अंतर्गत एक सार्वजनिक वित्तीय संस्था का दर्ज़ा दिया गया। अगले चालीस वर्षों तक यानि वर्ष 2004 तक इसने एक वित्तीय संस्था के रूप में कार्य किया। केंद्र सरकार द्वारा औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की जगह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (उपक्रम का अंतरण व निरसन) अधिनियम, 2003 (निरसन अधिनियम) पारित किया गया। इसके परिणामस्वरूप 01 अक्तूबर 2004 से आईडीबीआई का उपक्रम आईडीबीआई लि. में अंतरित व निहित हुआ और एक वित्तीय संस्था की अपनी पूर्ववर्ती भूमिका के अतिरिक्त यह बैंक के रूप में भी कार्यशील हुआ।

आज आईडीबीआई बैंक एक यूनिवर्सल बैंक है जो कोर बैंकिंग सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हुये विभिन्न शाखाओं और एटीएमों के नेटवर्क के जरिए रिटेल और कॉरपोरेट खंड के ग्राहकों को व्यक्तिगत बैंकिंग सेवाएं तथा वित्तीय समाधान प्रदान कर रहा है। आज बैंक के तुलन पत्र का कुल आकार 3,74,372 करोड़ रुपये और कुल कारोबार 4,81,613करोड़ रुपये है।

हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचडीएफसी)

एचडीएफसी बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के उदारीकरण की नीति के एक भाग के रूप में 1994 में सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्राप्त करने वाला पहला निजी बैंक था। इसकी स्थापना अगस्त 1994 में की गयी थी तथा जनवरी 1995 से इसने एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में कार्य शुरू किया। आज यह भारत की प्रमुख आवास वित्त कंपनी के रूप में ज्ञात है। वर्तमान में इसका मुख्य फोकस भारत में विश्वस्तरीय बैंक के रूप में स्थापित होना है। अपने आरंभिक दौर में इसने आवास ऋण को फोकस किया था, इसमें इसकी विशेषज्ञता भी थी। बाद में इसने खुदरा और थोक दोनों तरह के ग्राहकों को अपना लक्षित समूह बनाया है और आज यह रिटेल बैंकिंग में तीव्रता से अपना पांव जमा रहा है। इसके साथ ही खुदरा और थोक लेनदेन सहित वाणिज्यिक और निवेश बैंकिंग में भी अपना कारोबार विस्तृत किया है। मुख्य रूप से यह बैंक अपना लक्ष्य थोक बैंकिंग, ट्रेजरी और खुदरा बैंकिंग तक केन्द्रित किया है। बैंक ने थोक ग्राहकों के रूप में भारतीय कॉरपोरेट क्षेत्र में बड़ी कंपनियों, विनिर्माण कम्पनियों सहित छोटे, मझोले उद्यमों और कृषि को चिह्नित कर रखा है। सामान्य बैंकिंग के अनुरूप इसने विदेशी मुद्रा और संजात, स्थानीय मुद्रा, मुद्रा बाजार, ऋण सिक्यूरिटी, इक्विटी में भी इसका कदम रखा जा चुका है।

इस प्रकार से देखा जाय तो आज ये सभी बैंक अपने स्थापना काल के उद्देश्यों, मान्यताओं और संव्यवहारों की प्रकृति से काफी विस्तार पा चुके हैं। आज इनका दायरा सीमित नहीं रहा और ये अपने ग्राहकों के साथ-साथ अपने क्षेत्रों में भी अधिक आधुनिक तरीके और विधियों से लगातार जुड़ते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? आज यह एक विचारणीय पहलू है कि क्या उन्हें उनके पूर्ववर्ती उद्देश्यों तक सीमित किया जाना चाहिए या बाजार बलों के ताकतों तथा प्रकृति के भरोसे छोड़ देना चाहिए? सबसे अधिक तर्कसंगत तो यह है कि चूंकि सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था का नियंत्रक बाजार की शक्तियां होती हैं। ऐसे में यदि हम इसमें किसी तरह का अवरोध या सीमित उपायों का सहारा लेते हैं तो इसकी प्राकृतिक प्रवृति विकृत होगी जो दीर्घकाल के लिए एक चुनौती बन सकती है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में संस्थागत ऋण प्रवाह के उद्देश्य से नाबार्ड का गठन किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक समिति (क्रैफिकार्ड) गठित की। श्री बी. शिवरामन, पूर्व सदस्य, योजना आयोग, भारत सरकार की अध्यक्षता में 30 मार्च 1979 को समिति का गठन किया गया। 28 नवंबर1979 को समिति ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें ग्रामीण विकास से जुड़े ऋण से संबन्धित मुद्दों पर एकनिष्ठ ध्यान केन्द्रित करने और उन्हें सशक्त दिशा देने के लिए एक नए संगठनात्मक साधन की आवश्यकता रेखांकित की गई। समिति ने एक ऐसे अलग तरह से विकास वित्तीय संस्था के गठन की अनुशंसा की जो इन आकांक्षाओं की पूर्ति करे। संसद ने 1981 के अधिनियम 61 के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के गठन का अनुमोदन किया।

इसका उद्देश्य वित्तीय, विकासात्मक तथा पर्यवेक्षण के माध्यम से एक सशक्त और आर्थिक रूप से समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण करना है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लगभग हर पहलू को स्पर्श करता है। ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पुनर्वित्त सहायता से लेकर, जिला स्तर पर ऋण योजना तैयार करने से लेकर इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में बैंकिंग उद्योग का मार्गदर्शन और उन्हें प्रेरित करना, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के पर्यवेक्षण से लेकर उनमें स्वस्थ बैंकिंग प्रथाओं को विकसित करने में मदद करने और उन्हें सीबीएस प्लेटफॉर्म पर ले जाने तक, नई विकास योजनाओं को डिजाइन करने से लेकर भारत सरकार

की विकास योजनाओं का कार्यान्वयन, हस्तशिल्प कारीगरों को प्रशिक्षण देने से लेकर उनकी बिक्री हेतु एक मंच प्रदान करने जैसी सेवाएं देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े लोगों को प्रदान करते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से आज खुदरा बैंकिंग का क्षेत्र ग्रामीण भारत की तस्वीर को बदलने की दिशा में कारगर तरीके से कार्यशील है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की स्थापना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास तथा इसी प्रकार की गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं के कामकाज में समन्वय के लिए 02 अप्रैल, 1990 को संसद के एक अधिनियम के अंर्तगत प्रधान वित्तीय संस्था के रूप में की गई थी। इसके कारोबार का दायरा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम हैं। इस क्षेत्र में लगभग 5.1 करोड़ इकाइयों का विशाल नेटवर्क है, जो 11.7 करोड़ से अधिक लोगों के लिए रोज़गार पैदा करते हैं, 6,000 से ज्यादा उत्पाद बनाते हैं। विनिर्माण उत्पादों में उनका योगदान लगभग 45 प्रतिशत, मूल्य के हिसाब से निर्यात में 40 प्रतिशत तथा राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 37.5 प्रतिशत है।

एमएसएमई क्षेत्र के विकास हेतु, सिडबी "क्रेडिट प्लस" दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें सिडबी अपनी संवर्धनशील एवं विकासपरक सहायता के तहत एमएसएमई को ऋण के साथ-साथ, एमएसएमई परामर्श, उद्यमिता विकास, कौशल उन्नयन, विपणन सहायता, उद्यम-समूहों का विकास, आदि सहायता देता है। ऐसे संवर्धनशील एवं विकास सहयोगों से एमएसएमई क्षेत्र के 2.3 लाख से अधिक व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं, 1.5 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं और 80,000 से अधिक ईकाइयों की स्थापना में मदद मिली है, जिनमें से अधिकतर ग्रामीण उद्यम हैं।

मुद्रा बैंक

बैंकिंग क्षेत्र में एक और क्रांतिकारी कदम उठाते हुए मुद्रा यानि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनैन्स एजेंसी लि. यानि मुद्रा का गठन किया गया। यह सूक्ष्म इकाइयों के विकास तथा पुनर्वित्तपोषण से संबंधित गतिविधियों हेतु भारत सरकार द्वारा गठित एक नयी संस्था है। 2015-16 के बजट भाषण में इसकी घोषणा की गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुद्रा लिमिटेड को सिडबी के पूर्ण स्वामित्वों वाले एक सहायक निकाय मुद्रा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) में तब्दील करने को भी अपनी मंजूरी दे दी है। अब बैंक के रूप में इसके गठन से यह साबित किया जा चुका है कि लक्ष्य आधारित बैंकिंग की प्रासंगिकता अभी भी बरकरार है। हालांकि यह अभी सिडबी के साथ जुदा है, आगे इसे अलग बैंक के रूप में विकसित किया जा रहा है।

भारत में सरकारी क्षेत्र के बैंक राष्ट्रीयकरण किये जाने से अस्तित्व में आये। इसके बाद अगले कुछ दशकों में बैंकिंग का स्वरूप लगातार बदलता रहा। आरंभिक दशकों में इसकी विशिष्टता यह रही कि ऋण का प्रवाह अत्यधिक विनियमित था। प्रौद्योगिकी के प्रति विरोध था और यूनियनों का आक्रामक वातावरण था। इसके साथ ही साथ शाखा प्राधिकरण, ऋण मेला आदि के सख्त मानदंड थे। सुधार काल 1991 के बाद बैंकिंग क्षेत्र में कुछ अहम् सुधार देखे गए।

मुद्रा का उद्देश्य गैर निगमित लघु व्यवसाय क्षेत्र को अंतिम छोर पर स्थित विभिन्न संस्थाओं जैसे बैंकों व गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा अल्प वित्त संस्थाओं के माध्यम से निधिपोषण उपलब्ध कराना है। मुद्रा अंतिम छोर पर स्थित उन सभी वित्तपोषकों, जैसे लघु व्यवसायों के वित्तपोषण में संलग्न विभिन्न प्रकार की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, समितियों, न्यासों, धारा 8 (पूर्ववर्ती धारा 25) की कंपनियों, सहकारी समितियों, छोटे बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगा, जो विनिर्माण, व्यापार तथा सेवा- गतिविधियों में लगी सूक्ष्म व लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण प्रदान करते हैं। यह बैंक राज्य और क्षेत्रीय स्तर के मध्यवर्ती समन्वयकों के साथ भागीदारी करेगा, ताकि लघु व सूक्ष्म व्यवसाय उद्यमों के अंतिम छोर पर स्थित वित्तपोषकों को वित्त उपलब्ध कराया जा सके। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तत्वावधान में, मुद्रा ने पहले से ही अपने प्रारंभिक उत्पाद व योजनाएं तैयार कर ली हैं। इन पहलकदमियों को 'शिशु', 'किशोर' तथा 'तरुण' नाम दिए गए हैं, जो वृद्धि/विकास के चरण और लाभग्राही सूक्ष्म इकाई व उद्यमी की निधिक आवश्यकताओं के द्योतक हैं। साथ ही वे विकास व वृद्धि के अगले चरण का भी बोध करता है।

इस प्रकार से देखा जाय तो आज ये सभी बैंक अपने स्थापना काल के उद्देश्यों, मान्यताओं और संव्यवहारों की प्रकृति से काफी विस्तार पा चुके हैं। आज इनका दायरा सीमित नहीं रहा और ये अपने ग्राहकों के साथ-साथ अपने क्षेत्रों में भी अधिक आधुनिक तरीके और विधियों से लगातार जुड़ते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? आज यह एक विचारणीय पहलू है कि क्या उन्हें उनके पूर्ववर्ती उद्देश्यों तक सीमित किया जाना चाहिए या बाजार बलों के ताकतों तथा प्रकृति के भरोसे छोड़ देना चाहिए? सबसे अधिक तर्कसंगत तो यह है कि चूंकि सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था का नियंत्रक बाजार की शक्तियां होती हैं। ऐसे में यदि हम इसमें किसी तरह का अवरोध या सीमित उपायों का सहारा लेते हैं तो इसकी प्राकृतिक प्रवृति विकृत होगी जो दीर्घकाल के लिए एक चुनौती बन सकती है। दूसरी तरफ यह भी एक प्रबल तर्क है कि चूंकि भारतीय ग्राहकों की बदलती बैंकिंग जरूरतों का ध्यान रखते हुए उद्देश्यपरक और लक्षित ग्राहक समूह होने से अधिक प्रभावी तरीके से बैंकिंग सुविधा प्रदान की जा सकती है। किन्तु इसका एक डर हमेशा बना रहेगा कि इससे कहीं प्रतियोगिता का अंत न हो जाए जिसका परिणाम बाजार की शक्तियों पर से अनियंत्रण का शिकार होना होगा।

भारतीय बैंकिंग व्यवहार

भारत में सरकारी क्षेत्र के बैंक राष्ट्रीयकरण किये जाने से अस्तित्व में आये। इसके बाद अगले कुछ दशकों में बैंकिंग का स्वरूप लगातार बदलता रहा। आरंभिक दशकों में इसकी विशिष्टता यह रही कि

ऋण का प्रवाह अत्यधिक विनियमित था। प्रौद्योगिकी के प्रति विरोध था और यूनियनों का आक्रामक वातावरण था। इसके साथ ही साथ शाखा प्राधिकरण, ऋण मेला आदि के सख्त मानदंड थे। सुधार काल 1991 के बाद बैंकिंग क्षेत्र में कुछ अहम् सुधार देखे गए। जैसे ऋण प्रक्रियाओं एवं ब्याज दर संरचना का अविनियमन किया गया, निजी क्षेत्र के बैंकों का लाइसेंसीकरण किया गया और सरकारी बैंकों में आंशिक विनिवेश किया गया। इन सभी कारणों से 2008 तक बैंक के तुलनपत्र काफी सुदृढ़ बन गए, संवृद्धि बहुत मजबूत थी, एनपीए 12 प्रतिशत की सर्वाधिक ऊंचाई से घटकर 2 प्रतिशत के आसपास हो गई। उसके बाद अन्य प्रगति भी हुई। विश्व में वित्तीय संकट आया और इन्फ्रास्ट्रक्चर में पीपीपी मॉडल की शुरुआत हुई। इससे बैंकों में उत्साह का संचार हुआ। बैंकों के लिए नए अवसर पैदा हुये, किन्तु कई कारणों से यह उत्साह फीका पड़ गया।

आज की स्थिति में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में बहुत कुछ बदल चुका है। परिवर्तनकारी घटनाएं घट चुकी हैं, नवोन्मेषी प्रथाएं प्रारम्भ हो चुकी हैं और प्रतिस्पर्धा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। आने वाले समय में इसके और तीव्र हो जाने की संभावना है। आने वाले दिनों में बैंकिंग क्षेत्र के सामने अत्यधिक चुनौतीपूर्ण मुद्दे दिख रहे हैं। अनेक चुनौतियां जो पहले अमूर्त दिखाई पड़ती थीं अब वे महत्वपूर्ण हो गई हैं। ये मुद्दे निश्चित रूप से परिवर्तनकारिता, नवोन्मेष और प्रतिस्पर्धा के आसपास घूमते हैं। आज बैंक इस समय जिस प्रकार के ग्राहकों के साथ कारोबार कर रहे हैं, उन ग्राहकों के प्रोफाइल में अत्यधिक बदलाव आते जा रहे हैं।

इसके लिए बैंकों को अपने उत्पादों और सेवाओं को ग्राहकों के अनुरूप बदलने की जरूरत है। ग्राहकों का समूह अब ऐसे उत्पादों से संतुष्ट नहीं होता जो बैंक दे रहे हैं बल्कि उन्हें उनकी प्रत्येक आवश्यकता के अनुसार विशिष्ट उत्पाद चाहिए। लोगों की प्रोफाइल बदल रही हैं, सामाजिक आदतें परिवर्तित हो रही हैं और भावी पीढी के ग्राहकों की जरूरतें भी भिन्न होती जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बैंकों को वृद्ध आबादी का भी ध्यान रखने की जरूरत आई है। अगले 15 वर्षों में लगभग 70 मिलियन लोग और 60 वर्ष की आयु पार कर लेंगे। ऐसी स्थिति में वृद्ध लोगों की बैंकिंग जरूरतें भिन्न होंती जायेंगी जिन्हें उपयुक्त डिलीवरी चैनलों के माध्यम से दिया जाना होगा। इसी प्रकार आने वाले वर्षों में शहरीकरण की गति भी बहुत तीव्र हो जायेगी और बैंकों को इस प्रकार से प्रवासी आबादी की जरूरतों के लिए तैयार रहना होगा। ऐसी स्थितियों में देखें तो क्या ऐसा नहीं लगता कि जरूरतें और परिवर्तित आदतों ने पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव पैदा किया है। ऐसी स्थिति में क्या संभव है कि हम लक्ष्य आधारित और समूह को लक्षित कर बैंकिंग प्रणाली को संगठित करें?

आज की स्थिति में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में बहुत कुछ बदल चुका है। परिवर्तनकारी घटनाएं घट चुकी हैं, नवोन्मेषी प्रथाएं प्रारम्भ हो चुकी हैं और प्रतिस्पर्धा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। आने वाले समय में इसके और तीव्र हो जाने की संभावना है। आने वाले दिनों में बैंकिंग क्षेत्र के सामने अत्यधिक चुनौतीपूर्ण मुद्दे दिख रहे हैं। अनेक चुनौतियां जो पहले अमूर्त दिखाई पड़ती थीं अब वे महत्वपूर्ण हो गई हैं।

आधुनिक बैंकिंग का दौर

वर्तमान में जिस तरीके से बैंकिंग व्यवहार और उपभोक्ताओं की जरूरतों में परिवर्तन आ रहे हैं वैसी स्थिति में बैंकों का भविष्य भी संकट के घेरे में है। आज तो यह भी माना जा रहा है कि परंपरागत बैंकिंग का दौर खत्म हो चुका है और बैंक लेस बैंकिंग की अवधारणा भी प्रबल हुई है। इस संबंध में माइक्रोसॉफ्ट अध्यक्ष बिल गेट्स ने 1994 में कहा था कि "बैंकिंग आवश्यक है, लेकिन बैंक नहीं"। आज 23 वर्षों के बाद क्या उनकी भविष्यवाणी या पूर्वानुमान सही साबित हुआ है? हम ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहां क्रांतिकारी परिवर्तन हमारे सामने है। ऐसा इसलिए है कि किसी भी क्षेत्र में बदलती हुई प्रवृति को देख पाने में हमें समय लगता है और जब तक कि हम उसे देखें, उभरते पैटर्न बड़ी आसानी से गायब हो जाते हैं। जिसका खामियाजा सभी हितधारकों को भुगतना पड़ता है।

परिवर्तनों के इस दौर को देखने से बैंकिंग का आधुनिक स्वरूप तो दिखता ही है, साथ ही इसके भावी परिणाम भी दिखते हैं। इसी क्रम में देखे तो जुलाई 2014 में पीडब्लूसी की एक रिपोर्ट में "बैंकिंग का भावी आकार – बैंकिंग और बैंकों के कायाकल्प का समय" में मेक्रो स्तर पर उन पांच वैश्विक प्रवृतियों की पहचान की गई थी, जिनके प्रभाव, परस्पर क्रिया तथा परस्पर संघर्ष विश्व के कारोबार को पुनः आकार दे रहे हैं। या ये कहें कि नई बैंकिंग परिभाषा गढ़ रहे हैं। यह समझना जरूरी है कि इन नई प्रवृतियों से किस तरह के बदलाव आ रहे हैं। ये सभी बैंकिंग के लिए प्रासंगिक हैं वहीं दूसरी तरफ रिपोर्ट में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाली प्रवृत्ति जनांकिकी और सामाजिक परिवर्तन को माना गया है। जो ग्राहकों की नई मांगें पैदा कर रहे हैं और प्रत्याशाओं को बढ़ा रहे हैं। तथा सभी स्थानों पर प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल ने ग्राहक के सम्बन्ध से लेकर कारोबारी मॉडल तक को बदल डाला है।

प्रौद्योगिकी की यदि हम बात करें तो आज हमारे सामने यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रौद्योगिकी में विकास उतनी ही तेजी से हो रहा है जिस तरीके से बैंक और उनके ग्राहकों के बीच आपस में संव्यवहार। इन घटनाओं ने नए प्रवेशकर्ताओं के लिए अवसर खोल दिए हैं, जरूरी नहीं कि नए बैंक ही हों, इसने पुराने कारोबार मॉडल को दूर कर दिया है और नए मॉडल को अपना रहा है।

उपभोक्ता व्यवहार में भी देखें तो आज काफी हद तक बदलाव आ चुका है। आज हमारे सामने युवाओं की नई पीढ़ी है जिनकी उम्मीदें अलग-अलग हैं और बैंकों के साथ अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। वे पारंपरिक ग्राहकों या सेवानिवृत ग्राहकों की तरह विश्वसनीयता पर भरोसा नहीं करते। वे चाहते हैं कि उन्हें बैंकिंग सेवाओं के लिए बैंक न जाना पड़े बल्कि इसके लिए वे ऑनलाइन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करना ज्यादा पसंद करते हैं। एक तरफ तो नयी पीढ़ी की

जरूरतें और बैंकिंग व्यवहार इस तरह का है, वही दूसरी तरफ बहुत ही परिपक्व और पुराने ग्राहक निवेश पर अधिक प्रतिफल की मांग कर रहे हैं तथा अधिक पारदर्शिता चाहते हैं। इसने बैंकों की चुनौती को काफी हद तक बढ़ाया है।

बैंकिंग का भविष्य तय करने में विनियम की उपलब्धता और प्रभाव काफी महत्वपूर्ण है। वित्तीय संकट के बाद से विनियामकीय फोकस ज्यादातर पूंजी पर रहा है। इसकी वजह से अनेक बैंकों ने जोखिमपूर्ण या बहुत अधिक पूंजी वाली आस्तियों, कारोबार एवं यहां तक कि बाजारों से स्वयं के निवेश को हटा लिया है। इससे बैंकरों की जोखिम को लेकर मनोवृति में काफी परिवर्तन आ गया है और खुदरा तथा थोक बैंकिंग के बीच स्पष्ट विभाजन रेखा खींच गई है। नई विनियामकीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बैंक बहुत अधिक निवेश कर रहे हैं तथा भर्ती भी कर रहे हैं। एक अन्य उपशाखा भी जिसमें विनियमों को कठोरता से लागू किया जा रहा है, वह है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के बढ़ते कारोबार का क्षेत्र एवं उनमें होने वाली वृद्धि। शैडो बैंक (आभासी बैंक) पर विनियमन को उतनी सख्ती से नहीं लागू किया जाता है, वे बैंक के ग्राहकों को स्पर्धी सेवाएं दे रहे हैं विशिष्ट निधि की स्थापना करते हैं या निजी इक्विटी प्रदान करते हैं। बैंकों से कुछ गतिविधियों को अलग कर देने से गैर बैंक सम्बंधित कारोबार बहुत बढ़ गया है। उनकी वृद्धि भी बहुत ज्यादा हुई है। चूंकि वे विशिष्ट एवं फोकस सेवा प्रदान कर रहे हैं। इसलिए वो चयनित सेवा को अधिक क्षमता, गति एवं किफायती दरों पर उपभोक्ताओं को दे रहे हैं। इस स्थिति ने आज बैंकों को अस्थिर किया है। और इसमें सभी प्रकार की संभावना, क्षमता है कि बैंक के विकास को रोक दे।

बैंकों की प्रासंगिकता और आगे की राह

इन सभी परिवर्तनों ने बैंकों के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। पीडब्लूसी अनुसंधान रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जहां हम बैंकिंग के अंतिम छोर की ओर नहीं देख रहे हैं वहीं हम बैंकिंग और बैंक के समापन की ओर निश्चित रूप से देख पा रहे हैं। इसके साथ ही हमारे सामने दूसरा अन्य प्रश्न भी है कि क्या आज हमारे सामने बैंकों के बने रहने का कोई औचित्य है? समाज क्यों बैंकों का कार्य केवल बैंकों को ही करने दे? अर्थात बैंकिंग कार्य करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता क्यों है? पश्चिमी देश में किसी को भी आधिकारिक रूप से बैंक का नाम नहीं दिया जाता है। उनके पास केवल निक्षेप संस्थाएं या क्रेडिट संस्थाएं हैं। हमारी एफएसएलआरसी ने भी इसी प्रकार के विचार को भारतीय वित्तीय संहिता में अपनाए जाने के लिए सिफारिश की है। अब यह कहां तक प्रासंगिक है कि एक ही छत के नीचे सारी बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाय?

बैंकों के अस्तित्व के लिए एक अन्य चुनौती समाज की वित्तीय संकट के प्रति प्रतिक्रिया रही है- बैंकों के प्रति उपभोक्ताओं की अविश्वसनीयता। यहां वाल स्ट्रीट के विरोध में जन आन्दोलन का उदाहरण यह और अधिक स्पष्ट करता है। इस प्रकार घटती हुई विश्वसनीयता की चुनौती का सामना कर रही वित्तीय संस्थाएं काफी हद तक नए परिदृश्य एवं वित्तीय सेवाओं में नए प्रतिमानों की आवश्यकता महसूस कर रही हैं।

बैंकों के अस्तित्व के लिए एक अन्य चुनौती समाज की वित्तीय संकट के प्रति प्रतिक्रिया रही है- बैंकों के प्रति उपभोक्ताओं की अविश्वसनीयता। यहां वाल स्ट्रीट के विरोध में जन आन्दोलन का उदाहरण यह और अधिक स्पष्ट करता है। इस प्रकार घटती हुई विश्वसनीयता की चुनौती का सामना कर रही वित्तीय संस्थाएं काफी हद तक नए परिदृश्य एवं वित्तीय सेवाओं में नए प्रतिमानों की आवश्यकता महसूस कर रही हैं।

इन बातों से स्पष्ट संकेत है कि या तो बैंक मृतप्राय हो जाएगा या फिर भविष्य का बैंक कल का और आज का बैंक नहीं रह जाएगा। यदि हमें बैंकों की वर्तमान स्थिति को सुदृढ़ करना है या उन्हें बचाना है तो हमें आज की हकीकतों को समझना होगा, नई संचालन शक्तियों के दबाव को समझना होगा जो बैंकिंग में नए बदलाव चाहती है और भावी कार्रवाइयों को प्रतिबिम्बित करती है। प्रौद्योगिकी विकास का पूरा फायदा उठाया जाय, ग्राहकों की उम्मीद को पूरा करने के लिए उन्हें अपने अनुरूप बनाएं। नया उपभोक्ता कनेक्टिविटी, सुविधाजनक स्थिति एवं आजादी से कार्य करने का आदी है। इस संबंध में हमें यह सोचना है कि उपभोक्ताओं को कुछ ज्यादा सेवा नहीं चाहिए बल्कि ऐसी सेवा चाहिए जो कभी भी, कहीं भी, किसी भी प्रकार से उपलब्ध हों। जहां बैंकों को विकास करने के लिए नए अवसरों को पहचानने की सख्त जरूरत है और नई सूचना आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाने की आवश्यकता है, वहीं यह बात सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि वे वित्तीय सेवा प्रदान करने वालों की सामाजिक जिम्मेदारियों को ज्यादा से ज्यादा समझने के लिए सकारात्मक रूप से बदलाव लाएं। किसी भी प्रकार के नए प्रतिमान के साथ यह बात जुड़ी होनी चाहिए कि ग्राहकों के फायदे के साथ बैंक के फायदे को भी संतुलित रखना है।

इन सबके साथ एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर हमारे जेहन में रहता है कि एक खास उद्देश्य और खास ग्राहकों के लिए बैंकिंग करना कितना जरूरी रह गया है? इसका जवाब हमारे वर्तमान के परिवर्तनों में निहित है और स्पष्ट भी है। क्या आज के इन बदलावकारी समय में बैंकों के लिए एक ग्राहक पर और किसी एक क्षेत्र पर फोकस रख पाना संभव है? यदि ऐसा होता है तो बैंकों की उत्पादकता घटने के साथ ही प्रतिस्पर्धा समाप्त होगी और इसके साथ ही बैंक का अस्तित्व भी। ऐसा कर के देखा जा चुका है और बाजार बलों ने उन उद्देश्यपरक बैंकिंग व्यवस्था को तोड़-मरोड़ कर रख दिया। बैंकों के लिए आज बंध कर कारोबार करना आसान नहीं है। रिटेल बैंकिंग का दौर इसी का नतीजा है। जब हम बैंकों को किसी एक क्षेत्र से जोड़ देते हैं और ग्राहकों तक सीमित कर देते हैं तो यह बैंकों के लिए नुकसानदायक होने के साथ साथ ग्राहकों के लिए भी विकल्पगत चुनौतियां प्रस्तुत कर सकता है। बाजार से प्रतिस्पर्धा गायब हो जाएगी और जैसा कि होता है कि बाजार बल से नियंत्रित होने वाली सभी प्रतिक्रियाएं और संव्यवहार कृत्रिम बन जाएंगे जिसका दीर्घकालीन नकारात्मक परिणाम सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था पर रेखांकित होगा। ❑

देश में विशेषीकृत बैंक

वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश की वित्तीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण अंग होती हैं क्योंकि वे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मध्यम से दीर्घकालिक वित्त अथवा ऋण मुहैया कराती हैं। भारत में ग्रामीण, आवासीय, लघु उद्योग, निर्यात एवं आयात जैसे विशेष क्षेत्रों की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए इन संस्थाओं की स्थापना की गई हैं।

अपने देश में चार प्रमुख विशेषीकृत बैंक अथवा वित्तीय संस्थाएं हैं। ये हैं- भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक), राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)।

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक)

देश की विशेषीकृत वित्तीय संस्थाओं में निर्यात-आयात बैंक को ऊंचा स्थान प्राप्त है। इसे वैश्विक निर्यात ऋण एजेंसियों की तर्ज पर निर्यात ऋण प्रदान करने के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। एक्जिम बैंक ने 1982 में काम आरंभ किया था। यह विभिन्न प्रकार के उत्पादों तथा सेवाओं के जरिये उद्योगों और लघु एवं मझोले उद्यमों (एसएमई) की वृद्धि को गति देता है। इसमें प्रौद्योगिकी का आयात तथा निर्यात उत्पाद का विकास, निर्यात उत्पादन, निर्यात विपणन, लदान से पहले तथा लदान के बाद ऋण एवं विदेश में निवेश शामिल हैं।

यह आयातकों तथा निर्यातकों को वित्तीय सहायता मुहैया कराता है और विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के बीच कड़ी का काम भी करता है ताकि भारतीय वित्तीय बाजार का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। आधुनिकीकरण, उपकरणों की खरीद, अधिग्रहण आदि के लिए सावधि ऋण दिए जाते हैं। निर्यातकों के लिए बैंक वेयरहाउसिंग ऋण, निर्यात के लिए ऋण (लाइन ऑफ क्रेडिट) उपलब्ध कराता है। बैंक द्वारा मुहैया कराई जाने वाली फंडेड पूंजी योजना में दीर्घकालिक कार्यशील पूंजी, नकद प्रवाह के लिए ऋण शामिल है और गैर फंडेड पूंजी योजना में लेटर ऑफ क्रेडिट लिमिट, गारंटी लिमिट शामिल हैं। फिल्म उद्योग के मामले में बैंक फिल्म निर्माण के लिए नकदी और विदेशी बाजार में प्रदर्शन के लिए धन मुहैया कराता है। बैंक मानव संसाधन प्रबंधन, अनुसंधान एवं नियोजन, आंतरिक ऑडिट जैसी विशेषीकृत सेवाएं भी देता है। भारतीय निर्यात-आयात बैंक ने पूरे देश में और विदेशों में भी अपने कार्यालय बनाए हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में संस्थागत ऋण की महत्ता भारत सरकार के सामने आरंभ से ही स्पष्ट रही है। इसीलिए भारत सरकार के कहने पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इस महत्वपूर्ण आयाम की पड़ताल के लिए कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु संस्थागत ऋण की व्यवस्था की समीक्षा के उद्देश्य वाली समिति (क्राफिकार्ड) का गठन किया। समिति का गठन 30 मार्च, 1979 को किया गया। समिति की रिपोर्ट में ग्रामीण विकास से जुड़े ऋण संबंधी मसलों पर अनवरत ध्यान देने, मजबूत दिशा देने तथा केंद्रित प्रयास करने के लिए नई सांगठनिक व्यवस्था की आवश्यकता रेखांकित की गई। उसने ऐसी अनूठी वित्तीय संस्था बनाने की सिफारिश की, जो इन आकांक्षाओं को

पूरा करे और इस प्रकार 1981 के अधिनियम 61 के जरिये संसद ने राष्ट्रीय *कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)* की स्थापना को मंजूरी दे दी। आरबीआई के कृषि ऋण कार्यों और तत्कालीन *कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम* (एआरडीसी) के पुनर्वित्त कार्यों के हस्तांतरण के जरिये जुलाई 1982 में नाबार्ड अस्तित्व में आया। 100 करोड़ रुपये की आरंभिक पूंजी के साथ स्थापित हुए इस बैंक की चुकता पूंजी 31 मार्च, 2016 को 5,000 करोड़ रुपये थी। भारत सरकार और रिजर्व बैंक के बीच शेयर पूंजी की संरचना की समीक्षा के बाद अब भारत सरकार के पास 4,980 करोड़ रुपये (99.60 प्रतिशत) पूंजी है और भारतीय रिजर्व बैंक के पास 20 करोड़ रुपये (0.40 प्रतिशत) है।

राष्ट्रीय आवास बैंक

राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) की स्थापना आवास ऋण संस्थाओं को वित्तीय एवं अन्य आवश्यक सहायता प्रदान कर उनकी वृद्धि को तेज करने के इरादे से राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के दिशानिर्देशों के अनुसार 1988 में हुई थी। यह समूचे बुनियादी ढांचा विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है और मौजूदा आवास ऋण कंपनियों को पुनर्वित्त प्रदान करता है। बैंक ने विकास एवं जोखिम प्रबंधन, परियोजना ऋण, पुनर्वित्त परिचालन, संसाधन जुटान एवं प्रबंधन जैसे विशेषीकृत विभाग बनाए हैं। एनएचबी का पूर्ण स्वामित्व भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, जिसने उसे समूची चुकता पूंजी प्रदान की। एनएचबी के कामकाज का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन एवं प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत एक निदेशक मंडल के हाथ में होता है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की स्थापना भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत 2 अप्रैल, 1990 को की गई। यह सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के संवर्द्धन, वित्तपोषण एवं विकास के लिए और इसी प्रकार की गतिविधियों में लगी संस्थाओं के कामकाज के समन्वयन के लिए प्रधान वित्तीय संस्था के तौर पर काम करता है। सिडबी के कार्यक्षेत्र में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) आते हैं, जो उत्पादन, रोजगार एवं निर्यात के

मामले में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ है क्योंकि लगभग 5.1 इकाइयों के बड़े नेटवर्क के साथ वह अर्थव्यवस्था की वृद्धि में बहुत अधिक योगदान करता है। यह क्षेत्र लगभग 11.7 करोड़ लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराता है, 6,000 से अधिक प्रकार के उत्पाद बनाता है, विनिर्माण उत्पादन में लगभग 45 प्रतिशत योगदान करता है, निर्यात मूल्य में इसका योगदान लगभग 40 प्रतिशत है और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इसका लगभग 37 प्रतिशत योगदान है।

समूचे एमएसएमई तंत्र में वित्तीय एवं गैर-वित्तीय कमियों को दूर करना ही सिडबी का काम है। एमएसएमई को दो प्रकार से वित्तीय सहायता दी जाती है - (क) एमएसएमई को ऋण देने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को परोक्ष सहायता अर्थात् पुनर्वित्त प्रदान करना और (ख) जोखिम पूंजी, सतत वित्त, प्राप्य वस्तुओं के लिए वित्तपोषण, सेवा क्षेत्र के लिए वित्तपोषण आदि। एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए सिडबी ने 'क्रेडिट प्लस' योजना आरंभ की है, जिसके तहत ऋण के अलावा वह एमएसएमई को प्रोत्साहन एवं विकास सहयोग के जरिये एमएसएमई क्षेत्र में उद्यम विकास, कौशल उन्नयन, विपणन सहयोग, क्लस्टर विकास, प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण में सहायता देता है। इस प्रकार के प्रोत्साहन एवं विकास समर्थन से एमएसएमई क्षेत्र में 2.3 लाख से अधिक लोगों को लाभ हुआ है, 1.5 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं और 80,000 से अधिक इकाइयां स्थापित करने में मदद मिली है, जिनमें से अधिकतर ग्रामीण उद्यम हैं। ❑

IAS पतंजलि IAS

विश्वसनीय संस्थान, प्रामाणिक टीम, बेहतरीन रिजल्ट्स

"सभी अभ्यर्थियों को पतंजलि संस्थान की ओर से नव वर्ष की हार्दिक बधाई!"

हिन्दी माध्यम
Gaurav Kumar
AIR 31

हिन्दी माध्यम
Hemant Sati
AIR 88

Eng. Med.
Athar Aamir Khan
AIR 2

Eng. Med.
Bharti Dixit
AIR 5

पढ़िये उनसे जिनकी **प्रामाणिकता** एवं **श्रेष्ठता** निर्विवाद है तथा जिनसे हिन्दी माध्यम के साथ-साथ अंग्रेजी माध्यम के टॉपरों ने भी पढा है।

सामान्य अध्ययन

प्रातःकालीन बैच	सायंकालीन बैच
9 Jan.	22 Jan.
11:30 am	6:00 pm

मुखर्जी नगर (पोस्ट ऑफिस के ऊपर)

प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट सीरीज 7 Jan

दर्शनशास्त्र
(ऑडियो-वीडियो)

एक दो को छोड़कर दर्शनशास्त्र के साथ हिन्दी माध्यम या Eng. Med. में सफल लगभग सभी अभ्यर्थी 'पतंजलि' संस्थान से हैं।

- सबसे छोटा सिलेबस, लाखों तथ्यों को रटने से छुटकारा
- रिवीजन में आसान • अंकदायी एवं सफलतादायी विषय
- **G.S** और निबंध में बहुत उपयोगी

12 निःशुल्क कार्यशाला **Dec. 9:00 AM**

JAIPUR CENTRE
विश्वसनीय संस्थान, प्रामाणिक टीम, बेहतरीन रिजल्ट्स

धर्मेन्द्र सर के निर्देशन में पढ़िये उनसे जिनकी प्रामाणिकता एवं श्रेष्ठता निर्विवाद है तथा जिनसे **RAS** टॉपरों ने भी पढ़ा है।

RAS *Foundation 2017 Pre.+ Mains*

बैच जारी प्रातः 7 बजे | सायं 4 बजे

IAS निःशुल्क कार्यशाला 22 जनवरी

राजस्थान के विद्यार्थियों को अब IAS की तैयारी हेतु दिल्ली जाने की जरूरत नहीं
पतंजलि संस्थान में धर्मेन्द्र सर के मार्गदर्शन में दिल्ली एवं जयपुर की प्रामाणिक विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन

DELHI CENTRE
202, 3rd Floor, Bhandari House
(above Post Office)Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09
Ph.: 011-43557558, 9810172345

RAJENDRA NAGAR CENTRE
104, 2nd Floor, Near Axis Bank,
Old Rajinder Nagar Market, Delhi-60
Ph. 011-45615758, 9811583851

JAIPUR CENTRE
31, Satya Vihar, Lal Kothi, Near Jain
ENT Hospital, New Vidhan Sabha, Jaipur
Ph.: 9571456789, 9680677789

YH-738/2017

परंपरागत भारतीय बैंकिंग व्यवस्था

रवि शंकर

पहली शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक विश्व व्यापार में भारत की सहभागिता कभी भी 25 प्रतिशत से कम नहीं रही। प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्री अंगस मेडिसिन ने अपनी पुस्तक में विभिन्न शताब्दियों के विश्व व्यापार में भारत तथा अन्य देशों की सहभागिता के आंकड़े दिये हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि औद्योगिक उत्पादन में पिछले दो हजार वर्षों तक भारत पूरी दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर था। उत्पादित वस्तुओं का व्यापार होना तो स्वाभाविक ही है और उत्पादन और व्यापार में धन की आपूर्ति के लिए बैंकिंग या महाजनी या साहूकारी की व्यवस्था होना भी उतना ही स्वाभाविक है

आम तौर पर बैंकिंग भारत को अंग्रेजों की दी गयी व्यवस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। समझा और कहा जाता है कि आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत करके अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था में क्रांति कर दी। बैंकिंग के इतिहासकार 18वीं शताब्दी से ही बैंकिंग का प्रारंभ मानते हैं। हालांकि माना जाता है कि पहला बैंक वर्ष 1740 या उसके बाद ही स्थापित हो गया था, परंतु इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उन्नीसवीं शताब्दी में तीन बैंकों की स्थापना आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की सही शुरुआत है। क्या इससे पहले भारत में बैंकिंग की कोई प्रणाली थी या नहीं? यदि थी तो कैसी थी?

नगद लेन-देन की पृष्ठभूमि

बैंकिंग का मुख्य काम धन का लेन-देन है। धन का लेन-देन यानि ऋण लेना और ऋण देना। ऋण की बात करें तो हमें तुरंत सूदखोर कहे जाने वाले साहूकारों और महाजनों की याद आती है। साहूकार और महाजन यानि आधुनिक बैंकिंग से परे धन के लेन-देन की एक व्यवस्था। यदि हम इसमें से शोषण के मामले को हटाकर और केवल इसे एक व्यवस्था के तौर पर देखें तो हम पाएंगे कि पूरे भारतवर्ष में बैंकिंग की यह एक शानदार व्यवस्था रही है। इस व्यवस्था के मूल सिद्धांतों का प्रारंभ वेदों से ही हो जाता है। वेदों में ब्याज पर ऋण देने-लेने की व्यवस्था को कुसीद कहा है। यही शब्दावली बाद के वैदिक वांग्मय में भी प्रयोग की गयी है।

वैदिक प्रेरणा तो हमें कर्ज मुक्त रहने के लिए कहती है। गृह्यसूत्रों में कहा है- अनृणास्याम यानि हम कर्जमुक्त रहें। परंतु फिर भी वेदों ने कुसीद को एक व्यवसाय माना है। वेदों के आधार पर ही विधान देने वाली मनुस्मृति में कहा है- *पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च। वणिक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च।।* अर्थात् (गौ आदि पालतू) पशुओं की रक्षा, विद्या-धर्म आदि की वृद्धि के लिए दान देना, नित्य अग्निहोत्र करना, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करना और ब्याज पर धन लेना-देना और कृषि करना वैश्यों के कर्तव्य हैं। यहां कुसीद की व्याख्या करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं- सवा रुपये सैंकड़े से अधिक और चार आने से न्यून ब्याज न लेवें न देवें। जब दूना धन आ जाए तो उसके आगे कौड़ी न लेवें, न देवें। जितना न्यून ब्याज लेवेगा, उतना ही उसका धन बढ़ेगा। कभी धन का नाश नहीं होगा और कुसंतान उसके कुल में न होंगे। हालांकि दयानंद सरस्वती ने इस कथन के प्रमाण में किसी ग्रंथ को उद्धृत नहीं किया है, परंतु इससे यह समझा जा सकता है कि कम से कम उस समय आदर्श व्यवस्था यही मानी जाती रही होगी।

कुसीद की प्राचीन व्यवस्था का ही आगे चलकर महाजनी या फिर साहूकारी व्यवस्था में रूपांतरण हुआ। लेकिन आज की भांति इसमें किसी का भी एकाधिकार नहीं माना गया। घरेलू औरतें भी सामान गिरवी रखकर ब्याज पर धन देती थीं। इस प्रकार यह व्यवस्था पूरी तरह विकेंद्रित व्यवस्था थी। भले ही इस व्यवस्था में ब्याज के

लेखक सेंटर फॉर सिविलाइजेशन स्टडीज में शोध निदेशक तथा गांधी दर्शन के शोधार्थी हैं। भारत के आर्थिक इतिहास पर इन दिनों शोध कार्य कर रहे हैं। इन्होंने पंचवटी फाउंडेशन के लिए गौसंपदा के आर्थिक वैज्ञानिक-पर्यावरणीय आयामों पर पांच खंडों में शोध ग्रंथ के संकलन व संपादन के अलावा पारंपरिक कृषि पर शोध कार्य भी किया है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की शोध परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रवादी पत्रकारिता विषय पर पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। ईमेल: ravinoy@gmail.com

निर्धारण पर आज की भांति किसी आरबीआई का नियंत्रण नहीं था परंतु इस पर राज्य का नियंत्रण निश्चित रूप से था। जब भी न्यायकारी शासन व्यवस्था रही, तब हमेशा ही महाजनी या साहूकारी समाजहित में ही रही। केवल अराजक स्थितियों में ही यह व्यवस्था शोषणकारी बनी।

इस प्रकार प्राचीन काल में बैंकिंग का जो स्वरूप विकसित हुआ उसकी दो प्रमुख विशेषताएं थीं। पहली यह कि वह पूरी तरह विकेंद्रित व्यवस्था थी और दूसरी यह कि इस व्यवस्था में राज्य की भूमिका केवल नियामक भर की ही थी, आज की भांति संचालक और नियंत्रक की नहीं। इस व्यवस्था में भी कई स्तर विकसित हुए थे।

1. सबसे निचले स्तर पर ग्रामीण साहूकार या महाजन थे।
2. उससे ऊपर बड़े सेठ तथा नगर सेठ हुआ करते थे। कुछेक स्थानों पर ये सेठ जमींदार भी बन गए थे।
3. सबसे ऊपर जगत सेठ बने। हालांकि यह शब्दावली मुगल काल में विकसित हुई परंतु यदि हम शब्द को छोड़कर भाव पर ध्यान दें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापारियों को धन देने वाले सेठ भी पूरे देश में पाये जाते थे।

जगत सेठः साख संस्था

इस प्रकार हम पाते हैं कि ब्याज पर धन देने वाली घरेलू औरतों, छोटे-छोटे महाजनों और साहूकारों से यह व्यवस्था विकसित होती गयी और इसका स्वरूप अंतरराष्ट्रीय हो गया। 18वीं शताब्दी यानि आर्थिक व्यवहारों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्णायक स्थिति में आने तक डेरा में जगत सेठों की चलती थी। बंगाल, गुजरात आदि प्रदेशों जहां व्यापार की विपुल संभावनाएं हुआ करती थीं, जगत सेठ हुआ करते थे।

थॉमस ए टिम्बरबर्ग लिखते हैं, "प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहासकारों ने व्यापारियों द्वारा बड़े पैमाने पर सामानों के लंबी दूरी तक परिवहन करने का इतिहास दर्ज किया है। ये व्यापारी न केवल व्यापार की धनापूर्ति करते थे, बल्कि राज्यों तथा राजाओं को भी धन दिया करते थे और इस प्रकार एक बड़े भूभाग में एक विशाल बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का संचालन किया करते थे।" वास्तव में व्यापार में धन की आवश्यकता पड़ती ही है और धन की आपूर्ति करने का काम ही बैंकिंग कहलाता है।

पहली शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक विश्व व्यापार में भारत की सहभागिता कभी भी 25 प्रतिशत से कम नहीं रही। प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्री अंगस मेडिसिन ने अपनी पुस्तक में विभिन्न शताब्दियों के विश्व व्यापार में भारत तथा अन्य देशों की सहभागिता के आंकड़े दिये हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि औद्योगिक उत्पादन में पिछले दो हजार वर्षों तक भारत पूरी दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर था। उत्पादित वस्तुओं का व्यापार होना तो स्वाभाविक ही है और उत्पादन और व्यापार में धन की आपूर्ति के लिए बैंकिंग या महाजनी या साहूकारी की व्यवस्था होना भी उतना ही स्वाभाविक है। यहां हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि 18वीं शताब्दी तक भारत की सीमाएं पश्चिमोत्तर में काबुल तक थीं, उस समय तक अफगानिस्तान या पाकिस्तान का कोई अस्तित्व नहीं था।

जगतसेठ फतेहचंद स्थानीय शासकों और प्रमुख विदेशी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता दिया करता था। वर्ष 1718 से 1730 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने उससे प्रतिवर्ष औसतन चार लाख रुपये उधार लिए। वर्ष 1757 तक जगतसेठ से ईस्ट इंडिया कंपनी प्रतिवर्ष चार लाख रुपये और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 15 लाख रुपये कर्ज लिया करती थी।

सोलहवीं शताब्दी के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में यूरोपीय व्यापारियों का प्रवेश बढ़ गया था। उन्होंने यहां कई सहयोगी पाये जिनमें कुछ मारवाड़ी भी थे। बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण में मारवाड़ी जगत सेठों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। टिम्बरबर्ग ने अपनी पुस्तक में इन मारवाड़ी जगत सेठों का अच्छा वर्णन किया है। वे लिखते हैं, "एक शुष्क गृह प्रदेश और पारंपरिक जमीनी व्यापारिक मार्ग का महत्वपूर्ण अंग होने के कारण मारवाड़ी पूरे देश में फैल गये, विशेषकर उन इलाकों में जहां व्यावसायिक गतिविधियां अभी काफी उभार पर थीं।" टिम्बरबर्ग विस्तार से बताते हैं कि किस प्रकार ये मारवाड़ी व्यापारी राजस्थान के विभिन्न राजघरानों को धन प्रदान किया करते थे। शेखावटी के एक ठाकुर ने लिखा है कि उसके पिता मुम्बई और कोलकाता की यात्राओं में उनके इलाकों से आये मारवाड़ियों से धन प्राप्त किया करते थे। कुछ मारवाड़ी घराने स्थानीय विद्रोहियों को भी धन दिया करते थे।

एक अन्य उल्लेख बताता है कि ओसवाल घराना बैंकर और फाइनेंसर के रूप में काफी प्रसिद्ध हुआ था और वह मुगलों को वित्तीय साधन उपलब्ध कराता था। बात केवल मुगल शासकों तक ही सीमित नहीं थी। ये मारवाड़ी घराने लगभग सभी शासकों चाहे वे हिंदू हों या मुस्लिम, को कर्ज दिया करते थे। बंगाल के जगतसेठ स्थानीय शासकों के अलावा देशी-विदेशी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी कर्ज दिया करते थे। टिम्बरबर्ग लिखते हैं, "वह (जगतसेठ फतेहचंद) स्थानीय शासकों और प्रमुख विदेशी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता दिया करता था। वर्ष 1718 से 1730 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने उससे प्रतिवर्ष औसतन चार लाख रुपये उधार लिए। वर्ष 1757 तक जगतसेठ से ईस्ट इंडिया कंपनी प्रतिवर्ष चार लाख रुपये और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 15 लाख रुपये कर्ज लिया करती थी।"

प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध भी मूलतः बंगाल के जगत सेठ के कारण हुआ। जगत सेठ से बंगाल के नवाब ने काफी सारा धन उधार लिया हुआ था। सिराजुद्दौला ने जब बंगाल पर कब्जा किया तो जगत सेठ ने उससे अपना धन मांगा। सिराजुद्दौला का कहना था कि कर्ज उसके पहले वाले नवाब ने लिया था, वह नहीं चुकाएगा। जगत सेठ का कहना था कि नवाब कोई भी रहे, कर्ज तो राज्य ने लिया था, उसे चुकता करना ही चाहिए। इससे पहले के सभी राजा इस परिपाटी का पालन करते थे। परंतु सिराजुद्दौला ने इस परंपरा का पालन करने से इनकार कर दिया। इस पर जगत सेठ ने उसे अपदस्थ करने में अंग्रेजी सेना की सहायता ली। वह मीरजाफर को नवाब बनाना चाहते थे, जो परंपरा का पालन करते हुए उनका धन वापस करने के लिए तैयार था। मीरजाफर के नेतृत्व में सिराजुद्दौला की सेना अंग्रेजों से जा मिली और इस प्रकार बिना युद्ध हुए सिराजुद्दौला पराजित हो गया। परंतु अंग्रेजों ने मीरजाफर को नवाब

नहीं बनने दिया। वे स्वयं ही शासक बन बैठे और उन्होंने कालांतर में जगत सेठ को पेंशनयाफ्ता बना दिया।

व्यवसाय के समानांतर ऋण बाजार

मारवाड़ियों के अलावा पंजाब, सिंध और मुल्तान के व्यापारी भी बैंकिंग का काम किया करते थे। ये भारतीय व्यापारी भारत के अंदर ही नहीं विदेशों में भी बैंकिंग किया करते थे। आज की भाषा में कहें तो वे एक प्रकार से मल्टीनेशनल बैंक थे। स्कॉट सी. लेवी की पुस्तक कारवां, पंजाबी खत्री *मर्चेंट्स* ऑन द सिल्क रोड, की भूमिका में गुरुचरण दास लिखते हैं, "हिंदू व्यापारी मध्य एशियायी अर्थव्यवस्था के केंद्र बिंदू थे। वे रोपाई के लिए किसानों को ऋण दिया करते थे, कटाई के मौसम में उनकी फसलों की खरीद करते थे और उनके परिवहन की भी व्यवस्था करते थे। स्थानीय शासक उनकी इन सेवाओं का काफी सम्मान करते थे, जिनके कारण उनकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ रहती थी और करों का संग्रह बढ़ता था।"

ईसा पूर्व काल में अंतरराष्ट्रीय लेन-देन

दक्षिण भारत भी इनसे अलग नहीं था। मलाबार के तटों से लेकर तत्कालीन मद्रास तक अंग्रेजी राज आने तक भारतीय बैंकरों की एक समृद्ध परंपरा थी। विएना के संग्रहालय में हाल ही में ढूंढा गया एक प्राचीन भोजपत्र रखा है, जिसकी कालावधि ईसा की दूसरी शताब्दी है। इस पत्र में मुसीरी, तमिलनाडु के भारतीय व्यापारी और अलेक्जेंड्रिया के रोमन व्यापारी के बीच हुए एक समझौते का उल्लेख है। इस पत्र की दूसरी ओर रोमन व्यापारी द्वारा मुसीरी में व्यावसायिक कर्ज लिया जाना लिखा है। व्यावसायिक कर्ज का उल्लेख यह साबित करता है कि लेन-देन प्राचीन काल में भी लंबी समयावधि के लिए कर्ज की व्यवस्था विद्यमान थी।

विचलन

उपरोक्त परंपरा अंग्रेजों ने नष्ट की। भारतीय व्यापारियों के वर्चस्व के कारण उनका शासन खतरे में रहता था क्योंकि ये व्यापारिक घराने शासन तक को धन दिया करते थे और उनके मनोनुकूल न होने पर विद्रोहियों द्वारा शासन पलटवाया भी करते थे। बड़े बैंकरों की इस व्यवस्था के अतिरिक्त पूरे देश में छोटे साहूकारों तथा महाजनों की भी बड़ी श्रृंखला विद्यमान थी। कालांतर में विशेषकर सत्रहवीं और 18वीं शताब्दी में जब शासन व्यवस्थाएं कमजोर होने लगीं तो इनके द्वारा शोषण भी शुरू हो गया। अंग्रेजों द्वारा जब पूरे भारत का आर्थिक शोषण किया जा रहा था, उस काल में देश में अधिकतम अकाल पड़े और अभाव के उस काल में ये व्यवस्थाएं चरमरा गयी। अंग्रेजों के काल में इन पर नियंत्रण करने के लिए कई कानून बनाए गये।

भारतीय साख बाजार: विकेंद्रीकरण का उदाहरण

ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि आज स्थानीय साहूकारों या महाजनों की वह परंपरा समाप्त हो गयी है। देखा जाए तो यूरोप में विकसित आधुनिक बैंकिंग के पहले भारतीय बैंकिंग प्रणाली में कभी भी कोई केंद्रीय व्यवस्था नहीं रही है। वह एक विकेंद्रित व्यवस्था रही है। हालांकि आज इसे एक अवगुण के रूप में देखा जाता है परंतु भारतीय अर्थव्यवस्था में आज भी इस विकेंद्रित बैंकिंग प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान है। इसका एक उदाहरण है लगभग पूरे भारत में लघु बैंकिंग प्रणाली के तर्ज पर खेली जाने वाली कमिटी। उत्तर भारत में लगभग सर्वत्र इसे कमिटी कहा जाता है और देश के लगभग सभी व्यावसायिक लोग इसे खेलते ही हैं। कमिटी 12 से लेकर 20 महीने की छोटी अवधि के लिए होती है और इसमें निश्चित संख्या में सदस्य होते हैं। वे एक निश्चित राशि प्रतिमाह एकत्र करते हैं जिसे जरूरतमंद सदस्य बोली लगाकर प्राप्त करता है। उस सदस्य से हुई आय को प्रत्येक सदस्य में बराबर मात्रा में बांट दिया जाता है। इस प्रकार यह छोटे स्तर पर लघु और मध्यम व्यापारियों को सरलता से पूंजी उपलब्ध करवाता है। हालांकि कमिटी की यह व्यवस्था सरकारी तंत्र के अनुसार गैरकानूनी ही मानी जाती है और इसलिए इसमें किसी प्रकार की धोखाधड़ी होने पर उसे सरकार से न्याय नहीं मिल सकता, परंतु फिर भी यह लघु बैंकिंग प्रणाली आज भी आधुनिक बैंकों से कहीं अधिक व्यापक है।

विएना के संग्रहालय में हाल ही में ढूंढा गया एक प्राचीन भोजपत्र रखा है, जिसकी कालावधि ईसा की दूसरी शताब्दी है। इस पत्र में मुसीरी, तमिलनाडु के भारतीय व्यापारी और अलेक्जेंड्रिया के रोमन व्यापारी के बीच हुए एक समझौते का उल्लेख है। इस पत्र की दूसरी ओर रोमन व्यापारी द्वारा मुसीरी में व्यावसायिक कर्ज लिया जाना लिखा है।

उपसंहार

निष्कर्ष यह है कि परंपरागत भारतीय बैंकिंग प्रणाली हमेशा से विकेंद्रित और राज्यनिरपेक्ष रही है। यही व्यवसाय के हित में भी है। व्यवसाय का राज्याश्रित होने से केवल नुकसान ही हैं और वह देश कभी विकास नहीं कर सकता। इसलिए परंपरागत भारतीय बैंकिंग प्रणाली की ही देन थी कि जिस कालखंड को भारत की राजनीतिक गुलामी का दौर कहा जाता है, उस दौर में भी भारत दुनिया में सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति था। आज भी यदि हम ठीक से ध्यान दें और सरकारी आंकड़ों को छोड़ कर सामाजिक आंकलन करें तो समाज में धन के वितरण में परंपरागत भारतीय बैंकिंग का योगदान आधुनिक केंद्रीकृत और राज्याश्रित बैंकिंग प्रणाली से कहीं अधिक है। परंपरागत भारतीय बैंकिंग प्रणाली में एकमात्र आवश्यकता है न्याय की उपलब्धता की। अंग्रेजों से पहले राज्य इसे उपलब्ध करवाया करते थे और इसलिए अंग्रेजों से पहले विशेषकर हिंदू शासकों के शासन में कभी भी आम जनता पीड़ित नहीं रही। अंग्रेजों के काल में कागजों का महत्व बढ़ने पर परंपरागत भारतीय बैंकिंग प्रणाली को न्याय व्यवस्था से बाहर कर दिया गया। अच्छा तो यह होगा कि बैंक सुधारों के आधुनिक युग में हम फिर से परंपरागत भारतीय बैंकिंग प्रणाली में भी पीड़ित को न्याय दिलाने की व्यवस्था करें। कागजों के बिना मौखिक आर्थिक व्यवहारों में होने वाली गड़बड़ियों को पकड़ने में राज्य को अपना सामर्थ्य बढ़ाना चाहिए, तभी यह संभव है। ❑

संदर्भ

1. बोधायन गृह्यसूत्र 4/4/9
2. मनु 1/90
3. संस्कारविधि पृष्ठ 176
4. द मारवाड़िज, फ्राम जगत सेठ टू द बिड़लाज, पृष्ठ 18
5. वही, पृष्ठ 19-20
6. वही, पृष्ठ 10-11
7. http://www.gutenberg&e.org/haa01/print/haa01.pdf
8. कैरावांस, इंडियन मर्चेंट्स ऑन द सिल्क रोड, पृष्ठ XIII
9. द वर्ल्ड ऑफ द तमिल मर्चेंट्स, पृष्ठ 25-26

दिवालियापन परिवेदन और शिकायतों के समाधान के लिए नये विनियम अधिसूचित

भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) ने 7 दिसंबर, 2017 को भारत के राजपत्र में आईबीबीआई (प्रतिवेदन और शिकायत समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2017 को अधिसूचित किया है। यह नियम भारतीय दिवाला और दिवालियापन कोड 2016 (कोड) के अंतर्गत हितधारक को एक सेवा प्रदाता, दिवालिया पेशेवर एजेंसी, दिवालिया पेशेवर, दिवाला पेशेवर संस्था या सूचना उपयोगिता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाता है। इसके साथ-साथ यह विनियम आईबीबीआई द्वारा प्रतिवेदनों और शिकायतों के निपटान के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया प्रदान करता है जिसमें न तो गलत व्यवहार करने वाले सेवा प्रदाताओं छोड़ा जाता है और न ही निर्दोष सेवा प्रदाताओं को परेशान किया जाता है।

इस नियम के तहत एक हितधारक सेवा प्रदाता के ऐसे आचरण, जिससे पीड़ित को परेशानी हुई हो; पीड़ित को हुई परेशानी का ब्यौरे, चाहे आर्थिक हो अथवा किसी अन्य प्रकार की हो; सेवा प्रदाता के आचरण ने पीड़ित को किस प्रकार प्रभावित किया; सेवा प्रदाता से शिकायत के समाधान के लिए किए गए प्रयासों के ब्यौरे तथा शिकायत का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है, के संबंध में शिकायत दर्ज करा सकता है।

एक हितधारक दो हजार पांच सौ रुपए (2,500 रुपए) के शुल्क के साथ निर्दिष्ट फॉर्म में इसकी शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायतकर्ता को इस संदर्भ में किसी भी सेवा प्रदाता या उससे संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कोड, नियमों, विनियमों अथवा उनके तहत बनाए गए दिशानिर्देशों अथवा आईबीबीआई द्वारा जारी परिपत्रों अथवा निदेशों के किसी भी प्रावधान के कथित उल्लंघन के लिए विवरण देना आवश्यक है, जिसके साथ सेवा प्रदाता या उससे संबंधित व्यक्तियों के कथित आचरण या गतिविधि के लिए आचरण या गतिविधि की तिथि और स्थान के साथ कथित उल्लंघन के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। यदि शिकायत गंभीर है और दुर्भावनापूर्ण नहीं है तो शुल्क वापस कर दिया जाएगा।

अगर आईबीबीआई यह मानती है कि प्रथमदृष्टया मामला बनता है तो वह भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (निरीक्षण और अन्वेषण) विनियमन, 2017 के विनियम 3 के उप-विनियम (3), विनियम 7 के उप-विनियम (2) और विनियम 11 के उप-विनियम (2) के तहत जांच का आदेश अथवा कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है, जैसा कि अनुबद्ध हो तथा इस मामले को तद्नुसार आगे बढ़ाया जाएगा।

ये विनियम 7 दिसंबर, 2017 से प्रभावी हुए हैं। ये www.mca.gov.in और www.ibbi.gov.in पर उपलब्ध हैं। ❑

ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2017

ग्लोबल एंटरप्रन्योरशिप समिट (जीईएस) का आयोजन दक्षिण एशिया में पहली बार हैदराबाद, भारत में 28-30 नवंबर 2017 को किया गया। भारत और अमेरिका सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस समिट का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री ने किया और अमरीकी राष्ट्रपति की सलाहकार इंवाका ट्रंप ने जीईएस में अमरीका का प्रतिनिधित्व किया। जीईएस वैश्विक स्तर पर उभरते हुए उद्यमियों, निवेशकों और व्यावसायिओं की एक विशिष्ट वार्षिक सभा है। इस वर्ष महिला उद्यमियों पर विशेष रूप से फोकस किया गया था और बहुत सी प्रतिभावान महिलाओं को उद्यम के क्षेत्र से जोड़ा गया।

ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट का यह आठवां संस्करण था। ''महिलाएं सर्वप्रथम सबके लिए समृद्धि'' पर आधारित यह प्रथम जीईएस था, जिसमें महिलाओं का बहुमत था कुल प्रतिभागियों में से 52.5 प्रतिशत से भी अधिक महिलाएं थीं।

इसमें विश्व की उद्यमी प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न पृष्ठभूमि से संबंधित 1600 से अधिक डेलिगेट्स जिसमें उद्यमी, निवेशक, प्रमुख ज्ञान आधारित इकाइयों के सीईओ शामिल थे, ने भाग लिया। 10 से अधिक देशों, जिनमें अफगानिस्तान, सऊदी अरब और इजरायल भी सम्मिलित थे का प्रतिनिधित्व ऑल फीमेल शिष्टमंडल ने किया। यह समिट प्रमुख रूप से चार क्षेत्रों पर केन्द्रित था- ऊर्जा तथा संसाधन, स्वास्थ्य एवं लाइफ साईंस, आर्थिक तकनीक और डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं मीडिया एवं मनोरंजन सेक्टर।

अपने उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र अमरीका की सरकार की सहभागिता से ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2017 की सह-मेजबानी पर हर्ष व्यक्त किया। उनके वक्तव्य के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं-

- यह समिट दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित की गई है। यह अग्रणी निवेशकों, उद्यमियों, शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों और अन्य स्टेक होल्डर्स को एक साझा मंच प्रदान करता है ताकि वे ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप इको-सिस्टम को पुष्ट कर सकें।
- यह आयोजन मात्र सिलिकॉन वैली को हैदराबाद से सम्पृक्त ही नहीं कर रहा अपितु यह संयुक्त राज्य अमरीका और भारत के घनिष्ट संबंधों का भी परिचायक है।
- जीईएस के इस संस्करण का विषय *विमेन फर्स्ट, प्रास्पेरिटी फॉर ऑल* इसे विलक्षण बनाता है। भारतीय पुराणों में स्त्री को शक्ति का अवतार माना जाता है- शक्ति की देवी-दुर्गा। हम महिला सशक्तीकरण को अपने देश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं।
- मैं भारत के अपने युवा उद्यमी मित्रों से कहना चाहूंगा कि आप सब में ऐसी अमूल्य प्रतिभा है कि आप 2022 तक न्यू इंडिया के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। आप भारत के रूपांतरण का माध्यम और साधन हैं।
- विश्व के अन्य भागों से आए अपने उद्यमी मित्रों से मैं कहना चाहता हूं कि आइए मेक इन इंडिया भारत में निवेश कीजिए, भारत के लिए और विश्व के लिए। मैं आप में से हरेक को भारत के विकास की कहानी में सहभागी होने का निमंत्रण देता हूं और एक बार फिर आपको भरपूर समर्थन का आश्वासन देता हूं। ❑

पुस्तक चर्चा

लीजेंड ऑफ इंडियन सिल्वर स्क्रीन

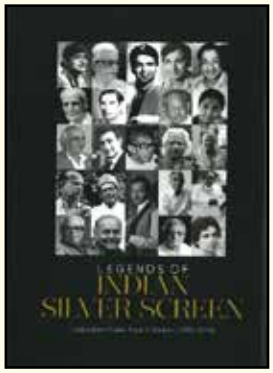

मूल्यः ₹ 400 (हार्ड बाउंड)
₹ 285 (पेपरबैक संस्करण)

यह पुस्तक उन 23 फिल्मी हस्तियों पर लिखे गए आलेखों का संकलन है जिन्हें 1992-2014 में दादा साहब फाल्के अवार्ड प्रदान किया गया था। ये पुरस्कार विजेता निर्देशन, अभिनय, सिनेमाटोग्राफी, संगीत और लिरिक्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं। इनमें बी.आर. चोपड़ा, शशि कपूर, के. बालचंद्र, शिवाजी गणेशन, भूपेन हजारिका इत्यादि शमिल हैं। इस संकलन में प्रख्यात लेखकों और फिल्म आलोचकों जैसे सैबल चैटजी, रैंडर गाय, रशेल ड्वेयर, जय अर्जुन सिंह ने योगदान दिया है। इन आलेखों में इन फिल्मी हस्तियों के भारतीय सिनेमा में योगदान से संबंधित संक्षिप्त स्केच से लेकर आलोचनात्मक विश्लेषण तक किया गया है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त उपयुक्त चित्रों से सुसज्जित यह पुस्तक सेलुलायड प्रेमियों के लिए ज्ञान और मनोरंजन का माध्यम होगी। ❑

समय, सिनेमा और इतिहास

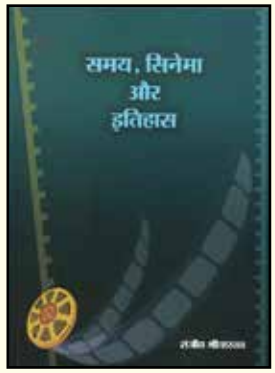

मूल्यः ₹ 430

इस पुस्तक में सौ वर्षों से भी अधिक पुराने भारतीय सिनेमा की यात्रा का वृतांत है। अपने नाम के अनुरूप यह पुस्तक भारतीय सिनेमा के विकास का विश्लेषण करते हुए उसकी सामाजिक महत्ता और भूमिका को उजागर करती है। मोशन पिक्चर के दिनों से लेकर आधुनिक विश्व के डिजिटल सिनेमा तक आने वाले विभिन्न परिवर्तनों को इसमें स्पष्टतापूर्वक बताया गया है। भारतीय सिनेमा में अपना अमूल्य योगदान देने वाली प्रमुख हस्तियों जैसे- एच.एस. भाटवोकेकर, हीरालाल सेन, दादा साहब फाल्के के बारे में लेखक ने दुर्लभ जानकारी उपलब्ध करवाई है। इसमें सिनेमा से जुड़े विभिन्न पहलुओं जैसे कि मनोरंजन के साधन के रूप में सिनेमा, फिल्मों में संगीत और नृत्य की भूमिका, महिला केन्द्रित फिल्में, स्टाइल तथा बॉलीवुड का स्वर्णयुग इत्यादि विषयों के अतिरिक्त फिल्म सेंसर पर भी विचार किया गया है। रंग-बिरंगे चित्रों सहित वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव ने अपनी इस पुस्तक में हिन्दी सिनेमा के प्रमुख घटकों का परिचय दिया है। ❑

हमारी पुस्तकें खरीदने के लिए http://publicationsdivision.nic.in **पर लॉग ऑन करें।**

कृपया ध्यान दें

सदस्यता संबंधी पूछताछ अथवा पत्रिका प्राप्त न होने की स्थिति में कृपया वितरण एवं विज्ञापन व्यवस्थापक से इस पते पर संपर्क करें:

वितरण एवं विज्ञापन व्यवस्थापक
प्रकाशन विभाग, कमरा नं. 48-53, सूचना भवन
सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोधी रोड,
नयी दिल्ली-110003, फोन नं: 011-24367453
ई-मेल: pdjucir@gmail.com

48वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव

48वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव-आईएफएफआई 20-30 नवंबर, 2017 तक बड़ी धूमधाम से मनाया गया जिसमें भारत और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फिल्में प्रदर्शित की गई। फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय वस्त्र एवं सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा कि भारत त्योहारों, उत्सवों, ऊर्जावान युवाओं और कहानियों का देश है जहां 1600 से अधिक बोलियों में कहानियां सुनाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव से सिनेमा प्रेमियों को भारतीय फिल्म जगत के सबसे बड़े और चमकदार सितारों से मिलने में मदद मिलेगी।

आईएफएफआई 2017 में 195 फिल्में प्रदर्शित की गईं, जिनमें 10 वर्ल्ड प्रीमियर, 10 एशियाई और अंतरराष्ट्रीय प्रीमियर तथा 64 भारतीय प्रीमियर शामिल हैं। इंडियन फिल्म पर्सनेलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन को तालियों की गड़गड़ाहट के बीच प्रदान किया गया।

आईएफएफआई 2017 देश में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम था जिसमें जेम्स बांड की फिल्मों को एक अलग वर्ग में विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया। इसके अलावा, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की सहायता से आईएफएफआई 2017 में कनाडा पर विशेष ध्यान दिया गया।

आईएफएफआई 2017 के अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में 15 फिल्में गोल्डन और सिल्वर पिकॉक पुरस्कार के लिए मैदान में थीं। 48वें आईएफएफआई में अभिनेता ओम पुरी, विनोद खन्ना, टॉम अल्टर, रीमा लागू, जयललिता, निर्देशक अब्दुल माजिद, कुंदन शाह, दसरी नारायण राव और सिनेमेटोग्राफर रामानंद सेनगुप्ता को श्रद्धांजलि दी गई।

मोरक्को में जन्मे फ्रांसिसी निर्देशक रॉबिन केंपिलो की ड्रामा फिल्म '120 बीपीएम' या '120 बीट्स पर मिनट' ने प्रतिष्ठित गोल्डेन पिकॉक पुरस्कार जीता। 1990 के दशक के फ्रांस की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म समलैंगिकता और एड्स की महामारी पर आधारित है। चीनी निर्देशक विवियन क्यो ने 2017 की अपनी फिल्म 'एंजेल्स वियर व्हाइट' के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। यह फिल्म दो किशोरियों की पीड़ा की कहानी है जिनका एक अधेड़ व्यक्ति चीन के किनारे बसे नगर में उत्पीड़न करता है।

नेहुएल पेरेज बिस्कारियत को '120 बीपीएम' फिल्म में उनके द्वारा निभाए गए एड्स कार्यकर्ता के किरदार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (पुरुष) का पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (महिला) का पुरस्कार पार्वती टी.के. को महेश नारायणन की मलयालम फिल्म 'टेक ऑफ' के लिए दिया गया। इस फिल्म में उन्होंने एक नर्स का किरदार निभाया है जो युद्ध-ग्रस्त इराक में विद्रोही सेना के चंगुल में फंसे अपने पति की रिहाई के लिए लड़ाई लड़ती है।

महेश नारायण को उनकी पहली निर्देशित फिल्में 'टेक ऑफ' के लिए विशेष ज्यूरी पुरस्कार प्रदान किया गया। यह फिल्म तिरकित में फंसे भारतीय की रिहाई पर आधारित है। बोलिवियाई निर्देशक कीरो रुसो ने निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए सिल्वर पिकॉक पुरस्कार जीता। रुसो की पहली फिल्म 'डार्क स्काल' वातावरण और शोक का खूबसूरती और बारीकी से अध्ययन करती है। मनोज कदम की मराठी फिल्म 'क्षितिज' ने आईसीएफटी-यूनेस्को गांधी पुरस्कार जीता। कनाडा के प्रसिद्ध कला निदेशकों में से एक, एटम इगोयान को आईएफएफआई 2017 लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। ❑

रजि.सं.डीएल (एस)-05/3231/2015-17
Reg.No. D.L. (s)-05/3231/2015-17 at RMS, Delhi
22 दिसंबर, 2017 को प्रकाशित • 29-30 दिसंबर, 2017 को डाक द्वारा जारी

Licenced under U (DN)-55/2015-17
आर.एन.आई. 951/57
R.N.I. 951/57

Just Released

एस.एस.सी. संयुक्त हायर सेकण्डरी लेवल (10+2) परीक्षा

गत वर्षों के हल प्रश्न-पत्रों सहित

डाक सहायक/छँटाई सहायक | डाटा एण्ट्री ऑपरेटर
लोअर डिवीजन क्लर्क | कनिष्ठ सचिवालय सहायक पदों के लिए

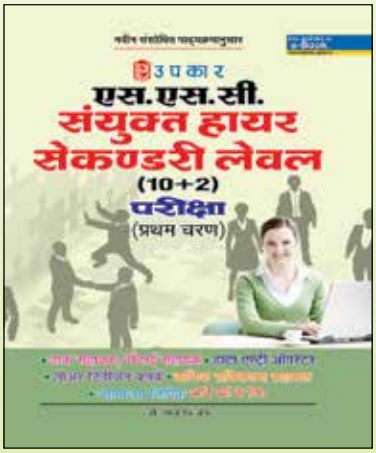

Code 600 ₹ 340.00

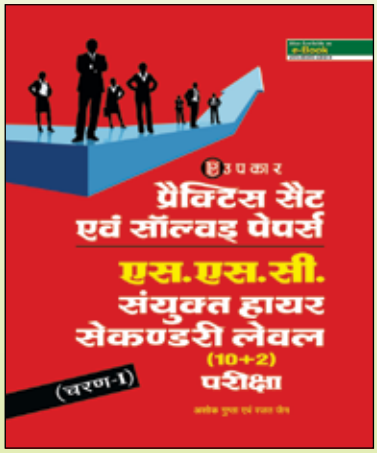

Code 2532 ₹ 215.00

Code 2366 ₹ 240.00

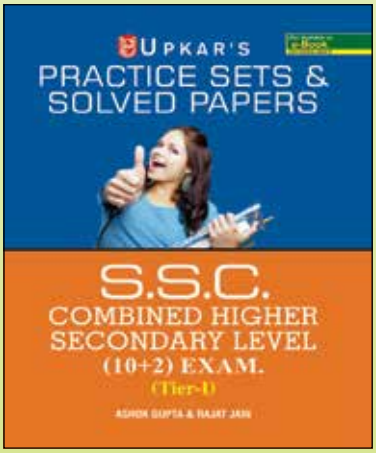

Code 1957 ₹ 215.00

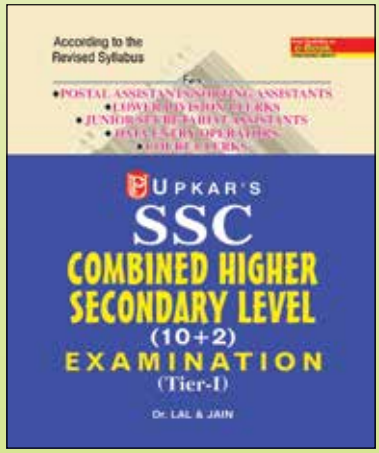

Code 493 ₹ 315.00

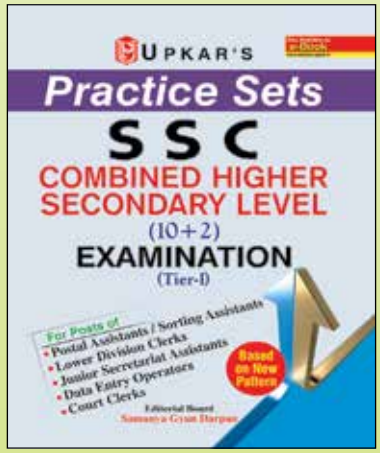

Code 1852 ₹ 205.00

सॉल्वड् पेपर्स हिन्दी संस्करण Code No. 1110 ₹195.00 अंग्रेजी संस्करण Code No. 1507 ₹ 199.00

उपकार प्रकाशन | 2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा-282 002 फोन : (0562) 4053333, 2530966; फैक्स : (0562) 4053330
• E-mail : care@upkar.in • Website : www.upkar.in
• नई दिल्ली 23251844/66 • हैदराबाद 24557283 • पटना 2303340 • कोलकाता 25551510 • लखनऊ 4109080 • हल्द्वानी मो. 07060421008 • नागपुर 6564222 • इन्दौर 9203908088

YH-644/9/2017

प्रकाशक व मुद्रक: डॉ. साधना राउत, महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा प्रकाशन विभाग के लिए जे.के. ऑफसेट, बी-278, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली से मुद्रित एवं प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. परिसर, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003 से प्रकाशित। संपादक: ऋतेश पाठक